खण्ड-354, अंक-3
गुरूवार, 15 माघ, शक संवत् 1903
(4 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	343–346
प्रश्नोत्तर	..	347–412
उत्तर प्रदेश के बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के सामने किये जा रहे क्रमिक अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	403
बस्ती जनपद में मनुष्यों व पशुओं में गर्दन तोड़ बीमारी के प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	403–404
उन्नाव के नारी सुरक्षा गृह की एक महिला के साथ बलात्कार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	404–405
क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण हेतु ब्लाक गोसाईगंज लखनऊ में आयोजित जनता अदालत की बैठक में क्षेत्रीय विधायक श्री संत बक्स रावत को न बुलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	404
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	405
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	405
वित्त बिक्री कर अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)		405–406
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 से संबंधित शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	..	406
उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गई)	..	406
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड की तृतीय एवं चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1978–79 व 1979–80 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	407
लखनऊ मंडलीय विकास निगम लिमिटेड लखनऊ का तृतीय वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे का विवरण 1978–79 (सदन के पटल पर रखे गये)	..	407
मेरठ मंडल विकास निगम लिमिटेड मेरठ के वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77, 1977–78, 1978–79, 1979–80 (सदन के पटल पर रखे गये)	..	407
वाराणसी मण्डल विकास निगम वाराणसी की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे विवरण 1978–80 (सदन के पटल पर रखा गया)		407
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	407–408

विषय		पृष्ठ-संख्या
1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	..	409-476
राज्य गृह मंत्री द्वारा सदन में पढ़े गये हलफनामे के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	..	476-478
सदन में लगाये जाने वाले आरोपों व प्रत्यारोपों के प्रकरण में अध्यक्ष द्वारा सभी नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव	..	478-480
1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	..	481-483
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	483
उन्नाव रैलीज कैमिकल मगरवारा के हड़ताली कर्मचारियों पर लाठी चार्ज के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अग्रतर वक्तव्य	..	484-486
नत्थियां	..	487-506

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 4 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में 11 बजकर 3 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 334

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊइल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशी नाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र, गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोबरधन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर द्विवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)

र ार सिंह, श्री, (बुलन्दशहर)
छेदालाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद श्री, (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री, (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जिया राम शुक्ल 'विमल सांकेती' श्री (फैजाबाद)
जोरज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह बहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद, मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ अचल, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्नेलाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैज नाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)

भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मु0 जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी (उर्फ शबरीज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
श्री राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)

रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूद्रप्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री
(टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (इलाहाबाद)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना कुंवर (गाजियाबाद)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर
(पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (गाजीपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुजन सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्ने)
(गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, उपाध्याय श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री
(मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट :--श्रम मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 4 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु स्वीकृत धनराशि

*2—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आयुर्वेदिक दवाइयां भेजने के लिए शासन ने 10 लाख रु0 व राज्य सरकार के केन्द्रीय बाढ़ सहायता कोष से 1980-81 में 5 लाख रुपया दिया था ? क्या यह सत्य है कि निदेशालय ने 24 फरवरी, 1981 को राजकीय औषधि निर्माणशाला, लखनऊ को तथा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज फार्मेसी, हरिद्वार को औषधियां बनाने हेतु धन दिया ? क्या यह भी सही है कि औषधियां न बनाकर एलोपैथिक एवं अन्य बनी बनाई दवाइयां खरीदी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए केवल पांच लाख रुपये की धनराशि ही स्वीकृति की गई थी । उक्त स्वीकृत धनराशि में से तीन लाख रुपये अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ एवं दो लाख रुपये प्राचार्य/अधीक्षक, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार से सम्बद्ध फार्मेसी को दिनांक 24 फरवरी, 1981 को औषधियों हेतु आवंटित किया गया था । उक्त धनराशि से औषधियां बनाने के लिए कच्ची औषधियां (रा ड्रग्स) तथा अन्य आवश्यक सर्जिकल ड्रेसिंग का सामान क्रय किया गया था ।

श्री ऊदल—

जो राज्य सरकार के बाढ़ सहायता कोष से भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपया दिया गया था, वह 1980-81 में जो बाढ़ आई थी उसके लिए दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें खर्च न करने का क्या कारण है ?

श्री हरि सिंह—

माननीय सदस्य ने जो पूछा है, 1980-81 में आई बाढ़ के लिए ही यह रुपया स्वीकृत किया गया था ।

श्री ऊदल—

मैं जानना चाहता हूं कि 1980-81 में आई बाढ़ के लिए उसे स्वीकृत किया गया था और उस साल भयंकर बाढ़ आई थी, तो उसमें इसका उपयोग न करके फरवरी, सन् 81 में इस रुपये को यूनानी औषधियों के निर्माणशाला लखनऊ को 2 लाख रुपया और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज फार्मेसी, हरिद्वार को यह रुपया दिया गया था । इसके नीचे के स्तर में कहा गया है कि अन्य सर्जिकल सामान क्रय किया गया, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब सामान क्रय किया गया और वह सामान क्या-क्या था ?

श्री हरि सिंह--

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में शासन की ओर से जो दल भेजा गया था उन्हीं के सुझाव पर ये आयुर्वेदिक औषधियां खरीदी गई थीं और उनके साथ ही कुछ एलोपैथिक दवाइयां व सर्जिकल सामान भी खरीदा गया था जो बहुत कीमती नहीं थी ।

श्री ऊदल--

मैं जानना चाहता हूं कि 5 लाख रुपया जो 1980-81 में भयंकर रूप से आई बाढ़ के लिए केन्द्रीय सरकार से मिला था वह धन श्रीमन्, इन दो फैक्टरियों को 24 फरवरी, 1981 को क्यों दे दिया गया ? मान लीजिये कि दे भी दिया गया तो नीचे के स्तर में जो कहा गया है कि कुछ सर्जिकल सामान क्रय किया गया, तो वह कब क्रय किया गया, उसकी तारीख और महीना क्या है ?

श्री हरि सिंह--

अगस्त से लेकर नवम्बर, 1980 तक यह पहुंचा दिया गया है ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, फिर जवाब नहीं आया । श्रीमन्, आप उत्तर की आखिरी पंक्ति पढ़ लें । मन्त्री जी ने कहा है नवम्बर, 1980 तक पहुंचा दी गई । इस फैक्टरी को रुपया दिया 24 फरवरी, 1981 को । यह उत्तर में भी है । आप कह रहे हैं पहुंचा दी गई । 24 फरवरी, 1981 को रुपया दिया गया उससे दवा ले कर के सन् 1980 की बाढ़ में कैसे पहुंचा दी गई ।

श्री हरि सिंह--

माननीय बाढ़ एक संकट होता है जब तात्कालिक कार्यवाही करनी पड़ती है कि इन दोनों औषधालयों से दवा ले ली गई और बाद में उनको रुपया पेमेन्ट किया गया ।

जय प्रकाश नगर, पूर्व भाग आलमबाग, लखनऊ को मलिन बस्ती सुधार योजनान्तर्गत सम्मिलित करने का विचार

*3--श्री बलवीर सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जय प्रकाश नगर, पूर्व भाग आलमबाग, लखनऊ को मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1981-82 में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो मुख्य प्रस्तावित कार्य क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इस क्षेत्र को मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर शीघ्र सुधार कार्य आरम्भ किये जायेंगे ?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

जी नहीं ।

प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जिलाधिकारियों द्वारा शादी विवाह के अवसरों पर विशेष परमिट दिये जाने हेतु आदेश

*4—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारियों को शादी विवाह के अवसर पर 25 किलो चीनी उपभोक्ताओं को देने का शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या जिलाधिकारी, मुरादाबाद इसकी अवहेलना कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उस अधिकारी के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह के अवसरों पर पच्चीस किलोग्राम चीनी तक के विशेष परमिट दिये जाने हेतु 25 फरवरी, 1981 को शासन द्वारा रेडियोग्राम जारी किया गया था और शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 1981 जारी हुआ था।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद उक्त आदेशों की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि उन्होंने शादी विवाह के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी दिये जाने की घोषणा पिछले बजट सेशन में इस माननीय सदन में की थी। उसी के आधार पर 25 फरवरी को उन्होंने आदेश जारी किये। परन्तु मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने उस समय क्या कोई अपनी तरफ से इस बात का पत्र भेजा था कि वह शासन की इस नीति से कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी दी जाय, संतुष्ट नहीं हैं।

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

अब श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के 'जी नहीं' जवाब से यह प्रश्न उठता है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में अप्रैल के बाद मई के महीने में शादी के सिलसिले में कोई परमिट एलाट किया गया या नहीं ?

श्री वासुदेव सिंह—

अप्रैल में कोई प्रार्थना पत्र ही नहीं आया। जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट आई और वह यह है कि अप्रैल में प्रार्थना पत्र निल, शहरी क्षेत्र में—निल, ग्रामीण क्षेत्र में—निल। प्रश्न यह है कि प्रार्थना पत्र नहीं थे। मई में प्रार्थना-पत्रों की संख्या शहरी क्षेत्र से 2526, ग्रामीण क्षेत्र से 5088। और चीनी जो वितरित हुई वह शहरी क्षेत्र में 696.36 कुन्तल, ग्रामीण क्षेत्र में 1294.14 कुन्तल।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न तो यह है कि शासन से आदेश गये कि ग्रामीण क्षेत्रों को 25 किलो चीनी शादी के लिए दी जाय। मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने एक पत्र

भेजा शासन को कि शासन के इस आदेश से सहमत नहीं हूं । जब मैंने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम ने एक पत्र भेज दिया है जब तक उसका जवाब नहीं आयेगा हम कोई चीनी नहीं देंगे । मेरा प्रश्न यह है । माननीय मंत्री जी अप्रैल में तिल कहते हैं । शादी ही नहीं हुई यह पता चलता है । क्या यह बतायेंगे कि मई के महीने में जो 31 मई तक जाता है—सबसे पहले चीनी शादी के लिए कौन सी तारीख को जिलाधिकारी ने वितरित की ? मैंने स्वयं एक पत्र लिखा है ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसी के अनुसार उत्तर दिया गया है । यदि जिलाधिकारी ने प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्यथा कोई काम किया है तो वह नहीं रहेगा और न ही रह सकता है । इसलिये जो निर्देश यहां से गये उसके विरुद्ध न तो जिलाधिकारी ने कोई काम किया और न वह कर रहा है ।

प्रश्न यह है कि यहां से आदेश हुये । मार्च-अप्रैल में उपलब्धता नहीं थी और मांग भी नहीं थी । मई, जून, जुलाई में वितरित हुई ।

श्री रियासत हुसैन--

जब मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा तथा दुबारा आदेश भेजे गये कि चीनी ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाय । मेरा प्रश्न यह है कि मई में सबसे पहले चीनी कौन सी तारीख को मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई ? उस वक्त जिलाधिकारी ने आपको लिखा और कहा कि जब तक हमारे पत्र का जवाब नहीं आयेगा तब तक हम नहीं देंगे ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य द्वारा कोई बात हमारे संज्ञान में लायी गई और उसके अनुरूप काम किया गया तो वह दोष नहीं है पुण्य काम है । माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं को जो चीनी दी जाती है उसका कोटा अलग है और शादियों के लिये जो चीनी दी जाती है उसका कोटा अलग से निर्धारित किया जाता है ? यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होती है ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह तो अलग प्रश्न है ।

जिला सहकारी बैंक लि0, लखनऊ को हानि

*5--श्री श्यामलाल वाजपेयी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, लखनऊ को वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में कितनी हानि हुई ? हानि के लिए दोषी तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त सामान्य प्रबन्धक को तरक्की देकर उप सचिव कैडर (बी) उ0 प्रदेश कोआपरेटिव बैंक बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जिला सहकारी बैंक लि0, लखनऊ को सन्तुलन पत्रों के आधार पर वर्ष 78-79 एवं 79-80 में क्रमशः 97,484.68 व रु0 4,27,783.14 रु0 की हानि हुई ।

हानि के लिए तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक दोषी नहीं थे, बल्कि जोशी एवार्ड के आधार पर बैंक कर्मचारियों को "अ" श्रेणी बैंक के वेतन एवं मंहगाई भत्ता दिये जाने के फलस्वरूप बैंक के प्रबन्ध व्यय में अतिरिक्त वित्तीय भार था । अतः तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 78-79 में पूरे वर्ष एवं वर्ष 79-80 में दिनांक 1-7-79 से 9-4-80 तक श्री पी0 एन0 सिंह एवं 21-4-80 से शेष वर्ष में श्री राम लोटन मिश्र बैंक के सचिव एवं सामान्य प्रबन्धक रहे । इनमें से श्री पी0 एन0 सिंह को नियुक्ति उपसचिव कैडर (श्री) के पद पर कैडर अथारिटी द्वारा दिनांक 24-11-80 की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार की गयी । यह पद जिला सहकारी बैंक के सचिव पद के समकक्ष है, जिसमें 250 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन देने की व्यवस्था है, जो किसी भी सचिव को जो इस पर नियुक्त किया जाय, अनुमन्य होगा । इसे तरक्की की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के मन-लुभावने उत्तर के सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की है और इस राजधानी की नाक के नीचे लखनऊ सहकारिता बैंक ने दो वर्ष के अन्दर जो गबन किया है या इसके अन्दर जो हानि हुई है वह इस प्रकार है कि 78-79 में 97,484.68 पैसा और 79-80 में 4,27,483.14 पैसा । मान्यवर, राजधानी के इस कोआपरेटिव बैंक में इतनी बड़ी हानि दो वर्षों में किस प्रकार हुई ? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

नम्बर दो में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई जोशी एवार्ड के कारण अतिरिक्त भार पड़ा जिसके कारण यह हुआ । तो क्या यह भार 1978-79, 1979-80 दोनों वर्षों में पड़ा या यह 80-81 और 81-82 में लाखों से ज्यादा करोड़ों में भार पहुंचेगा मंत्री जी ने उस प्रबन्धक को दोषी नहीं माना तो जब बैंक का सामान्य प्रबन्धक दोषी नहीं है तो क्या बैंक के चौकीदार को दोषी ठहरायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

हानि का तो उन्होंने उत्तर दे दिया ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

हानि का उत्तर दिया कि हानि हुई क्यों हुई ।

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर दिया कि जो अतिरिक्त भार पड़ा वह जोशी एवार्ड की वजह से पड़ा ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

कैसे भार पड़ा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है इसका उत्तर आ जाना चाहिये । यह 1977–78 के बाद जोशी एवार्ड लागू किया गया तो 78–79 में 2 लाख 25 हजार रु0 का भी पड़ा भार पड़ने का मतलब वेतन बढ़ा देने पड़े और 79–80 में 2 लाख 40 हजार का भार पड़ा । इसके अलावा 79–80 में एक और घटना हुई कि 1 लाख 39 हजार रु0 हमारा जो वित्त पोषक बैंक होता है उन्होंने गलती से चार्ज कर लिया तो दोनों को जोड़ लें तो वास्तविक हानि नहीं हुई इसलिए इसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जोशी एवार्ड से अतिरिक्त भार पड़ा । तो क्या यह भार उन्हीं वर्षों में समाप्त हो चुका है या अभी आगे और बढ़ रहा है ? दूसरा प्रश्न...

श्री अध्यक्ष—

पहले इसका उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य तो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको अवगत होगा कि जब कोई वेतन पुनर्निधारण किया जाता है तो वह एक वर्ष की तुलना में भार बढ़ता रहता है 1978–79 बेस वर्ष होगा उसकी तुलना में खर्च बढ़ेगा, पिछले वर्ष की तुलना में भार बेस वर्ष से भार बढ़ता जाता है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 1978–79 और 1979–80 तो घाटे के वर्ष रहे ही उसकी क्यों चिंता हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय पंचानन राय जी, आप बैठ जाइये ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, सहकारिता विभाग तो है ही इस काम के लिए । इसको हमको भी बरदाश्त करना पड़ता है । लेकिन कैडर बी में जो तरक्की दी गयी है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सचिव एवं सामान्य प्रबन्धक पद पर श्री पी0 एन0 सिंह ने काम किया । जो तरक्की दी गयी है उसमें 250 रु0 उनको मिलता है । तरक्की का जो पद है वह सचिव के बराबर है । जब सचिव के पद पर वह स्वयं कार्यरत थे तो 250 रु0 क्यों अतिरिक्त दिया गया है ? तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सामान्य प्रबन्धक और सचिव की हैसियत से काम करने वाले अधिकारी के रहते हुए बराबर गड़बड़ियां होती रहती हैं और सुरक्षा की तरह हानि बढ़ती रही हो उसको 250 रु0 अतिरिक्त वेतन देने का क्या कारण है तो क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव तो काम नहीं कर रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, राजनीतिक दबाव से यहां पर कोई काम नहीं होता । बैंक के मैनेजमेंट के लिए एक कैडर अथारिटी बनाई गयी है, उसने यह तय किया है । जिला बैंक के सचिव, सामान्य प्रबन्धक सचिव में से एक सचिव लिया जाय । कैडर अथारिटी ने 7 नवम्बर, 1981 को तय किया है कि केन्द्रीय सरकारी सेवा का इस वर्ग में से जो भी काम करेगा उसको ढाई सौ रु0 दिया जायेगा । और इसीलिए जो भी आया था, उसको 250 रुपया दिया जाएगा । यह प्रोन्नति का पद नहीं है, यह विशेष भत्ता दिया जाता है । हानि का जहां तक सवाल है, इसके बारे में बता चुका हूं कि जोशी अवार्ड के कारण यह हुआ है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, श्री सिंह को तो 250 रुपया तरक्की मिल गई, लेकिन उसी जगह रामलोटन मिश्र जो काम करते थे, उन्होंने कौन सा अपराध किया था कि वह बिना रुपया दिये अभी तक टहल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठिए, कैडर अथारिटी ने किसी एक को चुन लिया तो अब दूसरे का क्यों नहीं, यह क्या सवाल हुआ ? एक को करना था, उसे कर दिया ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, अब इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं ।

*6--श्री मित्रसेन तथा श्री राम गोविन्द--

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

*7--श्री जटाशंकर सिंह--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आवास विकास परिषद् के लखनऊ कार्यालय में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

*8--श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् के लखनऊ कार्यालय में अक्तूबर, नवम्बर, 1980 में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति हेतु कोई साक्षात्कार हुआ है ? यदि हां, तो उसमें चयन का आधार क्या था ? कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित हुए तथा सफल अभ्यर्थियों की सूची क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

चयन का आधार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ भौतिकी एवं रसायन की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रखी गई । चयन का आधार साक्षात्कार था । साक्षात्कार हेतु 156 अभ्यर्थी उपस्थित हुए जिसमें 35 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनाई गई ।

नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची निम्नवत् है :--

1--श्री प्रमोद कुमार खुल्वे ।

2--श्री सियाराम ।

3--श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ।

4--श्री सुरेन्द्र कुमार ।

5--श्री महेश चन्द्र स्वर्णकार ।

6--श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी ।

7--श्री राम चन्द्र सिंह ।

8--श्री रजनी कान्त ।

9--श्री शिव नारायण तिवारी ।

10--श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ।

11--श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा ।

*9--श्री किरनपाल सिंह--

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

नगरपालिका गोरखपुर में महेवा व बिलन्दपुर खत्तों की पालिका द्वारा नीलामी

*10--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में नगरपालिका, गोरखपुर में कितने खत्ते (मैला दफन करने का स्थान) हैं और क्या उन खत्तों की नगरपालिका, गोरखपुर द्वारा नीलामी की जाती है ? साथ ही क्या बाद नीलामी उक्त खत्तों का रकबा कम दिखाकर गत 3 वर्षों में नीलामी की धनराशि में छूट की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

नगरपालिका, गोरखपुर में महेवा व बिलन्दपुर नाम के दो खत्ते मैला दफन करने के प्रयोग में लाये जाते हैं ।

उपरोक्त खत्तों को पालिका द्वारा नीलाम किया जाता है ।

नगरपालिका, गोरखपुर द्वारा विगत तीन वर्षों में खत्ते की नीलामी के बाद रकबा कम दिखाकर छूट नहीं दी गई है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो खत्ते की नीलामी हो रही है उसमें क्या कुल खत्तों का इकट्ठे नीलाम होता है या अलग-अलग खत्ते का नीलाम रकबे के हिसाब से होता है और यदि रकबे के हिसाब से होता है तो नीलामी के समय रकबे का एरिया कितना बताया गया था और क्या उस हिसाब से पूरा वसूल किया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसमें तीन साल के बारे में पूछा गया था, विगत तीन वर्षों में तो कोई छूट नहीं दी गई । यदि माननीय सदस्य समय निश्चित कर दें तो मैं इसका जवाब दे सकूं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

जब आप सुनिश्चित नहीं कर सके तो ऐसे प्रश्न का जवाब देने से फायदा क्या है । रकबे के हिसाब से नीलामी हुई, रकबा तो बताया गया, लेकिन उसे कम बता कर भारी छूट ठेकेदारों को दी गई । यदि मंत्री जी के पास इसका समुचित उत्तर नहीं है तो मान्यवर, इनको आप समय दे दें और जानकारी करके यह उसकी सूचना दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप समय तो बताएं ?

श्री केदार नाथ सिंह--

आप वर्ष 1979-80 का बताएं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उस वर्ष में कोई छूट नहीं मिली है और 1980-81 में भी कोई छूट नहीं मिली है । मैंने स्पष्ट कहा है कि विगत तीन वर्षों में कोई छूट नहीं दी गई ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय मन्त्री जी यह बता दें कि...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

श्री केदार नाथ सिंह--

इन्होंने कहा है कि विगत तीन वर्षों में कोई छूट नहीं हुई है । लेकिन रकबे के हिसाब से जो नीलामी हुई, उसमें रकबे का जो एक्रेज हुआ, उसको घटाकर एकड़ दिखाया गया है और उसको राहत देने के लिए यह किया गया है, यह मंत्री जी ने नहीं बतलाया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

नीलामी तो खत्तों की की जाती है और पिछले तीन वर्षों में कोई छूट नहीं दी गई । माननीय सदस्य कोई साल बताएं, तो मैं बता सकता हूं ।

श्री मुख्तार अनीस--

इन तीनों वर्षों में यह ठेके एक ही ठेकेदार को दिए गए या अलग-अलग ठेकेदारों को नीलामी हुई है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

तीन वर्ष की किस-किस को की गई है, इसकी सूचना नहीं है। माननीय, प्रश्न यह था कि क्या बाद नीलामी उक्त खत्तों का रकबा कम दिखाकर गत 3 वर्षों में नीलामी की धनराशि में छूट की गयी है। मैंने अपने उत्तर में बता दिया है कि गत 3 वर्षों में कोई छूट नहीं दी गयी है।

श्री केदार नाथ सिंह—

माननीय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने पूछा था कि नीलामी के बाद खत्तों का रकबा कम दिखाकर गत 3 वर्षों में नीलामी की धनराशि में छूट दी गयी है।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

नगरपालिका, भदोही के अन्तर्गत आवास विकास कालोनी के निर्माण हेतु कार्यवाही

*11—श्री बनवारी राम—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में नगरपालिका, भदोही के अन्तर्गत आवास विकास कालोनी बनाने हेतु जो सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी की गयी थी क्या उस स्थान को परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर सर्वे कराया जा रहा है जहां हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों की जमीन ली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

आवास परिषद् की भदोही योजना वाराणसी के प्रथम स्थल के लिए समस्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई थी।

नई प्रस्तावित योजना में समाज के सभी वर्गों की भूमि समाविष्ट है।

भदोही की जनता की आकांक्षा को दृष्टिगत करते उक्त निर्णय लिया गया।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आवास विकास कालोनी बनाने के लिये पूर्व प्रस्तावित योजना थी भदोही से औराई मार्ग और भदोही से ज्ञानपुर मार्ग के बीच रेलवे क्रासिंग के पश्चिम में थी, इसमें बड़े-बड़े लोगों की जमीनें जा रही थीं ? यदि हां, तो क्या उसको स्थगित कर दिया गया और जो दूसरी योजना बनाई जा रही है, वह वहां से एक किलो मीटर पूरब, जहां पर गरीबों की जमीन है, वहां बनाया जा रहा है ? क्या इसकी जांच करा कर माननीय मन्त्री जी आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय, भदोही और ज्ञानपुर में यह भूमि स्थित थी लेकिन जब वहां के निवासियों ने एतराज किया, जो कानून में है उसके अनुसार देखा गया कि वहां मकान बन गये हैं और केवल 18 एकड़ जमीन प्राप्त होती है और मुआवजा भी ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिये दूसरी जगह जो बनाने की बात है उसका जो प्रस्ताव आयेगा और जो एतराज आयेंगे तो उन पर विचार किया जायेगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, जिस भूमि के सम्बन्ध में कहा गया है कि ज्यादा मकान बन गये हैं, तो यह बात सत्य से परे है, इसलिये क्या मन्त्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, श्री ऊदल की सूचना हमारे लिये आदेश है ।

जनपद लखनऊ में तालकटोरा आवास विकास योजनान्तर्गत अधिग्रहीत भूमि तथा मुआवजा

*12--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जनपद लखनऊ में सन् 1962 की ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत जो भूमि श्री राज कुमार बख्शी की अधिग्रहीत की गयी थी उसका मुआवजा वर्तमान गृहमन्त्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने अपने पति राजा राज कुमार बख्शी के वारिसान के रूप में 3 मई, 1976 को प्राप्त किया ? यदि हां, तो श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने प्रथम बार कब मुआवजा प्राप्त किया और उनके पति श्री राज कुमार बख्शी की मृत्यु कब हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह प्रश्न 16 नवम्बर, 1981 को दिया गया था और यह प्रश्न माननीय गृह मन्त्री से सम्बन्धित था, लखनऊ का ही यह प्रश्न है । इसके पहले दैनिक "आज" में जिस प्रकार से सूचना प्रकाशित हुयी है उसका मतलब यह है कि यह प्रश्न माननीय गृह मन्त्री की नैतिकता से जोड़ा जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न सरकार को 14 जनवरी, 1982 को गया था और उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है, यह उत्तर सरकार की ओर से दिया गया है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह प्रश्न 14 नवम्बर, 1981 को दिया गया था । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस रूप में यह दैनिक "आज" में प्रकाशित हुआ है उससे स्पष्ट है कि माननीय गृह मन्त्री ने अपने पति के जीवित रहते हुये उनको मरा हुआ बता कर मुआविजा लिया है । तो नैतिक स्तर का तकाजा है कि जो समाचार छपा था उसका गृह मन्त्री जी खंडन करतीं या उनको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये था ।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी स्वयं इसका उत्तर दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*13—श्री सन्त बक्स रावत—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद एटा में नवजात बच्चों की टिटनेस की बीमारी से मृत्यु की जांच

*14—श्री शंकर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद एटा में पिछले दो महीनों में कितने नवजात बच्चों की टिटनेस की बीमारी से सरकारी अस्पतालों तथा सरकारी जच्चा केन्द्रों पर मृत्यु हुयी ? क्या सरकार ने बीमारी के फैलने के कारणों तथा उसकी रोकथाम के लिए जांच करायी है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

माह सितम्बर एवं अक्तूबर, 1981 की अवधि में जिला सरकारी अस्पताल एटा में 11 बच्चों की मृत्यु टिटनेस की बीमारी से हुई । सरकार ने मामले में जांच करायी है । जांच रिपोर्ट में बीमारी के कारण और उसके रोकथाम के उपाय सुझाये गये हैं ।

*15—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्याम नरायन तिवारी—

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत कर्मचारी नियमावली में पदोन्नति के नियम

*16—विजय सिंह राना—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपा बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत कर्मचारी नियमावली में यह प्राविधान है कि कर्मचारियों की पदोन्नति सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की अनुमति से ही की जायेगी और यदि कोई पदोन्नति सीधे की भी गई तो उसे 6 महीने से अधिक समय तक नहीं चलाया जा सकता ? यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1981 को ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि बिना सेवा मंडल की अनुमति के ही पदोन्नत किये गये हैं और क्यों ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्लब हरैया, जनपद बस्ती का निर्माण तथा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जे की जांच

*17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैलाश चन्द्र मित्तल, क्लब हरैया, जनपद बस्ती का निर्माण सन् 1950-51 में वकीलों के चन्दे तथा सरकारी खजाने से धन लगाकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने कराया था ? यदि हां, तो क्या सही है कि कुछ अनधिकृत लोगों ने उक्त क्लब पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ? क्या इसकी शिकायत मुख्य मन्त्री तथा अन्य अधिकारियों से हरैया तहसील की जनता तथा बार एसोसियेशन हरैया ने अपने प्रस्ताव दिनांक 31 अगस्त, 1981 के द्वारा की है एवं जिसकी जांच परगना अधिकारी, हरैया ने माह अगस्त और सितम्बर, 1981 में किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट उप सचिव, नजूल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश को भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

सूचना कब तक एकट्ठा कर देंगे ।

श्रीअध्यक्ष—

15 दिन में फिर यह आयेगा ।

कतिपय जिलों में फर्मों के साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साठ-गांठ से क्रय में अनियमितता बरतने की शिकायत

*18—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित ता0 प्र0 सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आये तथा दोषी डाक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषी औषधि बिक्रेता फर्मों को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की गई ? क्या इस बात को देखते हुए कि जीवन रक्षक औषधियों में गम्भीर अनियमितायें की गई हैं ? सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार करेगी जिससे दवाइयां बनाने वाले तथा अधिकारियों को इस प्रकार के अपराध के लिये मृत्यु दंड अथवा अन्य कोई कठोर दंड दिया जा सके ?

श्री हरि सिंह—

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच रिपोर्ट से कतिपय जिलों में फर्मों के साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साठ गांठ से दवाओं के स्थानीय क्रय में अनियमितता बरते जाने के तथ्य सामने आये हैं । जिन-जिन लोक सेवकों व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही आवश्यक पाई गई, प्रारम्भ कर दी गई है । सतर्कता विभाग द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिये गये हैं । ब्लैक लिस्ट करने का मामला शासन में विचाराधीन है । औषधियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश तथा ड्रग्स एवं कास्मेटिक ऐक्ट, 1940 लागू है जिसके अन्तर्गत निर्धारित स्पैसीफिकेशन के अनुसार दवाई न बनाये जाने पर आजीवन कारावास का डंड भी दिया जा सकता है तथा औषधि निर्माण लाइसेन्स भी समाप्त किया जा सकता है ।

श्री पंचानन राय—

पिछले दिनों गलत नकली दवाइयां सप्लाई होने से तमाम लोगों की अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी और जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट जोरों से चल रही थी । जो इस सम्बन्ध में कानून बना हुआ है वह सन् 1940 का है जब कि उस समय मिलावट थी ही नहीं, या बहुत कम थी । आज कल वह बहुत हो रही है । इसको देखते हुये क्या सरकार इसके लिए कोई नया कानुन बनायेगी ताकि ऐसे लोगों को कड़ा दंड दिया जा सके ?

श्री हरि सिंह--

मौजूदा कानून ही काफी हैं, नये कानून की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री पंचानन राय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी फर्मों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, अगर नहीं किया गया है तो यह कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री हरि सिंह--

इस सम्बन्ध में जल्दी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

जितने भी डाक्टरों या अन्य लोगों के खिलाफ विजिलेन्स की इंक्वायरी हुई, क्या उन सभी के खिलाफ अब तक रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ?

श्री हरि सिंह--

सबकी रिपोर्ट आ गयी है, कोई शेष नहीं है ।

श्री हुकम सिंह--

कुछ मामलों में आरोप-पत्र आ चुके हैं और मामले न्यायालय में भी दे दिये गये हैं । तो जिनके खिलाफ प्राग्दर्शन में केस स्थापित हो चुके हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में और उन फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हरि सिंह--

क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है अतः जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है । कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है ।

श्री राज कुमार राय--

जब मामला कोर्ट में दिया गया तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने में क्या दिक्कत है ?

श्री हरिसिंह--

जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उनको सस्पेन्ड कर दिया है, बाकी के विरुद्ध मामले चल रहे हैं ।

श्री पंचानन राय--

पहले जब यह प्रश्न यहां पर उठा था तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जब पूरी रिपोर्ट आ जायेगी तो उससे सदन को भी अवगत करा दिया जायेगा । तो सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट सदन के पटल पर मंत्री जी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, यह सारे मामले के कागजात सतर्कता विभाग के पास ही हैं, हमारे पास नहीं हैं । चार्जशीट दे दी गयी है, वह पब्लिक डाकूमेन्ट हो गया । चूंकि वह हमारे पास नहीं है इस समय, इसलिए उसे पेश करने में असमर्थ हैं ।

श्री पंचानन राय--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले यह आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट सदन के पटल पर अगले सत्र में रख दी जायेगी, तो क्यों नहीं रखी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया है ।

श्री वासुदेव सिंह--

यथासमय रख दी जायेगी ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जिन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र आ गया जांच होने के बाद में उनको तो आपने निलंबित कर दिया, लेकिन जिन फर्मों के खिलाफ भी चार्जशीट आई है, जिनको दोषी पाया गया है, क्या अभी भी उनसे माल खरीदा जा रहा है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, उन फर्मों से माल नहीं खरीदा जा रहा है ।

प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा (एकीकृत) संवर्ग में चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण एवं नान प्रैक्टिसिंग भत्ता दिये जाने पर विचार

*19--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा (एकीकृत) के पदों के स्थायीकरण के पश्चात् कितने और कौन-कौन चिकित्साधिकारी स्थायी किये गये हैं और यदि अभी 25-11-81 तक स्थायी नहीं किए जा सके हैं तो इसका क्या कारण है तथा इनको अन्य चिकित्साधिकारियों की तरह कब से नान प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया है ?

श्री हरि सिंह--

प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा (एकीकृत) संवर्ग में अभी कोई भी चिकित्साधिकारी स्थायी नहीं हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों की चरित्र-पंजिकायें पूर्ण कराई जा रही हैं । तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारियों की चरित्र-पंजिकायें भी अपूर्ण हैं जिनको पूर्ण करने के बाद नियमानुसार विनियमितीकरण किया जायेगा और उसके पश्चात् स्थायीकरण किया जायेगा। इन चिकित्सा अधिकारियों को नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चरित्र पंजिकाओं का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा और जैसा कि इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि जिन डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देने का विचार कर रहे हैं, इस पर निर्णय कब तक कर लेंगे ?

श्री हरि सिंह--

इस सम्बन्ध में बड़ी तेजी से कार्यवाही हो रही है । जल्द से जल्द इस पर निश्चय कर लिया जायगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जिन डाक्टरों की नियुक्ति 1-1-77 से पहले हुई है और उनके विषय में अभी तक यू० पी०, पी० ए० सी० से कोई निर्णय नहीं हुआ है, नाम भी नहीं आया है, क्या उनकी नियुक्ति, लोक सेवा आयोग में गये बिना, करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हरि सिंह--

यह माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें कुछ तो कमीशन से अप्रूव्ड भी हैं और जो अप्रूव्ड नहीं हैं, उनके विषय में सरकार विचार कर रही है ।

बस्ती नगरपालिका के जलकल विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति

*20---श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती नगरपालिका के जलकल विभाग के नलकूप की जल व्यवस्था से नगर के मकानों में प्रथम तल तक सुचारु-रूप से पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो नागरिकों के हित में इस सम्बन्ध में शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत--

जी हां ।

नगर की पेयजल व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा रु० 45.396 लाख अनुमानित लागत की योजना तैयार कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, काम तो शीघ्र ही पूरा होगा, यह सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जैसा सवाल है इसमें कहा गया है कि नगरपालिका के जलकल विभाग के नलकूप की जल व्यवस्था से नगर के मकानों में प्रथम तल तक सुचारु रूप से पानी नहीं पहुंच पाता है । तो मान्यवर, वह कौन सी व्यवस्था इस सम्बन्ध में की गयी है, वह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस प्रश्न के दूसरे भाग में बताया है कि पुनर्गठन किया जा रहा है । नल का डाईमीटर कम होता है, तो उसके लिए पुनर्गठन योजना बनाई जाती है ।

अतारांकित प्रश्न

ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई भूमि एवं कुल मुआवजा

1--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनपद लखनऊ में सन् 1962 में ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत माननीय वर्तमान गृह मन्त्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के पति पं० राज कुमार बख्शी की भी भूमि अधिगृहीत की गयी थी ? यदि हां, तो उनकी कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गयी और उस समय उस भूमि की कुल कितना मुआवजा किस आधार पर किस रेट से आंका गया था ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही ही है ।

नगरपालिका, तिलहर (शाहजहांपुर) द्वारा आवास स्थल बनाने हेतु पट्टे पर भूमि का आवंटन

2--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1981 को कुछ अ० शा० पत्र मुख्य सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन मन्त्रालय, निदेशक, सैनिक कल्याण परिषद, जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को विभिन्न शासनादेशों के आधारों पर नगरपालिका, तिलहर (शाहजहांपुर) की कुछ भूमि कार्यरत सैनिक श्री अरविन्द कुमार को आवास स्थल बनाने हेतु पट्टे पर दिलाने के सम्बन्ध में भेजे गये थे ? यदि हां, तो किस स्तर से तथा क्यों इस कार्य के निराकरण में शिथिलता बरती जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार आवंटन हेतु आवेदित भूमि उपलब्ध नहीं है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

लखनऊ अलीगंज योजना के अन्तर्गत 33 के0 वी0 एच0 टी0 लाइन को शिफ्ट करके ग्रीन वेल्ट से ले जाने की अनुमति

3—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि लखनऊ अलीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में भू-खण्डों के ऊपर से जाने वाली 33 के0 वी0 ए0 एच0 टी0 लाईन को हटाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22-6-76 को रु0 51,584 का भुगतान किया जा चुका है तथा डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन द्वारा उक्त लाईन को शिफ्ट करके ग्रीन वेल्ट से ले जाने की अनुमति 3-1-80 को दी जा चुकी है, किन्तु इसके बावजूद भी अभी तक कार्य अपूर्ण है और भूखण्ड स्वामियों की शिकायतें दूर नहीं हो सकी हैं ? यदि हां तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारीगण दोषी है ? यह कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ? क्या उक्त विषय पर श्री नजीर अली, सेनेटरी सुपरवाइजर बिहारी लाल वैद्य मार्ग, छोटी रानी का इमामबाड़ा, लखनऊ का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 2-9-81 का भी प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

लखनऊ अलीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में 33 के0 बी0 एच0 टी0 लाईन को हटाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 22-6-76 को रु0 51,584/ का भुगतान नहीं किया गया है। यह भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 'सी' एवं 'डी' के ऊपर से जाने वाली 33 के0 वी0 ए0 एच0 टी0 लाइन को शिफ्ट करने के लिए जमा किया गया था। सेक्टर 'जी' एवं 'एल' के ऊपर से जाने वाली 33 के0 बी0 ए0 एच0 टी0 लाइन को शिफ्ट करने हेतु व्ययानुमान बनाने के लिए दिनांक 3-1-80 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट में होकर लाइन को शिफ्ट करने की सहमति दे दी थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, विद्युत वितरण खण्ड लखनऊ ने उपरोक्त कार्य का विस्तृत आगणन दिनांक 6-5-81 को रु0 1,99,222/ का बनाया। परन्तु यह धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद को नहीं दी गई। श्री नजीर अली, सेनेटरी सुपरवाइजर, बिहारी लाल वैद्य मार्ग, छोटी रानी का इमामवाड़ा लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 2-9-81 विकास प्राधिकरण लखनऊ में प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस पर कार्यवाही न किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र में 'ओवर हेड टैंक' बनाने की संस्तुति

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के अन्तर्गत चल रहे क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र को शासन द्वारा वर्ष 1972 में 23,000 रुपए की धनराशि 'ओवर हेड टैंक' बनाने के लिए तत्कालीन लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट की संस्तुति पर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त डिपार्टमेन्ट ने इस सम्बन्ध में कोई इस्टीमेट दिया था ? यदि हां, तो क्या उस अनुमान के आधार पर ही उक्त

टैंक बनान सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह टैंक क्या वास्तव में बना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ में सीमेन्ट घोटाला की विशेष अपराध अनुसंधान द्वारा जांच

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष 1980 और 1981 में लखनऊ में अनेक व्यक्तियों ने मन्त्रियों और संसद सदस्यों की व विधायकों की जाली संस्तुतियों पर काफी सीमेन्ट प्राप्त किया ? यदि हां, तो मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने व्यक्ति पकड़े गए ? इन लोगों के साथ कितने और लोग इस धंधे में शामिल थे ? उन्होंने कितनी बोरी सीमेन्ट प्राप्त किया, किन-किन मन्त्रियों, संसद सदस्यों व विधायकों की जाली संस्तुतियां की गयी थीं ? इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गयी, तब कब की जायगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

इस घोटाले में सम्मिलित 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी तथा उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये गये । प्रश्नगत मामले की विवेचना विशेष अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है । जिसके पूर्ण होने पर ही इस धंधे में शामिल अन्य व्यक्तियों की जानकारी तथा सीमेन्ट की मात्रा तथा मन्त्रियों, संसद सदस्यों व विधायकों की जाली संस्तुतियों की सही जानकारी हो सकेगी ।

लखनऊ नगर महापालिका के अन्दर कोल घर को हटाने की योजना

6--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि कील घर घनी बस्ती में नहीं होना चाहिए और इस सम्बन्ध में म्युनिसिपल नियम भी बने हैं ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगरमहापालिका के अन्दर राजेन्द्र नगर वार्ड में मा0 कन्हैया लाल रोड व ऐशबाग, मोती झील पर स्थित कील घर को हटाने के बारे में अनेक प्रतिवेदन शासन को और नगर महापालिका को दिए गए और उन पर क्या निर्णय हुआ कि यह कील घर कब हटाया जावेगा ? यदि नहीं, तब क्यों नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर वार्ड में मास्टर कन्हैया लाल रोड व ऐशबाग तथा मोतीझील पर स्थित कोलघर को हटाने के लिए प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन कील घरों को हटाने की योजना बनाने को लखनऊ नगर महापालिका को कह दिया गया है ।

लखनऊ नगर महापालिका में आई0 टी0 कालोनी पुरानी श्रमिक बस्ती भदेवां बिलौचपुरा में सीवर लाइन का कार्य

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका स्थित राजेन्द्र नगर वार्ड में स्थित ऐशबाग आई0 टी0 कालोनी से प्रारम्भ होने वाली पुरानी श्रमिक बस्ती, भदेवां, बिलौचपुरा होकर जाने वाली सीवर लाइन सन् 1979 से प्रारम्भ की गयी थी और 1980 में अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तब मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सीवर लाइन पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ ? इस सीवर लाइन को कब और क्यों अधूरा छोड़ दिया गया ? अब कब तक इस सीवर लाइन को पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगर महापालिका, लखनऊ के राजेन्द्र नगर वार्ड स्थित ऐशबाग आई0 टी0 कालोनी से प्रारम्भ होने वाली पुरानी श्रमिक बस्ती, भदेवां, बिलौचपुरा होकर जाने वाली सीवर लाइन का कार्य वर्ष 1979 में प्रारम्भ किया गया था जिसे धनाभाव के कारण वर्ष 1980 में छोड़ देना पड़ा । कराये गये कार्यों पर 1,30,985 रु0 का व्यय हुआ है । छठी पंचवर्षीय योजना काल में सीवर योजनाओं के लिए अत्यन्त सीमित धन उपलब्ध होने के कारण उक्त कार्य स्थगित है ।

नगर महापालिका लखनऊ में पार्क के रख-रखाव हेतु माली की नियुक्ति की व्यवस्था

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका के विकसित भदेवां क्षेत्र में नगर महापालिका ने 2 पार्क (पहला प्रकाश पुरम् और दूसरा मध्य भदेवां में) बनाये थे, किन्तु रख-रखाव नहीं रखा और न माली रखा ? यदि हां, तब मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों पार्कों के बनाने में कितना खर्च किया गया, कब तक इन पार्कों का रख-रखाव किया जायेगा और माली रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

दोनों पार्कों के बनाने में लगभग 32,500 रु0 व्यय किया गया । प्रकाश पुरम पार्क का निर्माण उस क्षेत्र में खुली हुई जमीन को बाउन्डरी वाल से घेर कर उसमें रेलिंग गेट व दूब घास लगाकर किया गया है । उक्त पार्क का उस क्षेत्र के बच्चों के खेल के पार्क के रूप में उपयोग किया जा रहा है । अतः रख-रखाव के लिए माली नहीं रखा गया है । भदेवां क्षेत्र में निर्मित पार्क में नगर महापालिका आगामी वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण करने की योजना बना रही है । पार्क बहुत छोटा होने के कारण वहां पूरे समय माली रखने की आवश्यकता नहीं है ।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका के मलिन बस्ती मो0 भदेवां में 1978 व 1979 में सड़कें, नालियां, गलियों में खड़ंजे और फुटपाथ बनाना प्रारम्भ किया गया और 1980 में काम रोक दिया गया ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में शेष सड़कें नालियां, गलियों, के खड़ंजे और फुटपाथ कब तक बनवायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शासन से मलिन बस्तियों को सुधारने के लिए कितना रुपया 1978-79, 1979–80 व 1980–81 में लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिला और उसमें से कितना रुपया इस बस्ती के सुधार के लिए खर्च किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

शेष कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही पूर्ण करने का प्रस्ताव है । मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्वीकृत की गयी धनराशि का विवरण इस प्रकार है :—

1978–79	2,35,000
1979–80	कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी ।
1980–81	कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी ।

प्रश्नगत बस्ती के सम्बन्ध में 77,254 रुपये विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है ।

लखनऊ नगर के फैजाबाद रोड पर स्थित मोहल्ला नारायनपुर में पेय जल की व्यवस्था

10—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजाबाद रोड पर स्थित एच0 ए0 एल0 कालोनी के पीछे मोहल्ला नारायनपुर नगर में पीने के पानी की सरकार ने दिनांक 30 नवम्बर, 1981 तक क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो सरकार पीने के पाईप लाइन बिछाने की व्यवस्था कब करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

कोई नहीं ।

यह क्षेत्र नगर महापालिका के सीमा क्षेत्र से बाहर है ।

जनपद देवरिया में ट्रक व ट्रेन द्वारा लाया गया सीमेंट तथा वितरण

11—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में 1 जनवरी, 1981 से 15 नवम्बर, 1981 तक ट्रेन एवं ट्रक द्वारा कितना-कितना बोरी सीमेंट आया है ? क्या यह सही ह कि ट्रेन द्वारा लाया गया सीमेंट नगरपालिकाओं एवं टाउन एरियाओं में ही वितरित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

देवरिया जिले में 1 जनवरी, 1981 से 15 नवम्बर 1981 तक ट्रेन से 64,954 बोरी तथा ट्रक से 25,42,506 बोरी सीमेंट लाया गया है ।

यह सही नहीं है कि ट्रेन द्वारा लाया गया सीमेंट नगरपालिकाओं एवं टाउन एरिया में ही वितरित किया गया है ।

नगरपालिका उन्नाव के कर्मचारियों का बकाया वेतन तथा मदवार व्यय

12—श्री गया सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका उन्नाव के कितने कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें शासनादेश के बावजूद इस वर्ष 1981 में दीपावली के अवसर के पहले यानी 26-10-81 तक उनका वेतन प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, उन्नाव ने वितरित नहीं किया तथा यह भी बताया जाय कि उस माह में किस-किस मद पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका, उन्नाव में केवल 151 कर्मचारी को पालिका द्वारा माह अक्तूबर, 1981 का वेतन अल्प समय होने के कारण उक्त तिथि (दिनांक 26-10-81) तक भुगतान नहीं किया जा सका था ।

पालिका का माह अक्तूबर, 1982 का मदवार व्यय विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 487 पर ।)

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डाक्टर तथा सीनियर और सेलेक्शन ग्रेड में अनुसूचित जाति के डाक्टरों की प्रोन्नति

13—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशीय सेवा में कुल कितने डाक्टर हैं उनमें कितने को अनुसूचित जाति के सीनियर और सेलेक्शन ग्रेड डाक्टर की प्रोन्नति दी गयी है और प्रोमोशन में आरक्षित पदों में कितने अनुसूचित जाति के पद अभी भी रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के डाक्टरों को प्रोन्नति न देकर के अन्य को प्रोन्नति देकर भर दिया गया है ? यदि हां तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में कुल 5986 पुरुष एवं महिला डाक्टर कार्यरत हैं। सीनियर स्केल में 3 अनुसूचित जाति के पुरुष डाक्टरों को प्रोन्नति की गई है। एक अधिकारी की प्रोन्नति का प्रस्ताव विचाराधीन है और 51 आरक्षित पद अभी भी रिक्त हैं। अनुसूचित जाति के 4 पुरुष डाक्टर स्पेशल ग्रेड के आरक्षित पदों पर प्रोन्नत किये गये हैं और 6 आरक्षित पद अभी भी रिक्त हैं।

महिला डाक्टरों में सीनियर स्केल के आरक्षित पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाली अनुसूचित जाति की 2 महिला डाक्टरों में से एक अनुपयुक्त पाई गई हैं और एक की प्रोन्नति का मामला विचाराधीन है। सीनियर स्केल के 12 आरक्षित पद अभी भी रिक्त हैं। सीनियर स्केल के महिला डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पेशल ग्रेड के सभी 4 आरक्षित पद सामान्य अधिकारियों से भर लिए गये हैं।

अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला डाक्टरों के उपलब्ध होने पर ही पात्रता क्षेत्र में आने वाले उपयुक्त डाक्टरों की सीनियर स्केल एवं स्पेशल ग्रेड के आरक्षित रिक्त पदों पर प्रोन्नति किये जाने पर विचार करना संभव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में तदर्थ नियुक्तियां

14—श्री हरी शंकर—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं0 529/12-सी-2—148/5-81 के अनुसार मुख्य मंत्री की पूर्व स्वीकृति के बिना सहकारी विभाग में तदर्थ नियुक्ति नहीं की जा सकती है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ द्वारा 1-2-81 से 3-11-81 तक कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गयीं ? क्या उन नियुक्तियों में मुख्य मन्त्री जी से पूर्व स्वीकृति ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में दिनांक 1-2-81 से 30-11-81 तक कुल 24 तदर्थ नियुक्तियां की गयीं। उक्त नियुक्तियों में मुख्य मन्त्री जी से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गयी। क्योंकि प्रश्नगत शासनादेश स्वायत्तशासी सहकारी संस्थाओं के रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है। शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं में रिक्त पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मन्डल के माध्यम से प्रासंगिक नियमों/विनियमों के अधीन की जाती है।

मुजफ्फरनगर के द्वारकापुरी में बने पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति

15—श्री हुकम सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर के द्वारकापुरी मोहल्ले में लगभग 2 वर्ष हुए पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है परन्तु अभी तक उक्त टंकी से पानी की सप्लाई आरम्भ नहीं की गयी जिसके कारण नई मंडी, द्वारकापुरी, गांधी कालोनी, पटेल नगर आदि बस्तियों के हजारों निवासियों को पानी की कमी की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? उक्त टंकी से पानी की सप्लाई कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मुजफ्फरनगर के द्वारकापुरी में बने पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ।

विद्युत् की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण पेयजल की कठिनाई है ।

गोरखपुर मन्डल में निलम्बित हुये सचिव

16--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर मन्डल में वर्ष 1980-81 में कितने सचिवों को निलम्बित किया गया तथा कितने के विरुद्ध गम्भीर आरोप जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया गया ?

श्री बच्चा पाठक--

गोरखपुर मन्डल में वर्ष 1980-81 में 37 सचिवों को निलम्बित किया गया जिनमें से किसी भी सचिव के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप प्रतिनिधियों द्वारा नहीं लगाया गया ।

श्री अवध नारायण सिंह, सेवा-निवृत्त फारमेसिस्ट की बकाया ग्रुप इंश्योरेन्स, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के भुगतान में विलम्ब तथा कृत कार्यवाही

17--श्रीमती गौरी देवी--

वर्ष 1981 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री अवध नारायण सिंह पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह (सेवा-निवृत्त फारमेसिस्ट), मुहल्ला छोटे काजीपुर, जनपद गोरखपुर को सेवा समाप्ति के बाद उनको मिलने वाली सभी प्रकार की धनराशि ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी तथा पेंशन आदि का भुगतान इस कारण नहीं किया गया कि श्री सिंह को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटहट द्वारा अभिलेख पूर्ण कराने हेतु बुलाये जाने पर श्री सिंह उपस्थित नहीं हुए ? यदि हां, तो दिनांक 20-5-81 को श्री अवध नारायण सिंह द्वारा पेंशन व ग्रेच्युटी से सम्बन्धित सभी अभिलेख पूर्ण करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटहट, गोरखपुर में जमा करने के बाद उनको मिलने वाली सभी धनराशि में अब विलम्ब का कारण क्या है ? और उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

18--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री अवध नारायण सिंह पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह (सेवा निवृत्त फारमेसिस्ट), मुहल्ला छोटे काजीपुर, जनपद गोरखपुर ने दिनांक 21-11-81 को एस0 पी0 एम0, वी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर को अपने सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाली सभी प्रकार की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में विलम्ब होने का शिकायती पत्र दिया है ? क्या

यह सच है कि दिनांक 1-5-81 को एस0 पी0 एम0 ने पत्र संख्या 663, दिनांक 4-5-81 को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटहट, गोरखपुर को यह आदेश दिया कि श्री अवध नारायण सिंह के अवशेष वेतन का बिल बना कर वेतन संगणना के बाद उनके निर्धारित प्रपत्र में पेंशन के कागजात शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर अधोहस्ताक्षरी (एस0 पी0 एम0) के पास प्रस्तुत करें ? यदि हां, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती पुष्पा तिवारी, महिला चिकित्सक, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप

19---श्री यशपाल सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती पुष्पा तिवारी, महिला चिकित्सक, राजकीय महिला चिकित्सालय, राजा का सहसपुर बिलारी, जनपद मुरादाबाद अक्टूबर, 1980 में रिश्वत लेने के अभियोग में रंगे हाथ पकड़ी गयी थीं ? यदि हां, तो उनके अभी भी कार्यरत होने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति---

श्रीमती पुष्पा तिवारी, नामक कोई भी महिला चिकित्सक, राजकीय महिला चिकित्सालय, राजा का सहसपुर बिलारी, जनपद मुरादाबाद में कार्यरत नहीं हैं ?

20---श्री राम आसरे वर्मा---

[21-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 149 द्वारा उत्तरित ।]

लखनऊ मास्टर प्लान में किये गये परिवर्तन

21---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान में कौन-कौन से संशोधन किये गये हैं और क्या मन्त्री जी उक्त संशोधनों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

लखनऊ महायोजना में अब तक कुल 10 भू-उपयोग परिवर्तन शासन द्वारा किये गये हैं । सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 488 पर ।)

नगरपालिका, बांदा के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

22---प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिग्रहण द्वितीय, लखनऊ के दिनांक 19-12-80 के निर्णय के अनुसार बांदा नगरपालिका के कर्मचारी 30-11-81 तक सेवा में पूर्ववत् कार्यरत कर लिए गये हैं ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं । अधिकरण के निर्णय पर कार्यवाही नगरपालिका द्वारा अपेक्षित है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में अपने गृह जनपदों में नियुक्त सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता एवं उनका स्थानान्तरण

23--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कितने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता अपने गृह जनपदों में नियुक्त हैं ? क्या उनको जनपदों से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 जल निगम में कार्य प्रभारी अधिष्ठान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी निर्णय तथा जे0 डी0 एच0 व ए0 डी0 का वेतन

24--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों में उ0 प्र0 जल निगम में कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का मासिक वेतन, दैनिक भत्ता व अन्त भत्तों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने का आधार क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

25--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

उपरोक्त सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री यह भी बतायेंगे कि रिग मशीनों के जे0 डी0 एच0, ए0 डी0 का वेतन कम्प्रेशर ड्राइवरों व ट्रक व ट्रैक्टर ड्राइवर से कम रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनके वेतनों में शासन द्वारा कोई संशोधन किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अस्थायी निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर में वरिष्ठ पम्प आपरेटरों का वेतन

26--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, गोरखपुर में वरिष्ठ पम्प आपरेटरों को नए

अधिशासी अभियन्ता द्वारा पम्प अटेंडेंट बनाकर कम वेतन दिया जा रहा है व नये भर्ती व्यक्तियों को अधिक वेतन दिया जा रहा है जो कि कम शिक्षित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 जल निगम में विद्युत् यांत्रिक शाखाओं में कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों का नियमितीकरण

27—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में विभिन्न विद्युत् यांत्रिक शाखाओं में कार्य प्रभारी अधिष्ठान में कुल कितने पम्प आपरेटर, पम्प अटेन्डेंट जे0 डी0 एच0 व ए0 डी0 रिग मशीन, ट्रैक्टर व ट्रक ड्राइवर, जीप ड्राइवर तीन साल से अधिक समय से कार्यरत हैं व उनकी वरिष्ठता सूची क्या है तथा क्या यह भी बतायेंगे कि गत दो-तीन वर्षों में उपरोक्त कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों को रेगुलर करने हेतु उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो निर्णय क्या था व कुल कितने कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारी रेगुलर किए गये और नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को रेगुलर न करके कनिष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची का उल्लंघन करके रेगुलर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व वरिष्ठ कर्मचारियों को कब तक रेगुलर कर दिया जायगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 जल निगम में विद्युत् व यांत्रिक संवर्ग के अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

28--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में विद्युत् व यांत्रिक संवर्ग के कुल कितने अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता वर्तमान समय में कार्यरत हैं व कुल कितनी जगहें रिक्त हैं व उनको यदि जगहें रिक्त हैं तो कब तक नियमित नियुक्तियों से पूरा करा लिया जावेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत् व यांत्रिक संवर्ग के 27 अधिशासी अभियंता व 7 अधीक्षण अभियंता कार्यरत हैं । कोई पद रिक्त नहीं है जिससे नियुक्तियां करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम के पम्प आपरेटरों को पम्पों के हस्तान्तरण के बाद अन्य योजनाओं में हस्तान्तरित करने के आदेश

29—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के पम्प आपरेटर विभिन्न नगरपालिकाओं आदि के नलकूपों के हस्तान्तरण के पहले तक उन पम्पों पर कार्य करते हैं, उन्हें पम्पों व नलकूपों के हस्तान्तरण के बाद सम्बन्धित नगरपालिकाओं द्वारा अपने चार्ज में नहीं लिया जाता है व उन पम्प आपरेटरों के सामने पम्पों आदि के हस्तान्तरण के बाद रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जाती है ? यदि हां, तो क्या योग्य पम्प आपरेटरों को पम्पों के साथ-साथ सम्बन्धित नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित करने के आदेश सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं को दिए जायेंगे और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जल निगम के जो पम्प आपरेटर विभिन्न नगरपालिकाओं आदि को पम्पों के हस्तान्तरण के पहले रखे जाते हैं, उन्हें पम्पों के हस्तान्तरण के बाद जल निगम की अन्य योजनाओं पर रख लिया जाता है ।

उ0 प्र0 जल निगम में कार्यरत अनुरक्षण शाखायें तथा अभियन्ता के रिक्त पद

30—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में वर्तमान में कुल कितनी अनुरक्षण शाखायें कार्यरत हैं व उनमें सिविल व विद्युत् यांत्रिक संवर्ग के कुल कितने अभियन्ता अलग-अलग कार्यरत हैं व उनके शाखाधिकारी किस संवर्ग के हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उत्तर प्रदेश जल निगम में वर्तमान में दो अनुरक्षण शाखायें हैं जिनको केवल ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य सौंपा गया है । इनमें सिविल संवर्ग के 36 तथा विद्युत् एवं यांत्रिक संवर्ग के 12 अभियंता कार्यरत हैं । इन दोनों के शाखाधिकारी सिविल संवर्ग के हैं ।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं सेन्टर, जिला वाराणसी के उच्चीकरण की योजना

31—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं सेन्टर, बरवां बाजार, ब्लाक भदोही, जिला वाराणसी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र योजना के अन्तर्गत उच्चीकृत करने की योजना है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बर्खा खास के निवासियों ने उक्त कार्य के लिए जमीन भी दे दिया है तो इसका उच्चीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले में साधन सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को लाभांश का वितरण

32—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला में साधन सहकारी समितियों द्वारा अपने मेम्बरों को वितरित 4 वर्षों से मुनाफा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

देवरिया जिले में साधन सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को प्रश्नगत अवधि में अंशों पर लाभांश का वितरण नहीं किया गया । उसका मुख्य कारण यह है कि वितरण योग्य लाभ की धनराशि अतिदेय ब्याज की धनराशि से कम रही है ।

33—श्री प्रभु नारायण सिंह—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

34—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद बांदा में हैन्ड पम्पस् लगाने का प्रस्ताव

35—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नगर क्षेत्र बांदा में 10 हैन्ड पम्पस लगाने का प्रस्ताव वर्ष 81 में जन प्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

नगरीय पेयजल योजनाओं के कार्य के लिये अत्यन्त सीमित धन उपलब्ध होने के कारण यह कार्य कराना सम्भव नहीं हो सका ।

36—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बुन्देलखंड में हैन्ड पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार

37—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन बुन्देलखंड में पेयजल सुविधा पाइप लाइनों के स्थान पर हैन्ड पम्पस के माध्यम से उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

हैन्ड पम्प द्वारा उन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है जहां पेयजल का अभाव है एवं सूखे के समय कुएं आदि सूख जाते हैं ।

परिवार कल्याण योजना में जिला स्वास्थ्य तथा शिक्षा सूचनाधिकारी पदों का सृजन

38—श्री जंगबहादुर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण योजना में जिला स्वास्थ्य (शिक्षा) तथा शिक्षा सूचनाधिकारी पदों का सृजन प्रदेश स्तर पर करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनका सृजन कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ का सुन्दरीकरण तथा शो रूम गैलरी के नाम पर दुकानों को बनाने का प्रस्ताव

39—श्री मारकन्डेय चन्द—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ में नगरमहापालिका रोड की ओर मुंह करके जो 12 शो रूम बनाये गये थे और जिसके हाते को सुन्दरीकरण करने का प्रस्ताव था और सड़क पर अन्दर जाने और बाहर जाने के लिए गेट बनाना था वह अभी तक पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और शो रूम नं0 12 के सामने शो रूम गैलरी के नाम पर उत्तर से दक्षिण की ओर दुकाने बनाने का प्रस्ताव है ? क्या यह सही है कि उक्त दुकानों के बनाने से शो रूम नं0 12 छिप जायेगा ? यदि हां, तो क्या इस शो रूम गैलरी के नाम पर दुकानों को बनाने का प्रस्ताव समाप्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

गेट बनाने का प्राविधान नहीं था ।

दुकानों के बनाने का प्रस्ताव समाप्त किया जा चुका है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर, मुजफ्फरनगर में डी0 डी0 टी0 का स्प्रे

40—श्री अकबाल हुसैन—

[28-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 162 द्वारा उत्तरित]

41—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा कुबेर मंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, मुजफ्फरनगर पर प्राप्त डी0 डी0 टी0 को जिला मलेरिया अधिकारी, मुजफ्फरनगर

ने जांच के दौरान अनुपयुक्त पाने पर अपने पत्र दिनांक 12-11-81 के द्वारा उक्त डी0 डी0 टी0 का स्प्रे न करने का निर्देश दिया था ? प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, शाहपुर ने उच्च निर्देश का पालन न करते हुए उक्त डी0 डी0 टी0 का स्प्रे दिनांक 4-11-81 से 15-11-81 तक करा कर भारी राजकीय धन का अपव्यय किया है ? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जिला मलेरिया अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर पर प्राप्त डी0 डी0 टी0 की न तो जांच की और न उसको स्प्रे न करने के दिनांक 12-11-81 को कोई आदेश दिए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर पर प्राप्त डी0 डी0 टी0 ठीक थी और उसका फीकल स्प्रे दिनांक 9-10-81 से 15-10-81 तक कराया गया ।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में कार्यरत तृतीय श्रेणी/दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी

42--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में 10-12-1981 तक कितने तृतीय श्रेणी (एडहाक) डेली वेजेज कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनके नाम, पद तथा किस लिए ब्रांच में कब से कार्य कर रहे हैं ? इसकी सूचना मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

दिनांक 10-12-81 तक उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में तदर्थ दैनिक वेतन पर 100 कर्मचारी कार्यरत थे तथा विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना में 149 कर्मचारी उक्त तिथि को कार्यरत थे । कर्मचारियों के नाम पद तथा ब्राचों में उनके कार्यकाल की सूची मेरे कार्यालय में माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

नगरपालिका, अकबरपुर, फैजाबाद में कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

43--श्री प्रियदर्शी जतली--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, अकबरपुर, फैजाबाद के अन्तर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची, ज्येष्ठता के नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाई गई है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त ज्येष्ठता सूची को नियमित करते हुए जिम्मेदार दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों को दंडित करेगी ? क्या अवैधानिक पदोन्नतियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर ज्येष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका, अकबरपुर, फैजाबाद में कर्मचारियों की कोई ज्येष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

ज्येष्ठता सूची नियमानुसार तयार हो जाने के बाद अनियमित पदोन्नतियों को ठीक करने की कार्यवाही पालिका द्वारा अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री क्षत्रधारी लाल श्रीवास्तव भूतपूर्व कैशियर, केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार लि0, गोरखपुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

44—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री क्षत्रधारी लाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व कैशियर (गोडाउन कीपर) थोक, केन्द्रीय उपभोक्ता भन्डार लि0, गोरखपुर के सम्बन्ध में विधायक श्री कैलाश प्रसाद सहित अनेक विधायकों ने दिनांक 16-9-80 को कोई पत्र लिखा था? यदि, हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

विचारोपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी। श्री श्रीवास्तव को न्यायालय द्वारा दोषी पाया जा चुका था।

नन्द बल्लभ जोशी, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, मुरादाबाद के स्थानान्तरण का स्थगन तथा विशेष अनुसंधान, सहकारिता पुलिस बरेली द्वारा जांच

45—श्री जीराज सिंह मौर्य—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द बल्लभ जोशी, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जनपद मुरादाबाद के स्थानान्तरण आदेश तथा जांच आदेश जनपद के विधायकों की शिकायत पर मुख्य मन्त्री द्वारा 15-10-81 को किए गये थे उन आदेशों का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ?

श्री बच्चा पाठक—

उक्त आदेश के अनुपालन में जांच की जा रही है। पुनर्विचार करने के उपरान्त फिलहाल स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया है।

46—श्री जीराज सिंह मौर्य—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द बल्लभ जोशी, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां,, मुरादाबाद के भ्रष्टाचार की जांच उपाधीक्षक विशेषअनुसंधान सहकारिता, पुलिस, बरेली के द्वारा की जा रही है? जांच कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री बच्चा पाठक—

विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा जांच की जा रही है, जो यथाशीघ्र पूर्ण की जायेगी ।

विकास खंड जलालपुर, जनपद जौनपुर हेतु ग्रामीण गोदाम का निर्माण

47—श्री प्रभ नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम कुसिया का बीज गोदाम गत 2 वर्षों से निर्माणाधीन है और भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी इसका निर्माण अभी तक नहीं कराया गया ? क्या क्षेत्रीय जनता के खाद्य, बीज एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करान हेतु इस बीज गोदाम का शीघ्र निर्माण कराया जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति खरांव, विकास खण्ड जलालपुर, जनपद जौनपुर के लिए वर्ष 1979–80 में स्वीकृत ग्रामीण गोदाम का निर्माण ग्राम कुसिया में माह नवम्बर, 1980 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य छोड़ देने के कारण गोदाम का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है । इस गोदाम का पूर्ण निर्माण कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ।

नगरपालिका बांदा के विरुद्ध विजयी हुये कर्मचारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट तथा वेतन भुगतान

48—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ व उच्च न्यायालय से भी निर्णय होने के उपरान्त नगरपालिका, बांदा के विरुद्ध 5 विजयी हुए कर्मचारियों में से 3 ने दिनांक 13–1–81 को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी थी उनको आज तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया ? और क्या दिनांक 13–1–81 से उन्हें वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रश्नगत कर्मचारियों को अभी वेतन भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड, गोखिया के सचिव के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

49—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को जनपद बांदा की गोखिया क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड, गोखिया के सचिव के द्वारा की

गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के लिए जुलाई, 81 में कोई प्रार्थना-पत्र हरिजनों से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जुलाई, 81 में नहीं अपितु 11 अगस्त, 1981 को जिलाधिकारी, बांदा को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच परगनाधिकारी द्वारा की गई थी । जांच में सचिव को दोषी पाए जाने के कारण स्थानान्तरित कर दिया गया है । सचिव को निलम्बित करने तथा उनके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु आदेश दे दिया गया है ।

श्री छंगू, निवासी ग्राम रसूलाबाद, जिला बाराबंकी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली में हुयी नसबन्दी

50—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रसूलाबाद, जिला बाराबंकी के छंगू की नसबन्दी कर दी गयी है, जो नाबालिग है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि चिकित्साधिकारी ने इसकी उम्र 28 वर्ष और कई बच्चों का पिता बताया है ? उक्त नसबन्दी पी० एच० सी० रुदौली, जिला बाराबंकी में की गयी है या सदर अस्पताल, बाराबंकी में किया गया है? इसका पूरा ब्यौरा क्या है और उन डाक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

श्री छंगू, निवासी ग्राम रसूलाबाद, जिला बाराबंकी की नसबन्दी दिनांक 16 अक्टूबर, 1981 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली में हुई थी । श्री छंगू नाबालिग नहीं है । शिकायत होने पर इसकी जांच करने पर व आवश्यक एक्सरे लेने के पश्चात् श्री छंगू की आयु 24 से 28 वर्ष के बीच पायी गयी थी । श्री छंगू ने स्वयं भी अपने को दो बच्चों का पिता बताया था । श्री छंगू ने इसी भांति का अपना बयान तहसीलदार, रामसनेही घाट के समक्ष भी दिनांक 26-10-81 को दिया गया था तथा ऊपर दी गयी आयु तथा बच्चों के होने की बात कही थी । अतः चिकित्सा अधिकारी द्वारा गलत आयु बताने का प्रश्न नहीं उठता है । श्री छंगू की नसबंदी दिनांक 16-10-81 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुदौली, जिला बाराबंकी में की गयी थी । इनकी नसबन्दी के बारे में शिकायती पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक जांच संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल द्वारा की जा चुकी है । सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि शिकायत में तथ्य नहीं पाये गये ।

प्रदेश के समस्त मैदानी तथा पहाड़ी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य एवं अनाज की आपूर्ति के आवंटन का आधार

51—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गांवों में सरकारी राशन की दुकानों से शक्कर, अनाज, तेल आदि चीजें प्रति कार्ड के हिसाब से दी जाती हैं या प्रति यूनिट के हिसाब से ? क्या सरकार स्पष्ट आदेश करने का कष्ट करेगी कि सारे जीवनोपयोगी पदार्थ प्रति इकाई के हिसाब से ही दिए जायें ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रदेश के समस्त मैदानी देहाती क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से शक्कर तथा तेल (यदि तेल का आशय मिट्टी तेल से है) प्रति कार्ड के हिसाब से तथा अनाज एवं खाद्य तेल की आपूर्ति उनकी उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार की जाती है। प्रदेश के समस्त पहाड़ी जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न व शक्कर प्रति यूनिट के हिसाब सम्पूर्ति की जाती है। वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक है। अतः इसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद गोण्डा, कानपुर व देवरिया में कार्यरत जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी

52--श्री रामस्वरूप निम--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोंडा, कानपुर व देवरिया में 2-2 जिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी क्यों कार्यरत हैं जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का एक ही पद शासन द्वारा स्वीकृत है ?

श्री लोकपति--

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ पीठ द्वारा दिये गये स्थगन आदेशों के फलस्वरूप जनपद गोण्डा तथा कानपुर में दो-दो जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी कार्यरत हैं। जनपद देवरिया में केवल एक ही जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी नियुक्त है।

नगरपालिका गाजीपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र

53--श्री राम नारायण सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका गाजीपुर के अधिशासी अभियन्ता (श्री कैलाश राय) के तथा नगरपालिका, गाजीपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 22-7-81 एवं 23-7-81 को सरकार को शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्रों के आधार पर कौन-कौन ठोस एवं प्रभावी कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां। उक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की सहायक लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

गाजीपुर नगर के विकास एवं सुधार हेतु यूनीसेफ द्वारा प्रदान की गयी धनराशि

54--श्री राम नारायण सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर के विकास एवं सुधार हेतु वर्ष 1980 एवं 1981 में यूनीसेफ द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गयी है और किन-किन मदों पर कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है ? क्या सरकार गाजीपुर नगर को मास्टर प्लान में लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई । अतः व्यय का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मृत श्रीमती सुभद्रा बर्मा, परिवार समाज कल्याण कार्यकर्ता के वारिसों को अवशेष देयों की व्यवस्था तथा पुत्री अनीता को सेवा में लिये जाने हेतु विचार

55--श्री राम नारायण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुभद्रा वर्मा पत्नी श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबर्ट्सगंज, जनपद मिर्जापुर में परिवार समाज कल्याण कार्यकर्ता (एफ0 डब्लू0 डब्लू0) पर नियुक्त रहीं और इनकी हत्या 3 सितम्बर, 1980 को कर दी गयी ? तथा मृतक के वारिसान को जीवन निर्वाह की कौन सी व्यवस्था की गई है ? क्या उक्त मृतक की पुत्री कुमारी अनीता, एम0 ए0, बी0 एड0 ने राजकीय सेवा हेतु सरकार को कोई प्रार्थनापत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कौन से कदम उसके प्रार्थना-पत्र पर उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

मृतक के वारिसान को मृतक के अवशेष देयों (जीवन बीमा, जी0 पी0 फण्ड) तथा पारिवारिक पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है । मृतक की पुत्री कुमारी अनीता को सेवा में लिये जाने हेतु विचार किया जा रहा है ।

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री प्रवीन कुमार अग्रवाल, जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध आरोपों की जांच

56--श्री मंजूर अहमद--

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 1-7-81 को प्राप्त हुआ है जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत प्रवीन कुमार अग्रवाल, जू0 इंजीनियर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हुये स्थानान्तरण कराने एवं आरोपों की जांच कराने की मांग की गई ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

जांच की गई । कोई अनियमितता नहीं पायी गई । अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

सैदपुर स्थित सहकारी शीतगृह की वर्तमान भण्डारण क्षमता

57—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में स्थित सैदपुर शीतगृह की वर्तमान समय में भण्डारण क्षमता कितनी है ? इसमें वर्ष 1980 व 1981 में अलग-अलग कितना भण्डारण किया गया ? क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में बड़े काश्तकारों तथा व्यापारियों को विशेष अवसर प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

सैदपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, जनपद गाजीपुर द्वारा संचालित सैदपुर स्थित सहकारी शीतगृह की वर्तमान भण्डारण क्षमता 2,400 मी0 टन है ।

उसमें वर्ष 1980 में 2,123 मी0 टन तथा वर्ष 1981 में 2,616 मी0 टन आलू भण्डारित किया गया ।

जी नहीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान लिपिक, मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया की पेन्शन का भुगतान

58—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान लिपिक, मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया को अवकाश ग्रहण किये तीन वर्ष से अधिक हो गया और इन्हें पेन्शन का भुगतान नहीं प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका भुगतान कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

श्री राजेन्द्र सिंह, प्रधान लिपिक 30 सितम्बर, 1979 को सेवानिवृत्त हुए । इनके सेवाकाल के दौरान इन्हें सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उत्कोच लेते हुए पकड़ा गया और मुकदमा चलाया गया । मुकदमें का निर्णय प्राप्त हो गया है और उसके प्रकाश में पेन्शन स्वीकृत करने का मामला विचाराधीन है ।

सैदपुर सहकारी शीत गृह में आलू बीज की भंडारण क्षमता

59—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में स्थित सैदपुर सहकारी शीत गृह में वर्ष 1981 में छोटे काश्तकारों तथा सहकारी क्रय-विक्रय सदस्यों का आलू बीज के लिए भी नहीं रखा गया ? तथा भंडार गृह निर्धारित तिथि से पूर्व ही बन्द कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? शीत गृह की प्रतिदिन की भंडारण क्षमता कितनी है ? क्या भंडारण क्षमता से अधिक दैनिक भंडारण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

जी हां । संदपुर सहकारी शीतगृह में आलू भंडारण कार्य दिनांक 29-3-81 को भंडारण क्षमता से भी अधिक आने के फलस्वरूप बन्द कर दिया गया ।

शीतगृह की प्रतिदिन की नहीं अपितु सम्पूर्ण भंडारण क्षमता 2,400 मी0 टन है ।

जी हां । आलू की अधिक आमद होने के कारण 216 मी0 टन आलू क्षमता से अधिक भंडारित किया गया ।

कृषक सहकारी सेवा समिति, किठौर, जनपद मेरठ के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध गबन तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

60—श्री मंजूर अहमद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे दिनांक 20-8-81 को कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ जो कृषक सहकारी सेवा समिति, किठौर, जनपद मेरठ के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा लगभग 5 लाख रुपयों के गबन से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बच्चा पाठक—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-8-81, जिसमें प्रश्नगत समिति के सन्दर्भ में 3,44,000 रुपये के गबन और लाखों रुपये के भ्रष्टाचार का उल्लेख था, संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ । इस मामले की जांच विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता द्वारा उच्च प्राथमिकता के आधार पर कराई जा रही है ।

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री सवेश मित्तल, अवर अभियन्ता के निलम्बन की मांग

61—श्री मंजूर अहमद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 1 जुलाई, 1981 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री सवेश मित्तल, अवर अभियन्ता के निलम्बन की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी, हां ।

प्राधिकरण ने श्री मित्तल को दोषी नहीं पाया और उन्हें निलम्बित करना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

परिवार कल्याण कर्मचारी एवं मातृ-शिशु कर्मचारियों की सेवा समाप्ति शासनादेश की निरस्ति

62--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 1981 प्राप्त हुआ जो परिवार कल्याण कर्मचारी एवं मातृ-शिशु कर्मचारियों की सेवा समाप्ति सम्बन्धी शासनादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोक पति--

जी नहीं ।

भंडारागार निगम के वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

63--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि भंडारागार निगम के वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध जांच समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 22, 23 पर गम्भीर आरोप लगाकर उन्हें तुरन्त हटाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् की वेयर हाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विधान परिषद कार्यालय ने सूचित किया है कि उक्त प्रति वेदन की मुद्रित प्रतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । प्रतिवेदन की एक अमुद्रित, संलग्नकों रहित प्रति विधान परिषद् से दिनांक 1-2-82 को विभाग को प्राप्त हुई है ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 23 पर यह उल्लेख किया गया है कि समिति महालेखाकार के विभाग से निगम द्वारा लिए गये प्रतिनियुक्ति पर, वित्तीय सलाहकार के पद पर, कार्य करने वाले अधिकारियों के विषय में संस्तुति करता है कि शासन द्वारा उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए कि उनके विभाग में कार्यरत रहने की अवधि में महालेखाकार कार्यालय में अपने प्रभाव का प्रयोग कर लेखा परीक्षा के मध्य उठायी गई गम्भीर अनियमितताओं को कहीं समाप्त तो नहीं करा दिया गया, जिसके कारण राज्य भण्डारागार निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ी हो ।

प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है ।

गाजीपुर नगरपालिका द्वारा राजकीय कन्या इन्टर कालेज के चहारदीवारी में गलत निर्माण को रोकने के विरुद्ध कार्यवाही

64--श्री राम नारायण सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका द्वारा राजकीय कन्या इन्टर कालेज के चहारदीवारी एवं मुख्य द्वार से सटी दुकानें बनाई जा रही हैं और उक्त निर्माण को सदैव के लिए रोकने के लिए उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं संरक्षक समिति ने जिलाधिकारी, गाजीपुर को दिनांक 30-6-81

को प्रार्थना-पत्र दिया था ? क्या सरकार उक्त विद्यालय के शुद्ध वातावरण को बनाये रखने के लिए इस गलत निर्माण को तत्काल रोकने के लिए कौन सा कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर नगर और बांसगाव तहसील म मस्जिदों व मन्दिरों के निर्माण के लिए सीमेन्ट की आपूर्ति

65--श्रीमती गौरी देवी--

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोरखपुर नगर और बांसगांव तहसील में मस्जिदों व मन्दिरों के निर्माण के लिए जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 तक कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया ? किन-किन अभ्यर्थियों को सीमेंट उपलब्ध कराई गई ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिना नक्शों की स्वीकृति के बनाए गए अनधिकृत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मुकदमों पर कार्यवाही

66--श्रीमती गौरी देवी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण में बिना नक्शा भवनों के कितने मुकदमें लम्बित हैं और विगत 3 सालों में कितने मुकदमे कायम किए ? क्या यह सच है कि विकास प्राधिकरण के सचिव ने जुर्माना लगाकर बहुत से मुकदमों को समाप्त कर दिया जिससे अवैध भवनों के निर्माण में वृद्धि हो गई ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की जायेगी और नक्शा स्वीकृत (पास) करने के लिए एक निश्चित तिथि या समय निर्धारित की जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

माह नवम्बर, 1981 के अन्त में बिना नक्शों की स्वीकृति के बनाए गए अनधिकृत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लम्बित मुकदमों की संख्या 2,205 है । गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 में कुल 1,432 मुकदमे कायम किए गए । अनधिकृत एवं अवैध रूप से निर्मित भवनों के प्रकरणों में, जो प्रकाश में आए, उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग ऐन्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा 32 के प्राविधानों के अनुसार शमन शुल्क लगाकर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है । इस कार्यवाही से अवैध भवनों के निर्माण में वृद्धि नहीं हुई ।

गोरखपुर नगर के गांधी पार्क का क्षेत्रफल तथा अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्यवाही

67--श्रीमती गौरी देवी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर नगर के गांधी पार्क का क्षेत्रफल क्या है ? क्या गोरखपुर नगर के गांधी मैदान, जिसमें गांधी

पार्क भी स्थित है, की जमीन पर अनेक व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो नगरपालिका अवैध कब्जा हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

गांधी पार्क नगरपालिका, गोरखपुर के प्रबन्ध में नहीं है । अस्तु प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

68--श्री कन्हैया लाल--

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

जिला चिकित्सालय, गोंडा में वरिष्ठ महिला चिकित्सक के पद का सृजन

69--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, गोंडा में वरिष्ठ महिला चिकित्सक के पद का सृजन हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त पद पर वरिष्ठ महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक हो रही ह ?

श्री लोकपति--

शासनादेश संख्या 5691/2-से0 3-5-7 (100) 77, दिनांक 23-10-80 में नव सृजित 12 पदों में से एक पद को वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, महिला अस्पताल गोंडा में प्रयोग में लाये जाने की अनुमति दी गई है तथा इस पद पर दिनांक 24-12-81 को डा0 (कु0) बी0 एल0 भोजवानी की तैनाती कर दी गयी है ।

70--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

[21-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित ।]

डाक्टर एस0 सी0 सक्सेना, डी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

71--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1979 में सिटी मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ ने एक शिकायत के आधार पर डा0 एस0 सी0 सक्सेना, डी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध जांच की थी ? यदि हां, तो शिकायत में क्या आरोप थे और जांच के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद रामपुर के स्वार नगर, तहसील चिकित्सालय के भवन का नवीनीकरण

72--श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद रामपुर के स्वार नगर, तहसील चिकित्सालय के भवन का नवीनीकरण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीमेन्ट वितरण के लिए लाइसेंस देने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने के आदेश

73--श्री जयदीप सिंह--

क्या यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है कि सीमेन्ट वितरण के लिए लाइसेंस देने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो कब तक शासन इस पर निर्णय ले लेगा ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस प्रस्ताव पर विचार करेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

सीमेन्ट वितरण के लिए लाइसेंस देने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने के शासन के स्थायी आदेश हैं ।

जिला परिषद् के वेक्सीनेटरों को एम0 पी0 डब्लू0 स्कीम में लेने पर विचार

74--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0 प्र0 के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत जिला परिषद् के वेक्सीनेटरों, जिनको एम0 पी0 डब्लू0 की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, को एम0 पी0 डब्लू0 स्कीम में सम्मिलित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

जिला परिषद् एक स्थानीय निकाय है । अतः जिला परिषद् के वेक्सीनेटरों को एम0 पी0 डब्लू0 स्कीम में लेने पर तभी विचार किया जा सकेगा जब इन स्थानीय निकायों का प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा ।

जिला परिषदीय ए0 एस0 बी0 (सहायक टीका अधीक्षक) को एम0 पी0 डब्लू0 स्कीम में सम्मिलित करने पर विचार

75--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदीय ए0 एस0 बी0 (सहायक टीका अधीक्षकों) को पी0 एम0 ए0 की तरह एम0 पी0 डब्लू0 स्कीम में सम्मिलित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना (एम0 पी0 डब्लू0 स्कीम) भारत सरकार के निर्देशानुसार चलाई जा रही है । जिला परिषदीय ए0 एस0 बी0 (सहायक टीका अधीक्षक) को इस योजना में सम्मिलित करन के लिए भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं ।

स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेटर तथा ए० एन० वी० (सहायक टीका अधीक्षक) का प्रान्तीयकरण पर विचार

76--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों में कार्यरत समस्त डाक्टरों, कम्पाउण्डरों तथा सेनेट्री इंस्पेक्टरों का प्रान्तीयकरण प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हो गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जिला परिषद् के स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेटर तथा ए० एन० वी० (सहायक टीका अधीक्षक) का प्रान्तीयकरण स्वास्थ्य विभाग में नहीं किया जा रहा है ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारी श्री आर० एन० लाल जौहरी की सेवा समाप्ति तथा मेडिकल असिस्टेन्ट के पद पर पुर्न-नियुक्ति करके वेतन का पुनर्निर्धारण

77--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य परिवार नियोजन अधिकारी, लखनऊ के आदेश संख्या एफ० पी० ई०-53-67-2278, दिनांक 8-1-68 द्वारा श्री आर० एन० लाल, जौहरी की सेवायें दिनांक 3-3-68 से किन कारणों से समाप्त कर दी गई थीं ? और पुनः सेवा में लिए जाने के उपरान्त शासनादेश सं० 4837/XVI-(1)-एफ० पी० 239/68, दिनांक 10-10-68 के अनुसार उनका मामला पुनरीक्षित क्यों नहीं किया गया और इस प्रकार उनकी सेवा में हुए व्यवधान को अभी तक समाप्त करके वेतन का पुनर्निधारण क्यों नहीं किया गया ? इस मामले में क्या कार्यवाही, किस स्तर पर लम्बित है ?

श्री लोकपति--

श्री आर० एन० लाल जौहरी, जिनकी तदर्थ व अस्थायी नियुक्ति परिवार कल्याण विभाग में थी, की सेवायें जिला परिवार कल्याण ऐक्शन कमेटी, मुरादाबाद के द्वारा की गई संस्तुति पर कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण एक माह की नोटिस के साथ समाप्त कर दी गई थी ।

शासनादेश सं० 4837/1-11-एफ० पी०-239/68, दिनांक 10-10-68 जो समस्त जिला अधिकारियों को सम्बोधित था, के तहत जिला अधिकारी, मुरादाबाद को ही पुनः विचार करना था । दिनांक 10-10-68 अथवा उपरोक्त शासनादेश की निर्गत तिथि को ही श्री जौहरी ने अपने पूर्वपद पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र निदेशक, स्वास्थ्य (चेचक उन्मूलन) को दिया था । उसी के आधार पर चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत उनकी नई नियुक्ति पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट के पद पर दिनांक 19-12-1968 को कर दी गई । श्री जौहरी से प्राप्त आवेदन-पत्र पर उनकी सेवाओं के व्यवधान को समाप्त करके वेतन के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के प्रमोशन का आधार

78--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में कितने परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों का कब-कब स्केल प्रमोशन किया गया ? क्या यह वरिष्ठता सूची के आधार पर किया गया ? यदि हां, तो वरिष्ठ सहायकों को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

79--श्री हरीशंकर--

[5 वें गुरुवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर नगरपालिका द्वारा झारखण्डी टुकड़ा नवम्बर 1 के ग्राम-वासियों का पुलिया के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

80--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर नगरपालिका द्वारा झारखन्डी टुकड़ा नम्बर 1 के ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र उसी गांव पर एक पुलिया के निर्माण हेतु प्राप्त किया गया था ? क्या प्रश्नकर्ता ने भी इस सम्बन्ध में रामगढ़ ताल के मछली की नीलामी की आय से इस पुलिया को बनवाने का आग्रह किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो आखिर क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मौजा महादेव झारखन्डी, टुकड़ा नं0-1 के ग्रामवासियों का सामूहिक प्रार्थना पत्र उसी गांव पर एक पुलिया के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था । प्रश्नकर्ता से भी उक्त पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु उनमें रामगढ़ ताल के मछली की नीलामी की आय से पुलिया बनाने का आग्रह नहीं किया गया था ? नगरपालिका, गोरखपुर द्वारा पुलिया के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सेवा निवृत दाई श्रीमती महादेवी श्रीवास्तव को जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

81--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर, जिला गोरखपुर की सेवा निवृत्त दाई, नर्स श्रीमती महादेवी श्रीवास्तव जिन्हें सेवा निवृत्त हुए करीब दो साल होने जा रहा है, के जी0 पी0 फण्ड (प्राविडेंट फण्ड) और लम्पसम आदि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

श्रीमती महादेवी श्रीवास्तव की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मीपुर द्वारा काटे गये जी0 पी0 फन्ड का भुगतान जो रु0 346 मात्र होता है दिनांक

20-11-81 को किया जा चुका है । श्रीमती श्रीवास्तव पहले जिला परिषद् की सेवा में थीं । प्रान्तोयकरण के पूर्व जो भी फंड कटा है उसे अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, गोरखपुर ने दिनांक 12-1-82 को चेक से रु0 1547·30 पैसे भुगतान हेतु भेजे हैं । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर ने अवगत कराया है कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान पोस्ट आफिस से कैश करके यथाशीघ्र कर दिया जायगा ।

नगरपालिका, मुरादाबाद की इमारत में सुअर का मांस बेचने की घटना

82--श्री रियासत हुसैन--

क्या नगर विकास मन्त्री को दिनांक 8-12-81 को मुरादाबाद नगरपालिका की इमारत के अन्दर सुअर का गोश्त अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में बेचने से सम्बन्धित कोई पत्र प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-12-81 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 8-12-81 को नगर पालिका, मुरादाबाद की इमारत में सुअर का मांस बेचने की कोई घटना नहीं हुई । किन्तु फिर भी नगरपालिका अधिकारियों को इस ओर जागरूक रहने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

मिर्जापुर जिला सहकारी बैंक लि0 के समस्त कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तथा पदोन्नति

83--श्री राम नारायण सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मिर्जापुर जिला सहकारी बैंक लि0 के समस्त कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या 139/(6) अ0 ब0 एट0 फे0, दिनांक 9 फरवरी, 1978 के अनुपालन में बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ग्रेडेशन एवं सीनियारिटी लिस्ट तैयार करने में यू0 पी0 कोआपरेटिव सोसाइटीज इम्पलाइज सर्विस रेगुलेशन सन् 1975 की धारा 26 का अनुपालन हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सीनियारिटी एवं ग्रेडेशन के विपरीत धारा 25 की अवहेलना करके कितने कर्मचारियों का प्रोमोशन किया गया है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

प्रश्न के पहले भाग में उल्लिखित आधार पर नहीं बल्कि एक अनन्तिम वरिष्ठता सूची बनाई गई और इस सूची के विपरीत उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के विनियम 26 की अवहेलना करते हुये कोई पदोन्नति नहीं की गई है । अन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों आपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, जो विचाराधीन हैं ।

देवरिया जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना

84--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में 1981-82 वर्ष में कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? और कब सभी केन्द्र बन कर पूरे हो जायेंगे ?

श्री लोकपति--

वित्तीय वर्ष 1981-82 में 9,16,000 रु0 की अनुमानित लागत पर देवरिया जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत मथौली में भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है और आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी के भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि प्राप्त करन का प्रयास जारी है।

2--देवरिया जनपद के शेष 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन पहले ही बन चुके हैं।

देवरिया नगरपालिका में नलकूपों से पेयजल की उपलब्धि

85--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया नगरपालिका बन रहा नलकूप कब तक नागरिकों को पेय-जल हेतु उपलब्ध हो जायगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

देवरिया नगरपालिका में बन रहे नलकूप से दिनांक 28 जनवरी, 1982 से नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री विश्राम, ग्राम सोनबरसा, जनपद फैजाबाद को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु

86--श्री दूधनाथ राजभर--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिगटनगंज, जनपद फैजाबाद में दिनांक 19 दिसम्बर, 1976 को नसबन्दी कराने के फलस्वरूप श्री विश्राम पुत्र गुलाल, निवासी ग्राम सोनबरसा, तहसील बीकापुर, खंड हरिगंटनगंज, जनपद फैजाबाद की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमती लखपती को आर्थिक सहायता देने विषयक तत्कालीन मुख्य मन्त्री को अपनी टिप्पणी सहित सम्बोधित स्वास्थ्य मन्त्री के पत्र दिनांक एम0 5274, दिनांक 18 दिसम्बर, 1978 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

प्रश्नगत विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री को सम्बोधित तथा मुख्य मन्त्री व स्वास्थ्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित श्रीमती लखपती, पत्नी श्री विश्राम, ग्राम सोनबरसा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद का शिकायती-पत्र भारत सरकार के माध्यम से राज्य ब्यूरो को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद से करायी गयी। जांच में उक्त अधिकारी ने

श्री विश्राम की नसबन्दी दिनांक 19 दिसम्बर, 1976 को होना बतायी है तथा मृत्यु दिनांक 13 मार्च, 1977 को दिल का दौरा पड़ने के कारण होना बतायी है। अतः नियमानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड, जहानागंज में स्थापित अस्पतालों के उच्चीकरण हेतु कार्यवाही

87--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खंड, जहानागंज में अब तक कितने अस्पताल (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक) स्थापित किये गये हैं ? तथा स्थापित अस्पतालों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

डाक्टर जगदीश प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

88--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ इस जनपद में विगत कितने वर्षों से सेवारत हैं ? उनके विरुद्ध जनपद के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों, विधायकों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा दिनांक 18-12-1981 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? तथा मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति--

डाक्टर जगदीश प्रसाद, जनपद, आजमगढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनांक 8-8-1980 से हैं। उनके विरुद्ध दिनांक 18-12-81 तक स्वास्थ्य निदेशालय में 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं :

1--सरकारी वाहनों को अपने बंगले पर रखना।

2--प्रचार वाहन की मरम्मत न होना।

3--जिला ब्यूरो स्टाफ के कार्यकर्ताओं को अपने कार्यालय से हटाकर उप मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्बद्ध किया जाना।

4--वर्गवाद में विश्वास करना।

5--दक्षतारोक पार कराने हेतु पैसा लेना।

6--दवाइयों में हेराफेरी।

7--हानिकारक एवं गुणहीन दवाइयों का क्रय करना।

8--मऊनाथ भंजन चिकित्सालय को महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी दवाएं उपलब्ध न कराना।

9—जिला अस्पताल में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता तथा अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहित करना आदि ।

शिकायतों की जाँच कराई जा रही हैं ।

विकास खंड सेवरही, दुद्धी एवं तमकुही में सीमेन्ट का आवंटन

89—श्री ध्रुपराय—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया के पडरौना तहसील के अन्तर्गत विकास खंड, सेवरही, दुद्धी एवं तमकुही में माह अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1981 में कितने टन सीमेन्ट प्रतिमाह आवंटित किया गया एवं परमिट किन व्यक्तियों को दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद देवरिया के पडरौना तहसील के अन्तर्गत विकास खंड सेवरही, दुद्धी एवं तमकुही में अक्तूबर–दिसम्बर त्रैमास, 1981 में क्रमशः 132 मी0 टन, 72 मी0 टन एवं 96 मी0 टन सीमेन्ट का आवंटन किया गया । उक्त अवधि में सीमेन्ट के परमिट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 489 पर ।)

90—श्री राम गोविन्द तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 की पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

परगनाधिकारी सलेमपुर द्वारा हटायी गई श्री मनोहर राम की अनधिकृत गुमटी

91—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया के तहत टाउन एरिया, सलेमपुर में गत 10 मई, 1981 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री मनोहर राम की दुकान को परगनाधिकारी सलेमपुर ने तुड़वा कर जमीन पर गिरवा दिया ? यदि हाँ, तो तथ्य क्या हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

परगनाधिकारी, सलेमपुर ने दिनांक 10 मई, 1981 को श्री मनोहर राम द्वारा सड़क की पटरी पर अनधिकृत रूप से रखी गयी गुमटी हटवा दी थी ।

सहकारी बीज भंडार बनाने हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को फाइनल पेमेन्ट

92—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मैरामऊ, तहसील रानसनेही घाट में जनपद बाराबंकी में दिनांक 27–7–79 को एक सहकारी बीज भंडार बनाने हेतु वर्क आर्डर दिया गया ? यदि हां, तो क्या दिनांक 26–4–80 को उक्त कार्य के समाप्त होने तथा दिनांक 23–6–80

को ए0 ई0 द्वारा कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र दिये जाने के बावजूद सम्बन्धित ठेकेदार को फाइनल पेमेन्ट नहीं किया गया ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

दिनांक 26-4-80 को उक्त कार्य समाप्त होने अथवा दिनांक 23-6-80 को कार्य समाप्ति का कोई प्रमाण-पत्र सहायक अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को नहीं दिया गया । अतः फाइनल पेमेन्ट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मोहल्ला सराय थोक पूर्वी, हरदोई नगर में पेयजल आपूर्ति

93—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदोई नगर में मोहल्ला सराय थोक पूर्वी (बिलग्राम रोड से मोमिनाबाद जाने वाली सड़क) में पाइप लाइन न होने के कारण निवासियों को पेयजल की घोर असुविधा है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1981-82 में पाइप लाइन बिछवा कर निवासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सराय थोक पूर्वी मोहल्ले से होकर दो सड़कें बिलग्राम रोड से मोमिनाबाद मोहल्ले को जाती है, जिनमें से मुख्य सड़क (मुन्ने मियां चौराहे से जाने वाली) पर जल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछी हुई है, परन्तु दूसरे मार्ग में जल आपूर्ति की पाइप लाइन नहीं है । धनाभाव के कारण वित्तीय वर्ष 1981-82 में पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं है फिर भी पेयजल आपूर्ति हेतु उक्त मोहल्ले में तीन हैंड पम्प इसी वित्तीय वर्ष में लगवाये गये हैं ।

मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित प्री मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी

94—श्री बनवारी राम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट वर्ष 1980-81 में हुआ था उसमें कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के उत्तीर्ण हुए हैं ? और प्रतीक्षा सूची में कुल अभ्यर्थी उपरोक्त समुदायों के किन-किन जनपदों के हैं ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981 का सी0 पी0 एम0 टी0 मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित किया गया था जिसके आधार पर अनुसूचित जाति के 353 अभ्यर्थियों तथा पिछड़ी जाति के 490 अभ्यर्थियों ने न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये ।

एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में प्रवेश के उपरान्त प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति के 207 तथा पिछड़ी जाति के 392 अभ्यर्थी हैं । प्रतीक्षारत अभ्यर्थी किन-किन जनपदों के हैं, यह सूचना अल्पावधि में दिया जाना सम्भव नहीं है ।

सी पी० एम० टी० के परीक्षाफल में कालेजवार तथा श्रेणीवार सफल अभ्यर्थियों की सूची

95--श्री बनवारी राम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० पी० एम० टी० का परीक्षाफल दिनांक 7-9-81 को प्रकाशित हुआ है उसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की सूची अलग से प्रकाशित करने के लिए भेजी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सी० पी० एम० टी० 1981 के आधार पर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के एम० बी० बी० एस० कोर्स तथा बी० डी० एस० कोर्स का परीक्षाफल दिनांक 4 सितम्बर, 1981 को घोषित किया गया था। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के सफल अभ्यर्थियों की सूची उसमें कालेजवार तथा श्रेणीवार शामिल थी।

महमन्द, जलालनगर हाउसिंग स्कीम में नोटिफिकेशन के आधार पर एक्वायर की गयी भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

96--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर शहर वर्ग महमन्द, जलालनगर हाउसिंग स्कीम में 22-6-68 के नोटीफिकेशन के आधार पर जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी थी उनके नाम व पते क्या हैं ? तथा उन लोगों को जिला जज, शाहजहांपुर के एवार्ड दिनांक 29-4-80 के आधार पर अभी तक मुआवजा न दिये जाने के उत्तरदायी कौन हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जिले में ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनायें

97--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में कौन-कौन सी ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है और कितनी पेयजल योजनाएं शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं और इनमें 30 अगस्त, 1981 तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

2 शहरी तथा 16 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य हो रहा है जिसकी सूची नत्थी है। इनमें से 30 अगस्त, 1981 तक आधी योजनाओं पर कार्य लगभग समाप्ति पर है तथा शेष का कार्य निकट भविष्य में समाप्त होने की आशा है, स्वीकृति के लिये कोई भी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 505 पर।)

कोतवाली क्षेत्र शहर वाराणसी में हरतीरथ पोखरे पर नजूल की भूमि तथा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

98--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली क्षेत्र, शहर वाराणसी में हरतीरथ पोखरे पर नजूल की कितनी भूमि है ? क्या यह सत्य है कि उक्त नजूल की भूमि पर बिना नक्शा पास किये कई मकानों का निर्माण हो गया है और होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में छोटे लाल हरी तीरथ, वाराणसी ने मुख्य मंत्री, जिलाधीश, वाराणसी, सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को मार्च, 1981 में शिकायती-पत्र भेजा है और मूल पत्र प्रशासक नगर महापालिका, वाराणसी को दिया है ? उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

कोतवाली क्षेत्र शहर वाराणसी में हरतीरथ पोखरे पर 1 बीघा 11 बिस्वा 10 धूर नजूल की भूमि है । उक्त नजूल भूमि पर श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री बच्चा सिंह द्वारा अतिक्रमण करके मकान का निर्माण किया गया था । इस सम्बन्ध में श्री छोटे लाल का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, भूमि पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है ।

विकास खंड सांथा, जिला बस्ती में सीमेन्ट का वितरण

99--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1980 से 31 दिसम्बर 1980 तक विकास खंड सांथा, जिला बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों को बांटी गयी ? तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाए गये हैं ? क्या माननीय मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

1 अक्तूबर, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि में विकास खंड सांथा में वितरित की गयी सीमेंट का सम्पूर्ण †सूची संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के ट्रस्ट विभाग में प्रार्थना पत्रों पर कृत कार्यवाही

100--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ट्रस्ट विभाग में सर्वश्री मौला बख्श, रज्जब अली तथा मजार की लौज की पत्रावलियां सं0 35-बी-249/321 207, सन् 1958 उपलब्ध नहीं हैं और श्री रज्जब अली द्वारा दिनांक 22-12-80 तथा 10-3-81 के उनके निरीक्षण हेतु दिए गये प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां तो उक्त पत्रावलियों के गायब किए जाने के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

---

†(छापी नहीं गई ।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

पत्रावली उपलब्ध होने पर प्रार्थी के वकील श्री उमाशंकर, एडवोकेट को निरीक्षण करा दिया गया है । पत्रावलियां उपलब्ध हैं, अतः पत्रावलियां गायब करने के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विपरीत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

चन्दर नगर, आलमबाग के निवासियों द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु जमा किया विकास व्यय तथा निर्माण कार्य

101--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिनगर, आलमबाग लखनऊ के निवासियों द्वारा वर्ष 1965 में सड़कों के निर्माण हेतु विकास व्यय जमा कर दिया गया था, किन्तु बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी उक्त विकास कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक नहीं कराया गया ? क्या इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मन्त्री को दिनांक 25 फरवरी, 1981 को कोई पत्र प्रश्नकर्ता विधायक से प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

भिलावा चन्दर नगर (ऋषि नगर) आलमबाग के तीन निवासियों द्वारा जो धन डेवलपमेंट कास्ट के मद में जमा किया गया उससे अधिक ही व्यय हो चुका है । इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट व पानी की लाइन का कार्य किया जा चुका है तथा सड़क के निर्माण हेतु 8,000 रु0 की लागत की मिट्टी की भराई का कार्य प्रस्तावित है । प्रश्न में चर्चित पत्र स्वायत्त शासन एवं आवास मंत्री को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

भेलूपुरा विकास योजना, जोन नं0 5 की स्वीकृति में मदैनी तथा नगवा की अध्याप्त की गई भूमि तथा कालोनी के विकास में विलम्ब हेतु नियमानुसार कार्यवाही

102--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 165, 166, 167, 168, 169 के उत्तर के सन्दर्भ में क्रमशः बताने की कृपा करेंगे कि भेलूपुर विकास योजना नं0 5 की स्वीकृति 27-8-51 को दी गयी थी और उसमें मदैनी की 30 एकड़ के करीब एवं नगवा की 9 एकड़ के करीब जमीन ली गयी थी तो इसमें आवास विकास परिषद् ने कितने मकानों का नक्शा बनाया था, उसका इस्टीमेट क्या है ? क्या उसमें से एक भी मकान नहीं बनाया गया और उक्त जमीन पट्टे पर कालोनाइजरों को दे दी गयी है ? और किसानों को किस रेट पर मुआवजा दिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

भेलूपुरा विकास योजना जोन नं0 5 की स्वीकृति शासन की विज्ञप्ति संख्या 2335/11-बी--17-31 आ0 ई0 टी0 50, दिनांक 27-8-51 द्वारा दी गयी थी । जोन नं0 5 की अध्याप्ति योग्य भूमि के अध्याप्ति का प्रस्ताव मदैनी में 29.985 एकड़ तथा नगवा में 6.77 एकड़ में से 22.368 एकड़ भूमि का

एवार्ड भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किया गया। जोन नं0 5 की भूमि में से आवास एवं विकास परिषद् को कोई भी भूमि हस्तान्तरित नहीं की गयी है ।

103--श्री ऊदल--

क्या मन्त्री जो बतायेंगे कि 166 के उत्तर में जो कहा गया है कि कालोनी का विकास वर्ष के अन्दर कर दिया जायेगा यह कब का फैसला है और क्या यह सही है कि न तो 100 फिट चौड़ी ही सड़क बनी है और न कालोनी का विकास ही हुआ है ? कालोनाइजर को किस रेट से जमीन दी गयी ? उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

दिनांक 11-9-70 के इकरारनामा द्वारा कालोनी का विकास एक वर्ष के अन्दर पूरा कर दिया जाना था । सड़क का निर्माण नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गई है । कालोनाइजर श्री चन्द्र बहादुर सिंह, बी/1-6 रवीन्द्रपुरी जिला वाराणसी भूमि का स्वयं ही भू-स्वामी था ।

श्री गंगा सहाय पान्डेय व श्री लक्ष्मी प्रसाद को पट्टे पर दी गई भूमि की शर्तें

104--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री 167 व 168 के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेंगे कि गंगा सहाय पान्डेय व लक्ष्मी प्रसाद को जमीन पट्टे पर किन शर्तों के अधीन दी गयी ? क्या सिर्फ 100 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है, जो रवीन्द्रपुरी लंका मार्ग है ? क्या उसमें मकान का निर्माण किया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

श्री गंगा सहाय पान्डेय एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद की भूमि संख्या 2544/2 रकबा 20 डिसमिल और 2546/2 रकबा 1·2 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में निम्न-शर्तों के साथ भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया :--

(1) संदर्भित भूमि का पट्टा 90 वर्ष का होगा।

(2-अ) प्रथम 30 वर्ष का पट्टेदार पहले 30 वर्षों में 348 रुपया प्रति वर्ष की दर से रुपया देगा। इसके बाद के 30 वर्षों में 396 रुपया प्रति वर्ष देगा तथा बाकी 30 वर्षों में 1,392 रुपया प्रति वर्ष देगा ।

(ब) यदि पट्टेदार निर्धारित तिथि तक रेन्ट नहीं देगा तो उससे 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जावेगा ।

(स) संदर्भित भूमि तथा उस पर किये गये निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान तथा भविष्य में जो भी टैक्स एवं शुल्क आदि देय होगा, उसे पट्टेदार देगा ।

(द) पट्टेदार पट्टे पर दी गई भूमि का प्रयोग एवं निर्माण के सम्बन्ध में सभी नियमों एवं कानून का पालन करेगा ।

(य) पट्टेदार संदर्भित भूमि पर 100 फीट पक्की सड़क बनवायेगा किन्तु इस सड़क पर उसका कोई अधिकार एवं स्वामित्व नहीं होगा। वह सड़क प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।

(3) पट्टेदार को दी गई जमीन के सम्बन्ध में पट्टा देने वाला किसी प्रकार का नियम विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(4) यदि पट्टेदार 3 वर्ष तक किराया नहीं देता है या शर्तों का उल्लंघन करता है तो पट्टा देने वाला नियमानुसार इस जमीन पर अपना स्वामित्व कर सकता है।

(5) डीड की स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की सारी धनराशि पट्टेदार द्वारा वहन की जायेगी। 100 फीट चौड़ा प्रस्तावित मार्ग ही रवीन्द्रपुरी लंका मार्ग है।

महा योजना में दर्शित नेबरहुड ग्रीन क्षेत्र में भवन के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मौजा–मैदानी में विकास प्राधिकरण की उपलब्ध भूमि तथा प्रस्तावित भवन

105––ऊदल––

क्या आराजी नं0 2549/2–73 डिसमिल की है जो अयोध्या प्रसाद वगैरह 28/71 घसियारी टोला दुर्गाकुण्ड, वाराणसी की है ? उसके अगल–बगल विकास प्राधिकरण की जमीन नहीं है ? यदि हां, तो 3 नवम्बर, 1980 को प्राधिकरण ने संकल्प संख्या 27 के द्वारा जो प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत करके कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इस भूखण्ड में भवन बनाये जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

आराजी संख्या 2549/2–0–73 जो श्री अयोध्या प्रसाद वगैरह का उल्लेख है वह वास्तव में भेलूपुरा विकास योजना जोन नं0–5 की आराजी है। दक्षिण की ओर मौजा–मैदनी म विकास प्राधिकरण की कुछ भूमि उपलब्ध है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना तथा 100 फीट चौड़ा महायोजना मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है। विकास प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार उच्च न्यायालय से मुकदमा निर्णीत होने के पश्चात् उसमें भवन बनाये जायेंगे।

नगरपालिका, मेरठ स्थित खसरा नं0 4615 नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटाने सम्बन्धी शिकायती–पत्र

106––श्री सत्यपाल सिंह––

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, मेरठ स्थित खसरा नं 4615 मो0 पूर्वी अहिरान बुढ़ाना गेट जो नजूल लैण्ड पर है, अनधिकृत कब्जा हटाने के विषय में भूतपूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर श्री इकबाल अहमद, नवम्बर, 1976 में एडमिस्ट्रेटर म्युनिसिपल बोर्ड मेरठ, जिलाधिकारी, मेरठ और मुख्य मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को शिकायती–पत्र भेजे थे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

जी हां। कब्जे को हटाने के लिये विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विकास खंड सांथा में सीमेंट का वितरण

107--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1981 तक विकास खण्ड, सांथा, जनपद बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेंट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के बारे में प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुये थे ? और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे ? क्या माननीय मन्त्री जी सम्पूर्ण सूचो (मय नाम, पता तथा दी गयी सीमेंट की मात्रा एवं परमिट नं0 मय तारीख) सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? क्या यह भी बलताने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेंट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह--

1 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1981 की अवधि में विकास खण्ड सांथा में वितरित की गयी सीमेंट की सम्पूर्ण सूची† संलग्न है ।

रिग मशीन पर सामानों की आपूर्ति पर व्यय

108--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले गुरुवार के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नगत रिग मशीन पर 29,000 रु0 का व्यय किन-किन सामानों की आपूर्ति पर किया गया है व किस-किस दर से ? आपूर्ति या मरम्मत किनसे व कब-कब करायी गयी ? 53,000 रु0 का प्रस्तावित व्यय किन-किन सामानों की आपूर्ति हेतु किया जाना है ? प्रश्नगत रिग मशीन से जो सात नलकूप वर्ष 79, वर्ष 80 व 81 में बनवाये गये हैं वे कहां-कहां बने हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

रिग मशीन पर हुये 29,000 रु0 के व्यय के सम्बन्ध में वांछित विवरण अभी शासन को प्राप्त नहीं हो सका है । 53,000 रु0 का व्यय संलग्न सूची में दिये सामानों की आपूर्ति हेतु प्रस्तावित है । सात नलकूपों का निर्माण सादात, अघऊ, मरदह, सुखडेरा, जंगीपुर, कनुआन तथा नन्दगंज में कराया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 506 पर ।)

जिला आजमगढ़ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को चिकित्सा सुविधा हेतु आवंटित धनराशि तथा दवाओं का विवरण

109--श्री राज कुमार राय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के चिकित्सा सुविधा हेतु कितनी धनराशि की दवा जिला चिकित्सालय में इस वर्ष 1981-82 के लिये आवंटित की है ? और गत वर्ष 1979-80 में कितनी धनराशि इस मद में सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी ?

---

†(छापी नहीं गई ।)

श्री लोकपति--

जिला आजमगढ़ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा हेतु वर्ष 1981-82 में 15,000 रु0 की धनराशि आवंटित की गई है। इस मद के लिये वित्तीय वर्ष 1979-80 में 16,000 रु0 की धनराशि औषधियां क्रय करने हेतु आवंटित की गयी थी।

110--श्री राज कुमार राय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों को दवा मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और दवायें मिलती भी नहीं हैं ? इस कारण यह वर्तमान व्यवस्था समाप्त करके बिहार सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी सेनानियों को चिकित्सा भत्ता देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति--

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिये समय-समय पर कड़े निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। यह निर्देश भी दिये जा चुके हैं कि उनके साथ शिष्टता तथा नम्रता का व्यवहार किया जाय। चिकित्सा सुविधा के बदले चिकित्सा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ में नजूल की भूमि

111--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 8 के उत्तर के सदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो 418.52 हेक्टेयर नजूल भूमि लखनऊ में बाकी पड़ी है वह किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

418.52 हेक्टर नजूल भूमि में 24.55 पर अनधिकृत कब्जा है तथा शेष 393.99 हेक्टर भूमि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नहर, नाले, पार्कों तथा खाली भूमि के रूप में है।

विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का घेराव

112--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा में दिनांक 17-9-81 को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 70 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उसी दिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का घेराव किया गया तथा घंटों विकास प्राधिकरण के सचिव को उनके कमरे में बन्द रखा गया ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं।

[11 बजकर 40 मिनट]

उत्तर प्रदेश के बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के सामने किये जा रहे क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपी नाथ वर्मा-

माननीय, आपके माध्यम से सरकार एवं सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसियेशन द्वारा स्वास्थ्य सेवा सचिवालय के सामने पांच-पांच आदमी प्रतिदिन एक साथ क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं। दिनांक 18 जनवरी, 1982 से आज तक अनशन का क्रम चलता आ रहा है। अनशनकारियों की मुख्य मांगें द्वितीय वेतन आयोग राज्य कर्मचारी उ0 प्र0 1 जुलाई, 1979 से ग्राम सेवक एवं स्वास्थ्य सहायक परिवार कल्याण के समान वेतनमान रुपये 400 से 615 दिया जाय, 50 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड प्रदान किया जाय, समस्त ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बेसिक हेल्थ वर्कर्स, हाउस विजिटर्स एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक (उच्च वेतनमान तथा निम्न वेतनमान) की संयुक्त वरिष्ठता सूची नियुक्ति तिथि को आधार मानकर बनायी जाय। वरिष्ठता सूची के अनुसार बहुधंधी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ही शत प्रतिशत पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नत किया जाय, वेतनमान के आधार पर नहीं।

उपरोक्त मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में लगभग 8,500 कर्मचारियों में इस बात को लेकर असंतोष व्याप्त है कि 18 दिनों से निरन्तर किये जा रहे अनशन के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे समस्त कर्मचारी असंतुष्ट होकर प्रदेश व्यापी आंदोलन, सत्याग्रह व जेल भरो आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं जिससे पूरे प्रदेश में एक भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। जिससे पूरे प्रदेश की गरीब जनता के स्वास्थ्य की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में बाधा उत्पन्न हो जायेगी।

ऐसी स्थिति में अनशनकारियों की जायज मांगों का शीघ्र निवारण किया जाना चाहिये जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारु रूप से चलाई जा सके।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसियेशन, उ0 प्र0 के द्वारा की जा रही मांगों को पूरा कराये जाने हेतु सरकार को आदेश प्रदान करें।

बस्ती जनपद में मनुष्यों व पशुओं में गर्दन तोड़ बीमारी के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पांडेय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में लोग गर्दनतोड़ रोग से पीड़ित हो गये हैं। यह नया एवं भयंकर रोग अभी-अभी पूरे जिले के पैमाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद पांडेय—]

पर फैलता चला जा रहा है । इस रोग से गर्दन में सूजन आ जाती है । लोगों का गर्दन घूमना मुश्किल हो जाता है यह रोग न केवल मनुष्यों में है अपितु यह पशुओं में भी फैल रहा है । अभी तक बस्ती जनपद के चिकित्सक यह समझने में असफल रहे हैं कि इस रोग के होने का कारण क्या है ।

कुछ चिकित्सक इसे ठंड के कारण होना बताते हैं और कुछ लोग इसे खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट, बढ़ती हुई गन्दगी तथा वायु प्रदूषण का भी होना बताते हैं । इस रोग से गर्दन में पीड़ा के कारण लोग छटपटाते हैं तथा सिर पटकते रहते हैं । जानकारी मिली है कि मनुष्य के साथ-साथ भारी संख्या में पशुओं की जाने गई हैं ।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शासन तत्काल रोग के कारणों एवं निदान की व्यवस्था कर जिले में बड़े पैमाने पर दवा की व्यवस्था कराये ।

उन्नाव के नारी सुरक्षा गृह की एक महिला के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन—

दिनांक 1/2 फरवरी को रात को उन्नाव के नारी सुरक्षा गृह में एक लड़की को तीन नौजवान सुरक्षा गृह से बाहर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज हो गयी है । इस तरह की घटनायें प्रदेश के जो नारी सुरक्षा गृह सरकार के द्वारा संचालित हैं चाहे वह आगरा, बरेली, उन्नाव में हैं आये दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं । समय-समय पर इस सम्बन्ध में विषय विधान सभा में आते रहे हैं । परन्तु सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ रही है । जिसके कारण सारे प्रदेश में इस तरह के नारी सुरक्षा गृहों में उक्त सम्बन्ध में व्यापक रूप से अविश्वास और असंतोष उत्पन्न हो गया है और यह कहा जाने लगा है कि इन गृहों को भी विशेष लोगों के भोग विलास के अड्डे बना दिये गये हैं ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण हेतु ब्लाक गोसाईगंज (लखनऊ) में आयोजित जनता अदालत की बैठक में क्षेत्रीय विधायक, श्री संत बक्श रावत को न बुलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त बक्स रावत—

मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । दिनांक 28-1-82 को अपराह्न दो बजे विकास खंड गोसाईगंज के कार्यालय में लखनऊ जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता अदालत का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के सभी विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए तथा सभी ग्राम प्रधानों को इस जन अदालत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया ।

काफी संख्या में प्रधानगण भी शामिल हुए । इस जन अदालत में, जन समस्याओं एवं जनता की कठिनाइयों को प्रकाश में लाकर अवगत कराना था किन्तु मुझे जब कि उस क्षेत्र का विधायक हूं, आमंत्रित नहीं किया गया जिसके कारण क्षत्र के अनेक ग्रामों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जिनका निदान तुरन्त आवश्यक था प्रकाश में नहीं आया । इस प्रकार से क्षेत्रीय समस्याओं का जनपद के विभिन्न अधिकारियों के संज्ञान में न लाना मेरे एवं क्षेत्र की जनता के भावनाओं के प्रतिकूल हैं । इस घटना के कारण विकास खंड गोसाईगंज की जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है और क्षेत्रीय समस्याओं पर पर्दा पड़ गया है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मैं मांग करता हूं कि जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध उचित जांच कर क्षेत्रीय जनता के रोष को समाप्त करने हेतु समुचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और चुने हुए जन प्रतिनिधियों का सम्मान बरकरार रहे ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1981†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त-(बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-4581/दस-5(2)/79--उ0 प्र0 अधि0 15/1948-नियम-1948-संशोधन (द्वितीय)-1981, दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1981†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-4582/दस-5(2)/78-उ0 प्र0 अधि0-15-1948-नियम 1948 संशोधन (तृतीय) 1981, दिनांक अक्तूबर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त-बिक्री-कर अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां††

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 7 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट में प्रकाशित :--

(1) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-5782/दस-10(1)/80-उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981,

(2) विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-5783/दस-10(1)/80 उ0 प्र0-अधि0 15/48-आदेश-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981, एवं

†छापी नहीं गयी ।

††छापी नहीं गयी ।

[श्री ब्रह्मदत्त—]

(3) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5784/दस-10(1)/80-उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981, एवं

(4) विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5785/दस-10(1)/80-उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 7 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-5786/दस-10(1)/80-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 एवं विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-5787/दस-10(1)/80-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-81 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा-3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं :

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग 2 की दिनांक 26 अक्तूबर, 1981 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञाप्ति सं0 एस0 टी0-2-7421/दस-10(1)/80-उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-81,-दिनांक 26 अक्तूबर, 1981 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 एस0 टी0-2-255/दस-900(17)69-उ0 प्र0 अधि0 15/1948-संशोधन (प्रथम)-1981, दिनांक 6 मई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981, जो दिनांक 18 जनवरी, 1982 को सदन के पटल पर रखी गयी है, से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र सं0 एस0 टी0-2-5016/दस-900(17)-69, दिनांक 5 सितम्बर, 1981 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981‡‡

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 5716 (एच0 आई0)/36-2-123 (एस0 एम0)-78-सी0 ए0-37/1970-रूल-1975-ए0 एम0 (1)-1981, दिनांक 20 नवम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा, 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ,

---

†छापा नहीं गया ।
‡‡छापी नहीं गई ।

आगरा मण्डल विकास निगम लिमि0 की तृतीय एवं चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1978-79 व 1979-80†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आगरा मंडल विकास निगम लि0 की तृतीय एवं चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण-1978-79, 1979-80 को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमि0, लखनऊ की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे का विवरण 1978-79

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लखनऊ मंडलीय विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे का विवरण 1978-79 को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मेरठ मण्डल विकास निगम लिमि0, मेरठ का वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मेरठ मंडल विकास निगम लि0, मेरठ के वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वाराणसी मण्डल विकास निगम लि0, वाराणसी की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1979-80‡‡

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसी मंडल विकास निगम लि0, वाराणसी की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1979-80 को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[14 बजकर 54 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की आज 3 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री राधेश्याम पटेल, श्री धनीराम, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री कन्हैया लाल, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री कुबेर भंडारी, श्री संत बक्स रावत, श्री सरदार सिंह,

---

†छापे नहीं गये ।

छापा नहीं गया ।

[श्री अध्यक्ष—]

श्री विजय सिंह राणा, श्री सुल्तान सिंह की जनपद फैजाबाद में स्थित टांडा में डा0 भीमराव अम्बेदकर के नाम से किये गये तापीय विद्युत परियोजना का नाम बदल कर संजय गांधी के नाम पर रखने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना जनपद बस्ती के उत्तरी क्षेत्र डुमरियागंज तहसील के विकास खंड इटवा भवनापुर खुनियांव में बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न गांवों में भुखमरी तथा किसानों की तबाही के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन यादव, श्री कुंवर सिंह नेगी, डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री खुरुल बशर, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री जसवंत सिंह बिष्ट की सचिवालय के एनेक्सी भवन में हजारों टन सीमेंट घोटाले के मामले के सम्बन्ध में है। यह तीनों सूचनाएं अस्वीकार हुयीं।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मान्यवर, हमारी सूचना बहुत ही लोक महत्व की है मान्यवर, इसे स्वीकार करने का कष्ट कीजिए। शासन की तरफ से यह घोषणा हुयी थी कि करीब 8 फसलें जो लगभग 80 प्रतिशत नहीं हुयी हैं तो ऐसी स्थिति में मान्यवर, हम लोगों के स्वयं के सोचने का प्रश्न है कि वह लोग क्या खायेंगे, सरकार उसे तकावी दे नहीं रही है, राहत कार्य कोई हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों के खाने की क्या व्यवस्था होगी। मान्यवर, मैंने स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखा है कि लोग कई दिनों से भूखे रहकर मौत की कगार पर आ गये हैं। इससे पूर्व तो वह लोग बथुआ व अन्य सागों आदि को उबालकर पत्ती-पत्तों आदि को उबाल-उबाल कर खा रहे थे अब वहां वह भी नहीं रहे।

(शोर)

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर और शोर करने पर)

श्री अध्यक्ष—

बैठ जाइये खुरुल बशर साहब, माननीय विजय सिंह राना साहब बैठ जाइये, पहले आप लोग बैठिए, एक साथ इतने लोगों की बातें तो सुनी नहीं जा सकतीं है और जब मैं खड़ा हूं तो आप लोग बैठ जाइये। पहले आप लोग बैठेंगे तो मैं कुछ सुन सकूंगा। हमारे खड़े होने के बाद अगर आप लोग बोलते रहेंगे....

श्री राजेन्द्र सिंह—

(अपने दल के लोगों को संकेत करते हुए) बैठ जाइये, यह गलत बात है, माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इन तीनों सूचनाओं को जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की थी अस्वीकार कर दिया है,। मैंने आपके प्रस्ताव को देखा, उसमें लिखा है कि सरकार ने 100 करोड़ रुपया का बजट बनाया है और आप लोगों ने करीब 3 हजार लोगों ने एक बोर्ड लगा दिया है स्वयं अपने उद्घाटन से और अब आप सरकार से कह रहे हैं कि वह बोर्ड हटाया न जाए, यह स्वीकार नहीं होगा, यह आपकी सूचना में है।

(व्यवधान)

[11 बजकर 59 मिनट]

1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा क्रमागत†--

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय में आपका आभारी हूं कि आपने 1982-83 के बजट पर इसके समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया । सबसे पहले में माननीय वित्त मन्त्री जी को इस आशय की बधाई देना चाहता हूं....

(शोर)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मेरी सूचना को यहां लिया नहीं गया है जो बहुत ही लोक महत्व की सूचना थी । इस तानाशाही पूर्ण रवैये के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कुबेर भन्डारी सदन त्याग कर चले गए।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं भी इसी बात पर सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन त्याग कर चले गए)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

इस स्वस्थ वित्तीय परम्परा के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं जो दूसरे वर्ष भी रचनात्मक तौर पर इन्होंने निभायी । प्रदेश के इतिहास में पिछली बार वित्तीय अनुशासन के सन्दर्भ में, स्वस्थ वित्तीय परम्पराओं के सन्दर्भ में एक बड़ी बात हुई थी, जब प्रदेश का पूरा बजट समय से प्रस्तुत किया गया था । में बधाई देना चाहता हूं कि इस परम्परा को इस सरकार ने इस बार भी कायम रखा और सारा बजट एक साथ समय के अन्दर प्रस्तुत किया गया । बहुत सी बातें इस बजट के सन्दर्भ में कही गयीं । यह तो निर्विवाद है कि एक वर्ष का बजट इस बड़े प्रदेश की सम्पूर्ण समस्याओं के हल की चाभी नहीं हो सकती, सर्वांगीण विकास की दिशा निर्देशन कर सकता है और इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने वाले हैं, उनकी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है ।

इस सम्बन्ध में भी में माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जो निश्चित ही इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के द्वार को खोल देगा चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे निर्बल और कमजोर वर्ग के विकास की बात हो, चाहे हरिजनों की समस्या हो, यह बजट निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को आगे ले जायगा और हरिजनों और कमजोर वर्गों को विशेष राहत इससे मिलेगी । आज आर्थिक दृष्टिकोण से सारा ध्यान प्रदेश के विकास पर लगा हुआ है । सारी समस्याओं के मूल में सवाल यही है कि हम कितनी जल्द प्रदेश के विकास के कार्य को आगे ले जाते हैं, उसके लिए आवश्यकता है योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की, उसके लिए आवश्यकता है

---

†दिनांक 3 फरवरी, 1982 की कार्यवाही से

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[विमल प्रसाद तिवारी--]

कि संसाधन जुटाये जायं । बड़ी दिक्कत तब आती है, जब संसाधन जुटाने की बात होती है । योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति की बात होती है तथा माननीय विरोध पक्ष के सदस्य आलोचना करते हैं कि योजना के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया और जब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की बात की जाय तो कहते हैं कि करों का बोझ जन-साधारण के ऊपर लादा जा रहा है । बधाई के पात्र हैं हमारे वित्तमन्त्री श्री ब्रह्मदत्त जी जिन्होंने संसाधन जुटाने के लिए वसूली करने पर जोर दिया, अतिरिक्त कर भार नहीं लादा । थोड़ी सी बात उन्होंने करों के अभिनवीकरण की कही, उसी को लेकर हंगामा मचाया हुआ है ।

वर्ष 1982-83 के लिए योजना आयोग ने 1202 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की है जो कि गतवर्ष की योजना से 127 करोड़ रुपये अधिक है । इस योजना को पूर्ण करना प्रदेश के विकास के लिए अति आवश्यक है । मुझे पूरी आशा है कि यह सरकार पूरी तेजी से पूरी गति के साथ, पूरी समर्पित भावना से इस वर्ष की योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, इसमें कोई शक नहीं है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि विश्व बैंक द्वारा शीतगृह निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 4,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 69 शीतगृहों के निर्माण की योजना है । 34 शीतगृहों का निर्माण स्वीकार किया जा चुका है । यह महत्वपूर्ण योजना है इसलिए कि यह प्रदेश इस देश में सबसे अधिक आलू उत्पादन करता है । मैं भी उस जिले से आता हूं जो इस प्रदेश में सबसे अधिक आलू उत्पादन करता है । विचित्र स्थिति है कि प्रति वर्ष जब आलू उत्पादक उत्पादन के समय अपना आलू मण्डी में ले जाता है, तो कुछ तो उसका शोषण आढ़तिये करते हैं, कहीं रेल मन्त्रालय के बड़े-बड़े अधिकारी करते हैं । और कहीं पी० सी० एफ० वाले करते हैं खरीद करने में ढेरी करके उसकी कीमत नहीं मिलती और उसकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाती है और वह शोषण का शिकार हो जाता है । मान्यवर, शीतगृह से जब आलू निकालते हैं तो उस समय तक कुछ बाहर का आलू आ जाता है तो वह मन्दी भाव पर बिकती है, इससे काश्तकार को कोई खास लाभ नहीं होता । उसके सन्दर्भ में यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है । सारे प्रदेश में 450 हजार हेक्टेयर टन आलू का उत्पादन होता है लेकिन उसके भण्डारण क्षमता की बहुत कमी है । मेरे जिले में ही 10 लाख मैट्रिक टन आलू उत्पादित होने की क्षमता है लेकिन उसके भण्डारण के लिए 3.68 लाख मैट्रिक टन की ही क्षमता है । इस भगीरथ प्रयास के लिए जो कि सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से भण्डारण क्षमता को बढ़ाने जा रही है उसके लिए भी मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

शीत गृह निर्माण में पिछले साल सवाल किया था तो उसका उत्तर आया था कि 50 रु० प्रति क्विन्टल लागत आती है निजी शीत गृह निर्माणकर्त्ताओं की क्षमता में परन्तु सरकारी शीत गृह की निर्माण क्षमता 90 से 95 रुपया प्रति क्विन्टल कैपेसिटी निर्माण की आती है । तो निजी शीतगृह ज्यादा अच्छी सेवा देते हैं और उनमें लागत भी कम आती है बनस्बित सरकारी शीत गृहों के । सरकारी शीतगृहों में जो लागत ज्यादा आती है उसका कारण स्पष्ट है कि निर्माण में भ्रष्टाचार व्याप्त है । तो मान्यवर, इस सरकार को नुकसान

के साथ जहां ऐसे तथ्य हैं सहकारिता विभाग इसीलिए पीछे है । एक मंत्री विशेष सहकारिता मंत्री रहे तो वह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया । मैं चाहता हूं कि इस सरकार ने जो विश्व बैंक से कर्जा लिया है उससे अधिक से अधिक लाभ हो और अधिकाधिक भण्डार क्षमता का निर्माण हो ताकि किसानों को इससे लाभ मिल सके ।

मान्यवर, इस बजट में एक और विशेष बात है जो कि इस सरकार की दूरदर्शिता की परिचायक है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि परिवहन विभाग द्वारा अभी तक मार्ग-कर, यात्री-कर तथा माल-कर तीनों कर अलग-अलग स्थान पर लिए जाते थे, इससे लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था क्योंकि सब अलग-अलग स्थानों पर टैक्स जमा किए जाते थे तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी । अब इस सरकार ने निर्णय लिया है कि सारे टैक्स एक ही जगह पर लिए जायेंगे । इससे जनता को राहत मिलेगी और किसानों की कठिनाई कम होगी ।

एक बात के लिए और मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि व्यापारियों को बड़ी कठिनाई होती थी कि जो सेल्स टैक्स के लिए सर्वे हुआ करता था जिसमें सेल्स टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी उनका शोषण भी किया करते थे यद्यपि पिछली सरकार ने, जब वह सत्ता में नहीं थी, कहा था कि सत्ता में आने पर हम सेल्स टैक्स वापस ले लेंगे । जिस प्रकार उसने घोषणा-पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया उसी प्रकार इसे भी नहीं किया । परन्तु उनके घोषणा-पत्र में जो वायदा नहीं किया गया था उसे जरुर पूरा किया । उनके घोषणा-पत्र में यह कोई वायदा नहीं था कि हम दिल्ली राज्य की राजधानी में दंगल बना कर कुर्सी के लिए कुश्ती लड़ा करेंगे, परन्तु यह काम उन्होंने किया । इस सरकार ने एक आचार संहिता बनाई । जो सामान्य रूप से बिक्री-कर व्यापारियों पर लागू होगा, इससे खिचाव की स्थिति में सुधार होगा, साथ-साथ सेल्स टैक्स की प्रक्रिया का सर्वे करने के लिए इस सरकार ने कदम उठाये हैं इसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं अभी आलू के सन्दर्भ में कह रहा था । मैं आलू के ऐसे उत्पादक क्षेत्र से आता हूं जहां इसकी गम्भीर समस्या है । भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि हम रेलवे बोर्ड से बात कर रहे हैं कि छोटी लाइन के वैगन बड़ी संख्या में उपलब्ध हों ताकि आलू आसाम भेजा जा सके । कल की स्थिति यह है कि फर्रुखाबाद के बाजार में आलू के उत्पादक तड़प रहे हैं और मंदी के शिकार हैं । इसलिए आलू पर आधारित एक उद्योग की स्थापना फर्रुखाबाद में की जाय तभी आलू की समस्या हल हो सकती है । 1975 से इस सदन में कई बार घोषणा की जा चुकी है कि शराब का कारखाना लगाया जायेगा । 1980 में भी बलराम सिंह यादव ने घोषणा की थी । मान्यवर, मैं प्रदेश के [आलू उत्पादकों के हित में इस सरकार से मांग करता हूं कि उनकी समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए आलू पर आधारित शराब का कारखाना जल्द से जल्द लगाने की व्यवस्था करे । मैं इसके साथ इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं ।

श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । आज की परिस्थिति में जब कि चौतरफा किसानों, हरिजनों, गरीबों को लूटा जा रहा है, तो जब यह बजट आने

[श्री राम हर्ष राय—]

वाला था, लोग यह आशा कर बैठे थे कि यह बहुत ही प्रगतिशील होगा लेकिन यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि जो बजट पुस्तक आयी है, वह बिल्कुल निराशाजनक है और इसमें गरीबों, हरिजनों, किसानों के हितों का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है। इस बजट को देखने से दो मान्यतायें सामने आती हैं—एक तो यह कि स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार की दयनीय स्थिति और सिद्धांत के ठीक उल्टा बजट।

मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें 128 करोड़ का घाटा दिखाया गया है और वही इसका सबूत है, प्रमाण है। वास्तव में यह बजट, बजट के सिद्धान्त के ठीक उल्टा है, विरोधी है। सबसे बड़ी चीज यह है कि 123 करोड़ का कुल घाटा जोड़ते हैं। 81-82 का बजट पेश किया इस सरकार ने और अब 82-83 का पेश किया है और सदैव घाटे का पेश किया है। इसमें एक उल्टी चीज यह है कि इस घाटे के बजट में 34 करोड़ रुपया पिछले बजट, 81-82 से पूरा करेंगे। लेकिन 81-82 में 181 करोड़ का घाटा दिखाया गया और केवल 37.7 करोड़ का घाटा रुका था, करों को लगाने के बाद। जब वह भी घाटे का बजट है तो यह 34 करोड़ रुपया कैसे पूरा होगा। यह सरकार जनता को धोखा देती है साथ ही साथ सदन को भी गुमराह करने में पीछे नहीं है। 82-83 का जो बजट है या 81-82 का जो बजट था, उसमें यह सरकार जानबूझ कर आमदनी के जो आंकड़े हैं उनको बहुत कम और खर्च के आंकड़ों को बहुत बृहद् करके दिखाती है।

इससे तो यह साफ हो गया कि पिछले बजट से यह घाटा 34 करोड़ का पूरा करेंगे। इस पुस्तक के अन्त में यह लिखा है जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि भू-राजस्व की दरों में असमानता चली आ रही है तो यह असमानता दूर कर रहे हैं और नए-नए कर लगाने जा रहे हैं। इस तरह से काश्तकारों की जानलेवा यह सरकार बनती जा रही है और कहते हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं। यह सरकार के दिवालियापन का एक और उदाहरण आपके सामने है।

मान्यवर, अगली चीज यह है कि इस सरकार के जितने भी विभाग हैं सब कार्य करने में अक्षम हैं क्योंकि वित्त मंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि मैं राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिनके परिश्रम व सहयोग से इस बजट साहित्य का मुद्रण तत्परता से किया जा सका। तो यह धन्यवाद इसलिए देते हैं कि इन्होंने समय से इस बजट को छाप दिया और इन्होंने सदन के अन्दर उसको पेश कर दिया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इनके विभाग के कर्मचारी बिल्कुल सक्षम नहीं हैं कार्य करने में। इनके लिखने से यह साफ जाहिर हो जाता है। अपने इस बजट में उस 95 करोड़ को पूरा करने के लिए यह कर भी लगायेंगे और परिवहन पर भी यह कर लगायेंगे यह निश्चित है। यह 55 करोड़ रुपये का आंतरिक संसाधन जुटाने जा रहे हैं तो यह कहां से लायेंगे? यह जनता के ऊपर टैक्स लगाकर ही लायेंगे। इस तरह से यह जनता के साथ घोर अन्याय है। यह आय के हिसाब से खर्चा नहीं दिखाते हैं। पिछले वर्ष के मुताबिक जहां आमदनी 80 प्रतिशत दिखाते हैं वहीं खर्चा यह 15 परसेन्ट का दिखाते हैं जब कि आय का दूना इनका खर्चा आ गया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में किसी में भी इनकी उन्नति नहीं है। पहले से जहां आपका प्रदेश था वहीं है बल्कि उससे पीछे ही जा रहा है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं अपनी पार्टी के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

10 मिनट का समय है, आप बोलिये ।

श्री राम हर्ष राय--

यह बिजली के लिए कहते हैं और 3500 मेगावाट उत्पादन क्षमता की बात करते हैं जिसमें से कि 2313.50 तापीय एवं 1212.35 जलीय तक ही इनकी सम्पूर्ण क्षमता है । वास्तविकता तो यह है कि यह पैदा विद्युत् कितना करते हैं ? यह केवल 40 से 50 प्रतिशत तक ही बिजली पैदा करते हैं जिसको कि इस पुस्तक में भी इन्होंने लिखा है और मंत्री जी ने सदन के सामने भी यह बात कही है । यह कहते हैं कि 4200 नए नलकूपों को हम बिजली दे देंगे । 4700 गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे और 3200 हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण कर देंगे तो यह बहुत अच्छी बात है । आप अवश्य करिये, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वह बिजली कहां से आयेगी ? उसके लिए इनके पास कोई आश्वासन नहीं है । इनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है । यह सरकार सिर्फ नई-नई योजना बनाती चली जा रही है जिसकी कि कोई जरूरत नहीं है । हमें आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है । आप अपनी हैसियत मत भूलिए । आप जितनी क्षमता के कारखाने लगाइये कम से कम उतना उत्पादन तो करिये । आप रख-रखाव की बात करते हैं । मान्यवर, यह केवल कागज पर बातें करते हैं ।

सदन के अन्दर यह आया है कि विद्युत् बोर्ड के अन्दर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि बहुत से लोग फाइल बबाकर केवल घूमा करते हैं विद्युत् बोर्ड के अन्दर । अगर इनके अन्दर हिम्मत है तो आप छंटनी कर दीजिये । यह खर्चा बढ़ते चले जा रहे हैं । निगम पर निगम, विभाग पर विभाग खोलते चले जा रहे हैं । इनको यह चाहिये कि यह जितना आय लिखा करते हैं उसके हिसाब से खर्चा करें । इसमें तो कहीं पर सरकार ने यह कहा ही नहीं है कि यह कितना खर्चा करेंगे । राजस्व से या बजट से जितना पैसा सरकार पूंजी के रूप में पाती है उसका जनता पर 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत खर्चा करेंगे । यह बजट जो है वह शायद सरकार को यह मालूम नहीं है कि पूर्वी जनपद में 3 मंडल हैं, वाराणसी, गोरखपुर और फैजाबाद जिसमें 15 जिले आते हैं और जिसमें सम्पूर्ण जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या रहती है । जब भी वहां इम्क्वायरी हुई है, सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र की तरफ से, तो भी सभी लोगों ने एक स्वर से यह कहा है कि यहां की 56 से लेकर 60 प्रतिशत की जनसंख्या गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और फैजाबाद, देवरिया और गोरखपुर आदि 15 जिलों के नाम हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं । अगर यही तवज्जह सरकार की रही तो उत्तर प्रदेश बंटकर रहेगा और आप बच नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । आपका समय समाप्त हो गया । माननीय राय साहब बैठे ।

श्री राम हर्ष राय--

आपकी नीति समान होनी चाहिये । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं । सबसे पहले मैं उनको इस बात पर धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बजट को इतना जल्दी तैयार करके हमारे सामने पेश किया । इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो । इससे उनकी तत्परता और तीव्र बुद्धि का पता चलता है । उनके लिए यह निश्चय ही सराहनीय बात है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगी कि उन्होंने तो तत्परता दिखायी उसी का परिणाम है कि यह प्रदेश डाकुओं के प्रभाव से मुक्त हो गया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि वह इस ओर भी उसी तत्परता से ध्यान दें जिससे कि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक एक निश्चित अवधि में पूरा हो जाय.... ।

(व्यवधान)

श्री छत्तर सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय, कोई भी सदस्य यहां लिख कर नहीं पढ़ सकता है, केवल भाषण कर सकता है । माननीय सदस्य अपना भाषण पढ़ रही हैं, इसलिए इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या कोई सदस्य पढ़कर भाषण कर सकता है ? ऐसा नहीं है । पढ़ कर कोई भाषण नहीं दे सकता है, लेकिन भाषण करते हुए कोई उद्धरण हो, तो उसे पढ़ सकता है ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मेरे पास प्वायंट्स हैं और बजट भी मेरे पास है जिसे देखकर मैं बोल रही हूं । जन कल्याणकारी कार्यों में आफिसरों की तरफ से किसी तरह की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । आज जो वांछनीय काम हम करना चाहते हैं वह आफिसरों की वजह से नहीं कर पाते हैं । मुख्य मंत्री जी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए । जब जनता पार्टी का राज था यहां जो इस समय विरोधी दल के नेता हैं, उस समय सिंचाई मंत्री थे । उन्होंने अपने नेता श्री चरण सिंह के मेरठ मंडल को 5 साल के अन्दर सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का दृढ़ संकल्प किया था लेकिन वे उसे पूरा नहीं कर सके । यदि उनके काम की तुलना आज के सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह से की जाय तो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती । इतना अच्छा काम हमारे सिंचाई मंत्री का है । पिछले वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में यहां कहा गया था कि 5 साल के अन्दर मेरठ मंडल में पूरी सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे । तो विरोधी दल को इस कार्य के लिये माननीय मंत्री जी की और इस सरकार की तारीफ करनी चाहिए ।

मेरठ मंडल में बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी सराहना विरोधी दल को करनी चाहिए । सिंचाई मंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में ट्यूबवेल्स का जाल बिछाने की योजना जोरों से चल रही है और विरोधी दल को चाहिए कि उनके इस कार्य में हर तरह से सहयोग करें । इसके लिए मैं सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । इसके साथ

ही में यह चाहती हूं कि हमारा बस्ती जिला जो एक बहुत ही पिछड़ा जिला है उसे भी इन ट्यूबवेल्स में से कुछ हिस्सा अवश्य मिले ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्योगों को बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग में उद्योग बन्धु की योजना चलायी है ताकि उद्योग विकास के लिए सबको सुचारु-रूप से सहायता मिल सके । बस्ती एक बहुत ही पिछड़ा जिला है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर ध्यान देकर कोई बड़ा उद्योग वहां भी लगाने की कृपा करें, जिससे वहां का पिछड़ापन दूर किया जा सके ।

गन्ने का दाम सबसे ज्यादा दिला कर हमारे मुख्य मंत्री ने गन्ना किसानों को एक प्रगति का रास्ता दिखलाया और इसीलिए गन्ना किसानों की हड़ताल भी टूट गयी और गन्ना किसान मुख्य मंत्री का साथ हर तरह से देने के लिए तैयार हो गये । लेकिन यह मैं जरूर चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरब और पश्चिम दोनों के लिए अलग-अलग गन्ने का दाम देना ठीक नहीं है । सरकार को चाहिए कि वह दोनों इलाकों के लिए गन्ने का एक ही दाम दे ।

हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों की दशा बहुत खराब रहती है । एक तो सड़कें कायदे से बनती नहीं और उनका रख रखाव भी ठीक से नहीं रखा जाता । इसके लिए सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि पूर्वी इलाके की जितनी भी सड़कें हैं इनके लिए इस बजट द्वारा ज्यादा धन दें और उनको अच्छी तरह से बनाने का हुक्म करें । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे बस्ती जिले में तहसील स्तर पर कोई जच्चा-बच्चा अस्पताल नहीं है और प्रसव के लिए जो महिलायें आती हैं उनको उचित चिकित्सा नहीं मिल पाती है । कभी कभी आते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है उन लोगों को जिला अस्पताल में पहुंचना मुश्किल हो जाता है । इसलिए मेरा कहना यह है कि हर तहसील स्तर पर जच्चा-बच्चा अस्पताल की व्यवस्था की जाय ताकि महिलाओं को प्रसव के समय सुविधा मिल सके । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो दिल के मरीज हैं, जिन्हें दिल का दौरा पड़ता है, उनके लिए भी हर तहसील तथा ब्लाक स्तर पर इलाज की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि उनको लेकर बस्ती शहर में ले जाने में रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है । इसलिए मैं चाहूंगी कि दिल के दौरे को रोकने के लिए तहसील स्तर पर दिल का अस्पताल खोला जाना चाहिए ।

मैं माननीय गृह मंत्री श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी जी को धन्यवाद दूंगी कि वह दृढ़ता से और कुशलता से गृह विभाग को संभाली हुई हैं । उनके कार्य-काल में जघन्य अपराधों में कमी आई है । आपको मालूम होगा कि देवली कांड के 19 डाकुओं में से 8 डाकू पकड़े गये, 4 मारे गये और 4 ने आत्मसमर्पण कर दिया । 19 जो बड़े गिरोह डाकुओं के हैं उनमें से 13 को उन्होंने पकड़वा दिया है । 1 हजार डाकू पकड़े गये, एक हजार डाकू मारे गये और एक हजार अपराधी, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्टरियों को भी पकड़ा गया । 110 हमारे पुलिस कर्मी डाकुओं को मारने में शहीद हुए । इस समय हरिजन मुहल्लों में पुलिस की गश्त तथा सुरक्षा समिति का गठन कर दिया है ।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक हमारे बस्ती जिले में प्राइमरी स्कूलों के लिये मकान नहीं हैं । चाहे जाड़ा हो, गरमी हो या बरसात हो, बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ा करते हैं जिससे उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है । मेरा निवेदन है कि इन स्कूलों के लिए मकान बनाने का प्राविधान बजट में किया जाय ।

[कुमारी अलमेलु अम्माल---]

बस्ती जिले में ड्रेनेज और सिवेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है । जल निगम ने एक करोड़ रुपया इस काम के लिए मांगा है । वहां के जिलाधिकारी ने अस्सी हजार रुपया जमा किया है । मैं माननीय मंत्री जी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगी कि बाकी पैसा उनसे न लेकर के हमारे बजट में पैसा दे कर बस्ती जिले में ड्रेनेज तथा सिवेज की व्यवस्था की जाय । इसके बारे में जब विभागीय बजट प्रस्तुत होगा उस समय भी मैं कहूंगी ।

अन्त में जो बजट यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत अच्छा बजट है । इतना अच्छा बजट इसके पहले नहीं आया । इतनी जल्दी और समय पर यह बजट आया है । यह बजट प्रगतिशील बजट है । इसमें दिमाग इस्तेमाल किया गया है । इससे हमारे प्रदेश के पिछड़े इलाकों की जरूर उन्नति होगी इस विश्वास के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री विजय सिंह राना---

अनुगृहीत हूं अध्यक्ष महोदय, बजट एक गम्भीर विषय है । तीन-चार दिन से जो चर्चा हो रही है उससे ऐसा लगता है कि इस गम्भीर बजट को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है । सत्ता पक्ष से यह कहा जा रहा है कि यह बजट विकासशील बजट है, प्रगतिशील है, रक्तवर्धक, बलवर्धक, आयुवर्धक है, पता नहीं क्या-क्या वर्धक है ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

वीरवर्धक भी है ।

श्री विजय सिंह राना---

अध्यक्ष महोदय, इस बजट की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि यह घाटे का बजट है और कर विहीन बजट है । अध्यक्ष महोदय, घाटे का बजट और कर विहीन बजट दुनिया के इतिहास में आज तक किसी ने अच्छा नहीं बनाया है । अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा देखी होती, पढ़ी होती तो इनको मालूम होता कि घाटे का बजट क्या होता है घाटे के बजट के ऊपर एक अर्थशास्त्री ने लिखा है ---

"सो एवरी इयर, एज द फाइनेन्स मिनिस्टर प्रिपेयर्स द नेशन्स बजट फार द नेक्स्ट इयर, ही फाइन्ड्स हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एण्ड डीप सी ; आइदर इम्पोज हैवी टैक्सेज एण्ड इन्कर द वर्थ आफ द पिपुल राइट नाऊ, आर गो इन फार डेफिसिट फाइनेन्सिंग व्हिच वुड मीन इन्करिंग देयर रैथ टुमारो आइदर फार हिम आर हिज सक्सेसर,"

आगे वे कहते हैं---

दिस नेचुरली एड्स टु द एट्रेक्टिवनेस आफ डेफिसिट फाइनेन्सिंग, दिस इज वन आफ द इम्पार्टेन्ट एलीमेन्ट आफ द प्रोसेस आफ इन्फ्लेशन इन इण्डिया, फार ए रूपी आफ डेफिसिट फाइनेन्सिंग इज सेवरल टाइम्स मोर इन्फ्लेशनरी दन ए रुपी आफ टैक्सेशन,"

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कर विहीन बजट जो है वह किसी भी स्थिति में यदि देश के अन्दर लगाया जाता है तो उससे देश में अवमूल्यांकन

(इस समय 12 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय पीठासीन हुए)

पैसे का होता है । मान्यवर, पूर्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कर विहीन और डिफिसिट बजट कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है । मान्यवर, आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश में रुपये का अवमूल्यन हुआ है किस तरह से पैसे की कीमत घटी है । सन् 1955 में एक रुपये की कीमत 100 पैसे थी, सन् 60 में 79 पैसा हो गई, इसी तरह से सन् 65 में रुपये की कीमत 58 पैसे, सन् 70 में 43 पैसे और अप्रैल 80 में उस रुपये की कीमत 21 पैसे हो गई । मान्यवर, उसके बाद के आंकड़े उपस्थित हैं आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आज उस रुपये की कीमत 16 पैसा रह गई है । इस घाटे के बजट ने करविहीन बजट में देश के अन्दर पैसे का अवमूल्यांकन हुआ है ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

कृपया आप धीरे-धीरे बोलें ।

श्री बिजय सिंह राना--

मान्यवर, जब पैसे का अवमूल्यन होता है तो उससे काला बाजारी होने लगती है । यह बात सारे देश के इतिहास में है । यह सर्वविदित है कि हमारे यहां 13 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष काला बाजारी का जमा होता है । यदि इसका मासिक हिसाब लगाया जाय तो मालूम होगा कि वह 1.50 करोड़ रुपया प्रतिमाह काला बाजारी में आता है । मान्यवर, घाटे की अर्थ व्यवस्था ने इस देश को काल बाजारी में झोंक दिया है और पैसे का अवमूल्यांकन किया है । मान्यवर, यही नहीं इसके साथ ही साथ कर विहीन और घाटे की अर्थ व्यवस्था का बजट हमेशा पूंजीपतियों का समर्थक होता है । इसका कारण यह होता है कि किसी भी समाजवादी देश के अन्दर चाहे वह रूस हो या चीन हो, या और कोई व्यवस्था के अन्तर्गत आगे बढ़े हैं, तो वह पूंजीपतियों पर कानूनी अंकुश होती है । लेकिन हमारे यहां यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है हमारे यहां पूंजीपतियों पर कर लगाये जायं और उसके माध्यम से पूंजीपतियों के ऊपर अंकुश रखा जाय । इस तरह की व्यवस्था न करके इस देश ने और प्रदेश की सरकार ने अपनी अर्थ व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है और ऐसा कोई कर नहीं लगाया है जिससे देश में बढ़ते हुए पूंजीवाद पर रोक लगे । इसके बारे में न तो हमारे वित्त मंत्री जी ने और न ही हमारे भोले मुख्य मंत्री जी ने सोचा है कि हम प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को घाटे का बजट बनाकर इसे कहां ले जा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं अगली बात यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले का जो बजट हमारे सामने आया था उसमें भी कोई कर नहीं लगाया था पर बाद में कर लगाना पड़ा और यह अपना कहा निभा नहीं...

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, आप सुधार कर लीजिए--देश न कह कर उत्तर प्रदेश कहिये ।

श्री विजय सिंह राना--

मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने कहा कि हम प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के अन्दर कोई कर नहीं लगायेंगे । इसी तरह से इन्होंने पहले भी कहा था । यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किसानों के ऊपर भी कर लगा या गया । अब तक इन्होंने जो कर लगायें हैं उसकी आमदनी जो हुई उससे साफ हो जाता है कि जो भी कर लगा वह किसानों पर लगा । विकास कर के नाम से किसानों पर कर लगाया गया जिससे 10 करोड़ की

[श्री विजय सिंह राना—]

आमदनी हुई, जो सवा तीन एकड़ की छूट को कम करके डेढ़ एकड़ की गयी उससे 10 करोड़ की आमदनी प्रदेश को प्राप्त हुई। इसके अलावा बसों का किराया बढ़ाया गया जिससे 30 करोड़ की आमदनी हुई। बाद में विद्युत् कर में वृद्धि की गयी उससे 36 करोड़ रुपया की आमदनी हुई। इस प्रकार इन्होंने कुल मिला कर 86 करोड़ रुपया के कर लगाये। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरा 86 करोड़ रुपया इस प्रदेश के किसानों से लिया इससे इनकी किसान समर्थन नीति का पर्दाफाश होता है।

अब मैं बजट की बात करता हूं इन्होंने जो वायदा किया है कि सिंचाई को बढ़ायेंगे और कृषि का विकास करेंगे। इन्होंने लिखा है। 1975-76 में 52,658 किलोमीटर सिंचाई नहरें थी और 18,139 अन्य नहरें थीं उसमें से आज तक एक किलो मीटर भी नहरें इस प्रदेश में नहीं बढ़ी हैं। यह एक गम्भीर बात है जनता को आप गुमराह कर रहे हैं आपने एक किलोमीटर भी नहरें नहीं बढ़ाई। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्होंने नहरों को बढ़ाया नहीं पर सिंचाई के क्षेत्र में लगातार वृद्धि करते हैं उसको मैं बताता हूं कि 1972-73 में 33.7 प्रतिशत था 1977-78 में 34.9 प्रतिशत था और 1978-79 में 35.1 प्रतिशत क्षेत्रफल में सिंचाई हुई। तो नहरें तो बढ़ी नहीं सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ गया उसका उल्टा प्रभाव हुआ कि नहरें जगह-जगह कटती गई, फसल की ढंग से सिंचाई नहीं हुई और किसान की गेहूं की फसल सूख गई आज इनकी नहरों में कितना क्यूसेक पानी है, यह इन्होंने कभी देखा नहीं।

इन्होंने कहा है कि सड़कों में वृद्धि हुई मैं इनके आंकड़े बता रहा हूं। 1981-82 तक 16 सौ कि0 मी0 नई सड़कें बनाने का अनुमान है। 1982-83 में 940 किलो मीटर राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत बनाने का अनुमान है। 10 किलो मीटर एक सड़क की लम्बाई मान लें तो एक जिले के अन्दर एक सड़क बनेगी। जो बचेंगी वह मंत्रियों के क्षेत्र में लग जायेंगी या फिर हमारे वित्त मंत्री जी के युवा कांग्रेस के युवकों के क्षेत्र में या लोकपति जी के युवतियों के यहां लग जायेंगी। तो यह स्थिति इस प्रदेश के विकास की है। तो इस बजट को गंभीरता से देखें तो कहीं विकास इस बजट से नहीं होने वाला है।

अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने कृषि के अन्दर दो बातें कही हैं एक तो उर्वरक देंगे और दूसरा उन्नतिशील बीज देंगे। कृषि का सम्बन्ध केवल उन्नतिशील बीजों और उर्वरकों से जोड़ा है। उर्वरकों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक यूरिया का कट्टा जो सन् 1965 में 28 रुपया का था इनके शासन में आने के बाद 123 रु0 कर दिया है और दूसरे खादों के दाम भी निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विजय सिंह राना—

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। इन्होंने उर्वरकों के दाम बढ़ाये उसका तीजा यह हुआ कि यूरिया और दूसरी कम्पोस्ट खाद जो हैं उनका प्रयोग अबकी ार किसानो ने नहीं किया। जिसका नतीजा है कि हमारे यहां गेहूं की फसल 3/4 कम हो गई। किसान ने या तो लाही बोई, या चना बोया या फिर मटर बोई अर गहूं नहीं बोया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विजय सिंह राना—

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । कानपुर के अन्दर अभी कुछ दिन पहले इनके युवा हृदय सम्राट अवतरित हुए । इस नवयुवक राजकुमार के आगमन पर हमारे लजीले, सजीले से मुख्य मंत्री आरती उतारने के लिए गये थे और उन्होंने उनकी खूब स्तुति की और कहा कि हमारा सूरज भी तू, हमारा चन्दा भी तू और हमारा परवरदिगार भी तू । उसकी तारीफ में इन्होंने बड़े-बड़े काम किए । जब हमारे रायल परिवार का मुख्य मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतने नीचे स्तर तक चला जायेगा तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है । यह प्रदेश कहां जायेगा है । यह कल्पना करने की बात है...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, मैं कह रहा हूं और आप बैठ नहीं रहे हैं । आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपनी कुर्सी-गद्दी बचाने के लिए मुख्य मंत्री उसकी आरती उतारते हैं और प्रदेश की जनता पर इस तरह से भार लादते हैं । इसके साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री दूधनाथ राजभर—

अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की चर्चा पर मुझे भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस सदन में 2-3 दिन से सामान्य चर्चा हो रही है, मैंने अपने माननीय सदस्यों को सुना, उनके विचारों को सुना । बजट हमारे भी सामने है और उस बजट को देखते हुए मैं अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहूंगा इससे बढ़िया बजट आज तक इस सदन से पास ही नहीं हुआ है ।

यह बजट हर भांति बहुत अच्छा बजट है । हमारे समाज के निर्बल वर्ग और कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए बढ़िया कोई बजट हो नहीं सकता है । इसकी सराहना में मैं कुछ बातें सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं । इस प्रदेश के अन्दर कुल 46 लाख हरिजन परिवार बसते हैं । हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिनकी रहनुमाई में पूरा देश और प्रदेश है आगे बढ़ रहा है, इन सबने हरिजनों और गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने का पक्का निश्चय कर रखा है । इसको बिना ऊपर उठाए यह देश और प्रदेश बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता है । प्रदेश में जो 46 लाख परिवार बसते हैं, उसमें से 30 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं । इस गरीबी-रेखा से नीचे रहन वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए इनमें से 15 लाख लोगों के लिए एक विशेष योजना का प्राविधान किया गया है, जिसका नाम विशेष कम्पोनेन्ट स्कीम है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दूधनाथ राजभर—]

यह स्कीम लागू कर दी गई है । निर्बल वर्ग के लिए यह गर्व की बात है । दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अब तक जो अनुसूचित जाति परिवार के बच्चे धनाभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, उन ऐसे परिवारों, जिनकी मासिक आमदनी 500 रुपये से अधिक नहीं है, के बच्चों की समुचित शिक्षा व्यवस्था के लिए उनके बालक और बालिकाओं को प्राइमरी शिक्षा में 15 रुपया महीने दिये जाने का इसमें प्राविधान किया गया है । यह हमारी सरकार का स्तुति करने योग्य कदम है ।

इसके अलावा भी मैं अपने विपक्षी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस बजट में यह भी व्यवस्था की गई है, अनुसूचित जातियों के वह असहाय लोग, जो अब तक दवा दारू के अभाव में असमय मर जाते थे, क्योंकि उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, उनके दवा-दारू और समुचित इलाज के लिए भी सरकार ने धनराशि की व्यवस्था कर दी है । ऐसे असहाय और बीमार हरिजन लोगों को आर्थिक सहायता देने का इसमें प्राविधान है । इससे भी प्रगतिशील कदम यह है कि अब तक जिन हरिजनों की पुत्रियां पैसे के अभाव में बिना व्याही रह जाती थीं, उनके लिए भी इसमें आर्थिक सहायता देने, आर्थिक सहयोग करने की व्यवस्था की गई है । इसके लिए एक नई योजना प्रदेश के अन्दर कार्यान्वित की जायेगी ।

विरोधी सदस्यों की ओर से कहा गया है कि यह बजट, किसान विरोधी, छात्र विरोधी और शिक्षक विरोधी है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके दिल में भी दर्द है कि समाज के गरीब को ऊपर उठाने का, प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए और छात्रों को अनुशासित करने के लिए ? कल मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, कल मैं बड़े ध्यान से मोहन सिंह जी और रियासत हुसैन जी को सुन रहा था कि उनकी ओर से कोई ऐसा विचार आयेगा, कोई नया तरीका बतायेंगे कि जो शासन की ओर से कोई भूल हो गयी है, उसका अनुपालन करके हमारी व्यवस्था ठीक होगी लेकिन एक भी ऐसा कान्सट्रक्टिव सुझाव उधर की ओर से नहीं आया कि जिस पर इस सरकार द्वारा अमल किया जा सकता है । हम लोग सदन में बैठ कर प्रदेश की खुशहाली के लिए एक साल का बजट पास कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिनके माध्यम से हमारे गांव में रहने वालों और किसानों की खुशहाली होने वाली है, मेरा एक सुझाव यह है कि इस सचिवालय में बैठने वाले अधिकारियों और जिले में बैठे हुए अधिकारियों और ब्लाक स्तर पर जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं जिनके माध्यम से बजट का अमलदरामद होना है, उन पर हमारा शासन बड़ी सतर्क निगाह रखे ।

मैं माननीय, आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र से आता हूं जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है । हमारे जिला विकास अधिकारी जिसके माध्यम से जिले का विकास होना है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिले की जितनी भी छोटी-छोटी योजनायें हैं, जैसे खड़ंजा बनवाना, पुलियों और नालियों का निर्माण कराना सारी की सारी सम्बन्धित फाइलें अपने पैड में बांध कर रखते हैं । उन पर कोई अमलदरामद नहीं हो पाता है ।

माननीय, हमारे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनके ऊपर जिले की जनता स्वास्थ्य का भरोसा रखते हैं, उनके सम्बन्ध में मैंने एक सवाल किया था और आज ही मुझे उसका शासन से जवाब मिला है । उनके ऊपर 9 चार्जेज

लगाये गये थे जिनका विवरण माननीय स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर में मिला है। ये इस प्रकार हैं :

(1) सरकारी वाहनों को अपने बंगले पर रखना,

(2) प्रचार वाहन की मरम्मत न होना,

(3) जिला ब्यूरो स्टाफ के कार्यकर्ताओं को अपने कार्यालय से हटा कर उप-मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्बद्ध किया जाना,

(4) वर्गवाद में विश्वास करना,

(5) दक्षतारोक पार कराने हेतु पैसा लेना,

(6) दवाइयों में हेराफेरी,

(7) हानिकारक एवं गुणहीन दवाइयों का क्रय करना,

(8) मऊनाथ भंजन चिकित्सालय को महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी दवायें उपलब्ध न कराना,

(9) जिला अस्पताल में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता तथा अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार के जो आरोप आये हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार को अपने अधिकारियों के ऊपर कड़ाई करनी होगी।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, वर्ष 1982-83 का बजट भी पिछले वर्षों के जो बजट शासन ने पेश किए थे उनकी तरह ही झूठा और आंकड़ों का शब्दजाल है, झूठे वायदों और संकल्पों का पुलिन्दा है और इसमें जन आकांक्षाओं से शासन का कोई सम्बन्ध नहीं है न वास्तविकता से ही इसका वास्ता है।

[12 बजकर 55 मिनट]

मान्यवर, दो बजट हमारे सामने हैं--एक वर्ष 1980-81 का और दूसरा 1982-83 का। मैं आपके सामने यह पेश करना चाहता हूं कि किस तरह से गलत आंकड़े इस सदन में पेश किये जाते रहे हैं। राज्य की आय वर्ष 1978-79 की 1980-81 के बजट में 5,159 करोड़ बतायी है और वर्तमान बजट में उसी साल की आय 5,372 करोड़ बतायी है। 1979-80 की आय वर्ष 1980-81 के बजट में 4,400 करोड़ और वर्तमान बजट में 4,498 करोड़ बतायी है। अब प्रति व्यक्ति आय 1978-79 में 509 रुपये और 1979-80 में 485 रुपये बतायी है, जब कि वर्तमान बजट में उसे 1978-79 में 530 रुपये और 1979-80 में 436 रुपये दिखायी है। इसी सदन में पहले भी बजट पेश हुआ था। माननीय वित्त मंत्री किस तरह से सदन को गुमराह करते हैं इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है जो मैंने अभी आपको दिया ? यह सदन की अवहेलना है।

इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 24 दिसम्बर तक इस्तीफा देने के बारे में एक संकल्प लिया था और उसे लेकर सदन में काफी चर्चा हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

लेकिन 34 साल की जो कांग्रेस झूठी कसमों और झूठे वायदों पर ही शासन करती रही हो, वहां अगर माननीय मुख्य मंत्री ने कोई झूठा संकल्प ले लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री का चीर-हरण होते-होते बच गया । वह जमाना अब नहीं रह गया जब यह कहा जाता था कि "रघुकुल रीति सदा चलि आयी, प्राण जाय पर वचन न जायी ।" अब वह जमाना नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ अच्छे काम हुये हैं वे तो कांग्रेस के शासन काल में हुये और जितने भी बुरे काम हो रहे हैं उनकी जड़ें जनता शासन काल में पड़ीं, यह सत्ता पक्ष से कहा जाता है । मैं आपके समक्ष जनता शासन काल के दो वर्ष का और इन्दिरा कांग्रेस के शासन के 11 वर्षों की कुछ चीजों का हिसाब रखता हूं । आप दो वर्ष के जनता शासन का और 11 वर्ष के इन्दिरा शासन की अगर तुलना करें तो देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में 7.4 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई जिसमें 4.7 प्रतिशत की वृद्धि जनता शासन के दो वर्ष की है । 6 प्रतिशत वार्षिक दर की औसत वृद्धि जनता शासन की है और 3.6 प्रतिशत वार्षिक दर की औसत वृद्धि 11 वर्षीय कांग्रेस शासन की । रोजगार में 5 प्रतिशत वार्षिक दर पर वृद्धि हुई जनता शासन में और 3 प्रतिशत की हुई इन्दिरा शासन में ।

शान्ति-व्यवस्था के बारे में कहा गया । जनता शासन में एक नारायणपुर कांड हुआ था, आज रोज वैसे कांड हो रहे हैं । आज उसको इनको कतई फिकर नहीं है । आज जो यह बजट पेश किया गया है, यह कहना गलत है कि उस पर जन-साधारण की नजरें लगी हुई हैं । इस बजट की तरफ विभिन्न विभागों के अधिकारियों की, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग है, नजरें लगी हुई हैं जिनमें कि लूट का अंश निश्चित है । और वह अंश लगभग 40 फीसदी इस समय मान्यवर, पहुंच जाता है । तो वह बड़े बेबसी के साथ इस बजट के पास होने का इन्तजार करेंगे । मान्यवर, जहां तक जनसाधारण की बात है, इस बजट में हमेशा इस चीज का पर्दा डाला गया कि किसान से, मजदूर से, जनसाधारण से कितना योगदान हो रहा है और कितना उसी अनुपात में उस वर्ग के ऊपर खर्च किया जा रहा है या उसको इस बात से कभी नहीं देखा गया । हमारा विश्वास है कि 70 फीसदी इस बजट को मीट करता है किसान, 10 फीसदी मजदूर, 20 फीसदी यहां के, प्रदेश के जो धन्ना-सेठ, पूंजीपति लोग हैं । जब इस बजट के खर्चे का प्रश्न आता है, तो उल्टा होता है । 70 फीसदी वाला 20 फीसदी में रह जाता है और 20 फीसदी वाला 70 फीसदी में रह जाता है ।

मान्यवर, शासन के लोग अगर ईमानदारी के साथ यह चाहें कि बजट में जो धनराशि यहां निश्चित की जाती है, उसका कोई एक पैमाना तय कर लें और प्रदेश के किसी भी ब्लाक को एक इकाई के रूप में मान लें और एक ब्लाक को लगभग 3 करोड़ रुपया प्रति वर्ष विभिन्न विभाग से विभिन्न योजनाओं से किया जाता है । सिर्फ 5 साल के हिसाब को ले लें । 5 साल में एक ब्लाक में 15 करोड़ रुपया लगाया गया । मान्यवर, आप किसी भी ब्लाक की तस्वीर देखने के लिये जायं, तो वहां पर धुंधली तस्वीर मिलेगी । तो मान्यवर, यह बजट का पैसा किस रूप में लगता है, कहां जाता है, किनकी जेब में जाता है, यह शासन के लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है ।

मान्यवर, यह भी बात यहां पर कही गयी नये कर के बारे में, घाटा तो है बजट में और उस घाटे को पूरा करने के लिये शासन क्या करेगा, इसके बारे

में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया । मान्यवर, नये कर के लिये तो इन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं रखी । इसके लिये वह इस सदन में भी कह देंगे कि हम कोई नया कर नहीं लगायेंगे । लेकिन शासन की ओर से यह आश्वासन देने का साहस नहीं हो सकता है कि जो भी बोझ जनता के ऊपर पड़ा हुआ है, उस बोझ में बढ़ोत्तरी नहीं की जायगी । मान्यवर, नियत साफ है कि जो बोझ जनता के ऊपर पड़ा हुआ है, उस बोझ को ये बढ़ायेंगे । इसका संकेत इन्होंने बजट में कर दिया । मान्यवर, किसान के आंसू पोछने का काम तो इन्होंने किया है । तमाम उससे सम्बन्धित योजनाओं का नाम लिया गया ।

किसान की बुनियादी समस्या है कि किसान जो कुछ पैदा करता है, उसके पैदा किये हुये माल के ऊपर उसका मालिकाना खत्म हो जाता है, जब उसका माल बाजार में जाता है । इससे पहले यह नहीं प्रयास किये गये कि उस किसान को उसके द्वारा पैदा किये हुये माल की लागत और उसके अधिकार को निश्चित करें । लेकिन इन किसानों की समस्याओं के बारे में इनको चिन्ता नहीं है । मान्यवर, पहले चोरी, डकैती होती थी, कत्ल होते थे और अब तो सामूहिक नरसंहार होने लगे हैं । अगर सामूहिक नरसंहार ही इनकी शांति व्यवस्था है, तो इनको ही यह मुबारक हो । अखबार ने दो लाइनें छापी कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने डाकू समस्या का समाधान कर लिया । संकल्प लिया । पूरी पुलिस प्रदेश की मुस्तैद हो गयी । उनके उस संकल्प को पूरा करने के लिये उस अखबार ने लिखा है कि विश्वनाथ का प्रताप बराती भी डाकू । मान्यवर, अब बराती भी डाकू दिखाई देने लगे हैं । मान्यवर, यह सीतापुर जिले की घटना है वहां बरातियों पर इनकाउन्टर किया गया । मैं इसको 2 में लाइन कहना चाहूंगा । इसने लिखा है मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देवली कांड को लेकर इस्तीफे की घोषणा के कारण जहां एक ओर चर्चा के विषय बन गये हैं वहीं उनकी घोषणा की लाज रखने के लिये पुलिस प्रशासन को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ऐसा मुस्तैद किया गया है कि बराती भी डाकू नजर आने लगे और ब्याह कर लाई गई नववधू फूलन । मुठभेड़ों में डाकुओं के मारे जाने की बात मुख्य मन्त्री ने कही । मान्यवर, डाकू मारे जाते हैं और कुछ साल बाद फिर पैदा हो जाते हैं । झलुआ नामक एक डाकू बांदा में मारा गया और अब पता चला है कि माननीय मुख्य मन्त्री के क्षेत्र तिंदवारी में वह जिन्दा है । इसी तरह से मुस्तकीम के मारे जाने की बात कही गई । इस सदन में भी कहा गया कि फर्जी मुस्तकीम मारा गया । आज नहीं तो कल वह फिर सामने आ जायेगा ।

मान्यवर, डाकुओं के नाम पर जो मारे जा रहे हैं वह हैं हरिजन और बेगुनाह लोग । उनको अगर साफ करके डाकू समस्या का समाधान किया जा रहा है तो यह अच्छा तरीका नहीं है । मान्यवर, हरिजनों के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की जा रही है । माननीय रियासत हुसैन जी, ने जब प्रस्ताव रखा देवली और साढ़पुरा के कांड के सम्बन्ध में उनकी सुरक्षा के लिये उपाय निकाले जायं तो सत्ता पक्ष का एक भी विधायक और उनके मुख्य मन्त्री तक तैयार नहीं हुये इस बात के लिये कि हरिजनों की सुरक्षा के लिये उपाय तलाशे जायं । आप देख रहे हैं रोज हरिजन उत्पीड़न हो रहा है, मारे जा रहे हैं उनकी बहू-बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनसे बेगार लिया जा रहा है । हमारे हरदोई जिले में थाना बंगौली में एक गांव है बघौली के पास बहैया खेरा वहां के 16-17 हरिजनों ने दरखास्त की, कि उनको मारा गया, पैसा लिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । मान्यवर, एक मिसाल और देना चाहूंगा और आपकी इजाजत चाहूंगा । विधान सभा के सामने हड़ताल फासिस्टों की चल

[श्री राम आसरे वर्मा---]

रही है, पन्तनगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपनी करुण गाथा कह रहे हैं। जन गणना कर्मचारी भी अनशन कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आवश्यकता किसको है गढ़वाल में चुनाव था इसी सदन के मन्त्रिपरिषद् के एक माननीय सदस्य गढ़वाल के चुनाव को स्थगित कराने हेतु अपने दफ्तर में 72 घंटे की नोटिस कर्मचारी महासंघ की ओर से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के दफ्तर में टाइप हुई और दी गई। जेल कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। आप देखें बिना शर्त के हड़ताल समाप्त हो गयी। माननीय कारागार मन्त्री ने अपने हाथ से लिखकर शर्तें रखी थी कि इसका पालन किया जायेगा लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। एसोसियेशन को पत्र लिखा गया कि किसी कर्मचारी को उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा किसी के साथ ज्यादती नहीं की जायेगी लेकिन मान्यवर, बहुत से कर्मचारी सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बजट शासन द्वारा रखा गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता हूं। मैं नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

*श्री त्रिवेनी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह प्रगतिशील है, मजदूरों, गरीबों और किसानों के हित का है। इस नाते मैं जोरदार शब्दों में बजट का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, सदन में 3-4 दिनों से यह चर्चा चल रही है लेकिन मैं देखता हूं कि चाहे जो माननीय सदस्य हों वह बजट की आलोचना नहीं करते हैं बल्कि व्यक्तिगत आलोचना करते हैं। बजट को दृष्टिकोण में रखते हुये इस प्रदेश के लिये इससे सुन्दर बजट प्रस्तुत करने का मौका किसी को नहीं मिला है और न विरोध पक्ष को ही मिला है। इस बजट में यह नहीं दिया गया है कि जैसे जनता सरकार ने सोने को बेच दिया और इसके अलावा 2-3 सालों में जो जनता का अहित किया था उसका जिक्र नहीं किया गया।

मान्यवर, गन्ने के मामले में जब जनता सरकार थी तो गाजियाबाद और मेरठ में नारे लगाये जाते थे कि बोलो चरण सिंह की जय, गन्ना बिक गया पौने छः।

(व्यवधान)

मान्यवर, बजट की आलोचना करना स्वस्थ परम्परा है, अपोजीशन का हक है लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी देख लें कि बजट किस दृष्टिकोण से बनाया गया है जैसे गरीबों और किसानों के हित के लिये टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। मान्यवर, इनको शक है कि अभी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है तो बाद में बढ़ाया जायेगा, इनके दिमाग में यह बात घुस गयी है। मान्यवर, यह सरकार इस प्रदेश के विकास के लिये, आय बढ़ाने और उद्योग-धंधों को खोलने के लिये सक्षम है। जब जनता सरकार थी तो हरिजनों के लिये आज जो दुहाई दे रहे हैं, वह पहले अपने समय में हरिजनों की ग्रान्टस, सब्सिडी, शिक्षा और स्कूल एवं पानी के लिये जो उनको सुविधायें मिली थीं वह सब बन्द कर दिया था और आज फर्जी दोहाई यह दे रहे हैं। इसके आंकड़े मान्यवर, आप देख सकते हैं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री छत्तर सिंह—

माननीय, यह आंकड़े दिखायें ।

श्री त्रिवेनी—

माननीय, कोई भी सदस्य यदि बोल रहा है तो उसके बीच में व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि श्री त्रिवेनी के भाषण में लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि भविष्य में श्री त्रिवेनी किसी के भाषण में व्यवधान नहीं करेंगे, तो शायद समस्या का समाधान हो जाय ।

श्री त्रिवेनी—

में यह कह रहा था कि हमारे दोस्त जो उधर बैठे हैं बजट को पूरा नहीं पढ़ते हैं । हमने किसी की स्पीच में व्यवधान नहीं पैदा किया है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या हमारे भाई अम्मार रिजवी ने या सरकार ने माननीय त्रिवेणी राय जी को इसलिए नियुक्त किया है कि वह हमें इस सदन में अपोजीशन का क्या पाठ है उसको पढ़ायें ? हम पढ़ने के लिए तैयार हैं अगर माननीय अम्मार रिजवी पढ़ावें या माननीय कोआपरेटिव मंत्री जी पढ़ावें ।

श्री त्रिवेनी—

आपको भी पढ़ने की जरूरत है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जब हम इतने बदनसीब हो जायेंगे तभी हमें आपकी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी ।

श्री त्रिवेनी—

कल कुछ हमारे साथी सदन में व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे थे । असेम्बली की एक परम्परा है, यहां पर मर्यादित ढंग से कुछ कहना चाहिये । चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों जो भी शब्दों का उच्चारण असेंबली में करें वह मर्यादित होने चाहिये । इसलिए कि हम 11 करोड़ जनता की ओर से यहां पर बोल रहे हैं । माननीय विधायक चाहे इधर के हों या उधर के हों वह 11 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । अगर वह 11 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये, उनका उत्तरदायित्व भी है । हम अपनी

[श्री त्रिवेनी--]

जिम्मेदारी से वंचित नहीं हो सकते । अगर सदन में ऐसे शब्द कहें जो कलंकित शब्द हों तो उससे आप और हम बरी नहीं हो सकते ।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, पाण्डेय जी यहां से उधर चले गये हैं, वे हमारे पुराने मित्र हैं । पाण्डेय जी की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है । मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं वह जो भी कहें, शिरोधार्य है । मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, त्रिवेनी राय जी ने बजट का बड़ा गहन अध्ययन किया है । अब जब बोलने का समय आया है तो आप लाल बत्ती दिखा रहे हैं तो उनको बजट पर कुछ कहने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप उनको सुनिये ।

श्री त्रिवेनी--

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत सी समस्यायें हैं । वह गरीब अंचल है । गोरखपुर, बनारस के कुछ हिस्से, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद यह पिछड़े इलाके हैं । चाहे उद्योग-धंधों के दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे एग्रीकल्चरल प्वाइंट आफ व्यू से देख लीजिए, वह पिछड़े इलाके हैं । शिक्षा के क्षेत्र में भी यह जिले पिछड़े हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज कायम हुई हैं लेकिन वहां पर टेक्निकल एजूकेशन की कमी है । इन जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिये । केराकत में अगर गोमती नदी पर पुल बना दिया जाय तो आजमगढ़ और बनारस की 30 किलो मीटर की दूरी कम हो जायगी । उद्योग-धंधों की वहां पर स्थापना होनी चाहिये । पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से आजमगढ़ आदि जिलों में ब्राड गेज और मीटर गेज नहीं है, वहां पर सड़कों का सहारा है । जब यह समस्या आती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जायं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वह कहते हैं कि कोई साधन रेल सम्बन्धी यहां नहीं है, न ब्राड गेज है और न ही मीटर गेज है और जो फैक्ट्री का माल तैयार होगा, वह कैसे कहीं पर ले जाया जायेगा और न ही कहीं से कच्चा माल ही फैक्ट्री के लिए उपलब्ध हो सकेगा । इसलिए यह समस्या आज की बहुत ही गम्भीर है, इस पर गम्भीरता से विचार-विमर्श कर कोई सक्रिय कदम शीघ्र ही उठाना पड़ेगा तभी वहां कोई जनकल्याणकारी कार्य हो सकता है । डाकुओं के अभियान के सिलसिले में जो बातें विरोधपक्ष की ओर से सुनने को मिली हैं, इन सब बातों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शायद माननीय सदस्यगण माननीय मुख्य मन्त्री जी को अभी समझ नहीं सके हैं कि वह कितने निडर, ईमानदार, सहनशील एवं उच्च विचारों के हैं, उन्होंने जिस प्रकार से डाकुओं को चैलेंज किया है, वह किसी बहादुर और निर्भीक व्यक्ति का ही काम है, इसलिए ऐसे मुख्य मंत्री की आलोचना करना सही प्रतीत नहीं होता है । जहां तक मैं समझा हूं कि आलोचना करने वाले वही माननीय सदस्यगण हैं जो डाकुओं को प्रश्रय देते हैं । वैसे

माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात के लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा मुख्य मंत्री नहीं आया होगा जो इतना निडर सहनशील, चरित्रवान, ईमानदार हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रामधनी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर हो रही चर्चा पर बोलने का अवसर दिया और मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य का समर्थन तहे दिल से करता हूं ।

(शोर)

यह आपके बजट के समर्थन के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आप सरस्वती विहीन त्रिवेनी हैं, इसलिए कि आपको कुछ समझ में आता नहीं है, यह मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है ।

मान्यवर, यह बजट घोर पूंजीवादी और किसान विरोधी बजट है । मैंने बजट का अध्ययन किया इस नियत से कि देखें किसान हित की कोई बात, जिस प्रकार से जनता शासन ने विहित की थी, इसमें भी है, तो मालूम हुआ कि इसमें कुछ भी किसान के लिए नहीं है और साथ ही किसान, निर्बल वर्ग व सर्वहारा वर्ग के लिए भी इसमें कुछ नहीं किया गया है और मान्यवर, जो हरिजनों के हित की बात इस बजट में ढ़िढ़ोरे के रूप में पीटा गया है, उसके लिए भी देखा, इसमें कोई विशेष बात नहीं पायी । कम्पोनेंट प्लान के लिए बहुत कुछ शोर मचाया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

हरिजनों का तुम लोगों ने जब ढ़िढ़ोरा पीटा था तो उसको उन लोगों ने भी देखा, इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हारा विश्वास इस बार नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

त्रिवेनी राय जी, आपने जो वायदा किया था किसी के भाषण के दौरान व्यवधान नहीं पैदा करेंगे, तो उसको याद रखते हुए किसी के भाषण में व्यवधान मत पैदा करिये ।

श्री रामधनी—

मैं कम्पोनेंट प्लान की बात कर रहा हूं कि इसमें भी जो ढिढोरा पीटा जा रहा है कि किसान को इतना ऋण दे दिया, उतना दे दिया तो मैं जानना चाहता हूं कि एक भी ऐसा कोई मामला लाकर दिखा दीजिए जो बगैर किसी जमानतदार के किसी भी गरीब किसान को, हरिजनों को या अन्य वर्ग को किसी भी बैंक में दिया गया हो । एक भी ऐसा मामला आप लाकर नहीं दिखा सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो लोग गरीब हैं, निर्बल है, अपंग हैं, असहाय हैं और जिनके पास कोई भूमि नहीं है ।

[श्री राम धनी--]

उनका न कोई बिजनेस है न कोई साधन है, उनको ऋण कैसे देने जा रहे हैं। उनके लिये इन्होंने जमानतदार की स्कीम बनायी है, लेकिन जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो वे जमानत किस चीज की देंगे ? वही बात हुई कि--छुंच्छा को कौन पुच्छा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन और निर्बल वर्ग के लोग इस स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से वंचित किये जा रहे हैं। मैं इस सदन के विधायकों को माननीय मंत्रियों को सलाह देना चाहता हूं कि निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण उनके चरित्र पर, उनके ईमान पर, उनके अच्छे व्यवहार पर देने की व्यवस्था करें तब तो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान सफल हो सकता है वरना यह निर्बल वर्ग के लोगों के लिये धोखे के सिवाय कुछ नहीं है।

किसानों के हित की आप जो बात करते हैं वह केवल एक धोखे और मृगतृष्णा की बात है। उनको आप न बिजली दे रहे हैं, न सिंचाई का साधन दे रहे हैं, न खाद है न पानी दे रहे हैं, केवल अप्रत्यक्ष रूप से उन पर कर लगाने की व्यवस्था की गयी है।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

जनपद गाजीपुर की बात कहना चाहता हूं जिला परिषद् के माध्यम से कहीं भी इस किस्म का टैक्स नहीं लगा होगा। किन्तु जिला गाजीपुर में सायकिलों पर टैक्स लगा है और जो 2-4 बिस्वा के काश्तकार हैं, उन पर भी गन्ना कोल्हू टैक्स लगा है। खोये पर टैक्स लगा, यह बेरहम सरकार जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, जो सायकिल रखते हैं, उन पर भी कर लगा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह जो छोटे-छोटे कर लगाये जा रहे हैं, उनको समाप्त किया जाय।

शिक्षा के क्षेत्र की बात ले लीजिये। आज भी दो तरह की शिक्षा है, एक तो पूंजीवादी किस्म की शिक्षा और दूसरी गरीब लोगों की जो शिक्षा है, वह अलग है। अगर आप समाजवाद की बात करते हैं तो समता वाली शिक्षा देनी चाहिये। बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिये जो शिक्षा की व्यवस्था है, वह समाप्त होनी चाहिए।

गाजीपुर जनपद में और मेरा विश्वास है कि प्रदेश के और भी विद्यालय हैं जहां बच्चे पेड़ की छाया में पढ़ते हैं, सैकड़ों प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां भवन नहीं हैं। आप इस पर ध्यान दें।

सिंचाई की बात आती है, शारदा कैनाल जनपद गाजीपुर से 3-4 मील पर पड़ती है, जिसकी सारी पुलिया तोड़ दी गयी हैं। एक दिन आप बनाते हैं और दूसरे दिन तोड़ने का काम करते हैं। गाजीपुर में खंड-23 के माध्यम से पानी का इतना दुरुपयोग हुआ है कि जगदीशपुर और मंगरी सेमरौल पट्टी आदि में इतना बाढ़ का पानी आ गया है कि बोये हुए खेत प्रभावित हो गये हैं और आप फिर से मालगुजारी लगाने की बात करते हैं।

हरिजन विद्यालय उत्तर प्रदेश में बहुत चलते हैं लेकिन आज भी हरिजन विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं हैं। उनको ग्रान्ट नहीं दी जाती है थोड़ी सी ग्रान्ट देकर उनको हटाया जा रहा है। जितने विद्यालय हैं चाहें वह जौनपुर के हों या गाजीपुर के हों, उनको पूरी मान्यता देकर ग्रान्ट देने की व्यवस्था करें।

जनपद गाजीपुर में जो भी सड़कें बन रही हैं उन पर अगर 50 हजार रु० स्वीकृत होता है तो 20 हजार ही सड़क के काम में व्यय होता है। बाकी पैसा या तो इंजीनियर की पाकेट में जाता है या ठेकेदार की पाकेट में जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे मामलों में आपको लिखकर दे देना चाहिये। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामधनी--

इन शब्दों के साथ में माननीय नेता, विरोधी दल के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया में इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यहां पर बजट रखा, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जितना उत्तरदायित्व शासन पक्ष का होता है तो उसमें थोड़ा दायित्व विपक्ष का भी होता है। यदि विपक्ष राष्ट्र के हित के कामों में समर्थन दे तो देश का विकास होने में देश तक प्रगति होने में कोई कमी नहीं हो सकती।

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकार ने जितने भी आज तक परिवार कल्याण के लिये कार्यक्रम बनाये हैं, तो उस परिवार कल्याणकारी योजनाओं के मैनीफेस्टो का जिक्र तक इसमें नहीं किया गया है। जो प्रोग्राम आपने तैयार किये हैं, जनसंख्या की समस्या के कारण सब सुलझने के बजाय उलझ रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों और श्रमिकों के लिये रखा गया है। किसानों के लिये हमारी सरकार ने करोड़ों का घाटा उठा कर 21 1/2 रुपए के भाव गन्ने के लिये दिया है। मान्यवर, जब जनता पार्टी का शासन था उस समय यही गन्ना 3 और 4 रुपए क्विन्टल के भाव से बिकता था। एक बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक किसान एक गन्ना फैक्ट्री में गया गन्ना लेकर। उसने कहा कि गन्ना तौल लीजिये। उसका गन्ना तौल लिया गया। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम "उल्लू का पट्ठा" है। लोगों ने कहा कि यह कैसा नाम है तो उसने जवाब दिया कि इतनी दूर से गन्ना ढोकर ला रहा हूं और इतनी ढुलाई जा रही है और गन्ने का दाम कितना मिल रहा है तो मुझसे बड़ा और कौन उल्लू का पट्ठा होगा जो इतनी दूर गन्ना देने चला आयेगा। तो मान्यवर, यह हाल था इनके शासन काल में, जो आज किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं।

दूसरी बात मैं बताता हूं कि दिनों, दिन जो आबादी बढ़ रही है, है कोई इसका इलाज आपके पास? यह काम परिवार कल्याण के बगैर नहीं हो सकता है।

(विरोधी पक्ष की ओर से व्यवधान तथा हंसी)

यदि आप इसके हितेषी नहीं हैं तो राष्ट्र का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। [* *]

नोट--[* *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री धरम पाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय सदस्य ने विरोधी पक्ष के सदस्यों को (***) कहा है, क्या उन्हें ये (***) को संज्ञा दे सकते हैं ?

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, ये लोग बराबर बाधा डाल रहे हैं बोलने में ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय जितेन्द्र पाल सिंह ने शायद...

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, जब हमारी तरफ के लोग बोलते हैं तो माननीय रियासत हुसैन हर सदस्य को टोकते हैं । इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । अपोजीशन जब बोलता है तब रूलिंग पार्टी से कोई नहीं बोलता और जब रूलिंग पार्टी के लोग बोलते हैं तब भाई रियासत हुसैन को पता नहीं क्यों खलबली मच जाती है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निश्चित रूप से इस पर व्यवस्था दे रहा हूं । पहली व्यवस्था तो यह है कि एक साथ यदि कई सदस्य बोलें तो मुझे अपने कानों को ट्रेन्ड करना पड़ेगा कि मैं एक साथ सबको सुन सकूं । अभी कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोल रहे थे जैसे धरमपाल, थम्मन सिंह, रियासत हुसैन तब तक माननीय त्रिवेनी जी भी बोल उठे । इस स्थिति में तो मेरी समझ में नहीं आ सका कि कौन-कौन लोग क्या-क्या बोले ? जहां तक पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस का सवाल है, यहां तो टोका-टाकी तक होती है । यदि आप ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में जायेंगे तो वहां पर तो लोग सुघंनी सुघ कर लोगों को डिस्टर्ब करते हैं । इनटरप्शन किया जा सकता है, पर पानी नाक के ऊपर न हो । इन्टरप्शन में जहां पानी नाक के ऊपर न हो, नामुनासिब नहीं है ।

श्री हुकम सिंह--

ऐसी व्यवस्था के लिये धन्यवाद ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय जितेन्द्र पाल जी ने शायद किसी भावावेश में आ कर के सारे विपक्ष को (**) करार दिया है, तो अगर इसको कार्यवाही से निकाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देखूंगा, अगर पूरे विपक्ष को राष्ट्र द्रोही करने की बात कही गयी है तो निश्चित रूप से इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

माननीय, जो लोग राष्ट्र हित के कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न करते हैं वे वास्तव में [**]। माननीय, दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी और....

श्री उपाध्यक्ष---

आपन दोबारा क्या कहा ?

श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी....

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं-नहीं, उसके पहले ।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह---

जो लोग र ष्ट्र हित के प्रोग्रामों का विरोध करते हैं, अवरोध करते बाधा उत्पन्न करते हैं, वे (***) कहलाने लायक हैं ।

श्री हुकम सिंह---

माननीय, मेरी आपत्ति है.... .

श्री उपाध्यक्ष---

अगर वह अपना डिसेन्ट देते हैं तो वे दे सकते हैं लेकिन अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो यह उचित नहीं है । लेकिन आप इस तरह के शब्द प्रयोग करें तो निश्चित रूप से यह आपत्तिजनक है ।

(श्री हुकम सिंह के दोबारा खड़े पर)

माननीय हुकम सिंह जी, आदमी अपने स्तर से बोलता है, बोलने दें ।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह---

माननीय, मैं कह रहा था, जो शासन की नीतियां हैं, पालिसी है, उसका विरोध करें । लेकिन मैंने देखा कि जो सिंचाई की भाखरा नांगल नहर बनी थी, लोगों ने कह दिया कि इसके पानी से बिजली निकाल ली गई है। इसलिए इस पानी को देने से कोई फायदा नहीं है, तो लोगों ने पानी देना बन्द कर दिया । फिर लोगों को समझाया गया कि इस पानी से कोई नुकसान नहीं है, तब उन्होंने पानी देना शुरू किया, तो ऐसे विरोध से कोई लाभ नहीं है ।

माननीय, हमारे बजट में 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रमों के लिए भी प्राविधान किया गया है जो गरीबों के लिए बहुत हितकर है । मैं चाहता हूं कि हमारे जो विरोध पक्ष के लोग हैं वे अच्छी तरह से अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में इसे शुरू करें ।

माननीय, हमारे बजट में एक शिक्षक कल्याण कोष का प्राविधान किया गया है । इससे शिक्षक वर्ग और शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए ।

नोट--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

हरिजनों के लिए बहुत कटाक्ष हो रहे हैं । जब इनका शासन था, जनता पार्टी की सरकार थी, तो हरिजन इतने आतंकित थे कि वह घर से निकलने में भी डरते थे और जब हमारी सरकार आई तो हमारी लोकप्रिय सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि हरिजन सारे दिन घर से निकल सकते हैं । हरिजनों के उत्थान के लिए प्राविधान किया गया है । मान्यवर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों को निगम द्वारा ऋण दिया जायेगा और ब्याज में छूट दी जायेगी जिससे वह बराबरी के स्तर पर आयेंगे । आरक्षण के सम्बन्ध में बहुत सी कटाक्ष विरोध पक्ष की ओर से किए जाते हैं कि आरक्षण पूरा नहीं किया जाता है । मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहली बार घोषणा की कि जो स्थान हरिजनों के लिए आरक्षित हैं, अगर उनके लिए हरिजन अभ्यर्थी नहीं मिलेगे तो वह स्थान भरे नहीं जायेगे, वह खाली ही रहेंगे । ऐसा आदेश किसी शासन ने नहीं किया इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूं । हरिजनों के लिए एक बहुत अच्छा प्राविधान किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक-एक हरिजन छात्रावास होगा । जब वह छात्रावास बन जायेंगे तो उनके रहने के लिए व्यवस्था होगी । उनकी फीस माफ होगी । उनको वजीफा मिलेगा । उनके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा । इस प्रकार यह सब किया गया है हरिजनों के लिए । मान्यवर, अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार अन्तर्जातीय विवाह पर विचार करें, और अगर उनमें नहीं हिम्मत है तो मैं अपने बेटे का अन्तर्जातीय विवाह करने के लिए तयार हूं ।

श्री धरमपाल--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय धरमपाल जी, आपने बिना आदेश के जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --

आप बैठें । आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, जो वित्त मन्त्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है और जो उन्होंने 1982-83 का बजट भाषण सदन में पढ़ा गया उस पर दिया है और जो उन्होंने ब्यौरेवार अनुमान प्रस्तुत किए हैं उन आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि वे आंकड़े भ्रामक हैं और सत्य से परे हैं इसी के आधार पर माननीय वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया है वह भी सत्य से परे हैं । मैं पहले उनके भाषण

नोट--[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

के कुछ अंशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन्होंने प्रथम पेज पर कहा है कि 78-79 में प्रदेश की कुल आय 5,372 करोड़ रु0 थी और 1980-81 में प्रदेश की कुल आय 5,523 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अब आप यह देखें कि 78 और 79 और 81 और 82 में जो कीमतें बढ़ी हैं उन कीमतों के बढ़ने के प्रतिशत में जो आय इन्होंने बढ़नी दिखाई है वह वास्तविक रूप से बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। इनको मैं और स्पष्ट कर दूं कि अगर सन् 78 में हमें 100 रु0 मिलते थे और अब 110 रु0 मिल रहा है तो यह हमारी आय बढ़ी नहीं है क्योंकि जो कीमतें बढ़ी हैं उसके हिसाब से हमारी आय घटी है। वित्त मंत्री जी के भाषण में जो उल्लेख किया गया है कि हमारी आय बढ़ी है, वह निराधार है। उनके भाषण में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में आम जरूरत वस्तुओं को उपलब्ध कराने के सक्रिय प्रयास किए गए हैं। इसकी सफलता के लिए उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं चीनी के और सीमेंट के, उस सम्बन्ध में मान्यवर मेरा निवेदन है कि 2 साल के अन्दर जब से कांग्रेस शासन आया है यदि इनका उत्पादन बढ़ा था तो वह बाजार में सामान्य रूप से सब सामान मिलता है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होना चाहिए। सभी जानते हैं कि सीमेन्ट उपलब्ध नहीं है। चीनी उपलब्ध नहीं रही। इस कारण इनका यह कहना भ्रामक है क्योंकि हमारा मापदंड यही हो सकता है यदि इनके कथनानुसार उत्पादन बढ़ा है वह कहां गया। कहीं पर इन्होंने यह नहीं कहा है कि माल की खपत ज्यादा हुई या इतना माल विदेशों में भेजा है इस कारण हमारे प्रदेश में जरूरत की चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी तरह से तीसरे पेज पर इन्होंने नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की बात कही है। मुख्यमन्त्री जी ने भी नियोजन प्रक्रिया के सम्बन्ध में बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दिया और ऐसा लगता है कि वह पहले मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। मान्यवर, विकेन्द्रीकरण तो उस समय मान लेते जबकि जो निर्माण कार्य हो रहे थे प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्यमन्त्री कहते धनराशि 75 या 80 प्रतिशत, धनराशि जिलाधिकारी के सुपुर्द होगी एवं उस कि 70 को किस निर्माण कार्य में लगाया जायेगा इसका निर्णय जिला समितियों पर छोड़ते यदि 30 प्रतिशत दें और 70 प्रतिशत अपने पास रख लें तो यह ऐसे ही हुआ है जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा हो और जेब से 10 पैसे का सिक्का निकाल कर किसी भिखारी को दे दे और समझ ले कि हमने बड़ा भारी पुण्य कर दिया। वास्तविक रूप से यह विकेन्द्रीकरण नहीं है। सारी शक्ति अपने हाथ में रखें और विकेन्द्रीकरण का थोथा नारा देते रहें तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है।

इसी तरह से 7 वें पेज पर शान्ति व्यवस्था के अन्तर्गत दस्यु उन्मूलन के बारे में उल्लेख किया गया है। मान्यवर, आप भी स्वीकार करेंगे कि कितनी असुरक्षा की भावना आज इस प्रदेश में व्याप्त है, ऐसी स्थिति इतिहास में इसके पूर्व कभी नहीं आयी। देहातों की छोड़िये, शहरों में भी आदमी को ये भावना है कि वह असुरक्षित है, रेल में भी चलने वाला अपने को असुरक्षित समझता है। गांवों में घर का आदमी अपने एक आदमी से कहता है कि तुम जागते रहो। ऐसी स्थिति में शान्ति व्यवस्था और दस्यु उन्मूलन के नाम पर बजट पर उद्धरण देते हैं, ये उचित नहीं है। सभी इस बात से परिचित हैं और आप भी समझते हैं कि जब शान्ति व्यवस्था बिगड़ती है तो शासन की तरफ से पुलिस को अधिक अधिकार दिया जाता है। यह भी सत्य है कि जब और उसे अधिकार मिलेगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा।

[श्री हरि किशन श्रीवास्तव--]

मिसाल के लिए 228 मुठभेड़ें दिखलायी गई हैं जिनमें 19 आदमियों को ही ऐसा दिखलाया गया है कि वे हिस्ट्रीशीटर थे बाकी का कोई रिकार्ड नहीं था। इससे यह परिणाम निकलता है कि उसमें कुछ ऐसे लोग मारे गये जो गलत मुठभेड़ दिखला कर मारे गए, वैयक्तिक वैमनस्यता के कारण वे निर्दोष मारे गये। इस विषय पर सदन में भी बहुत चर्चा हो चुकी है। हम क्षेत्र के विधायक हैं। जनता ने चुन कर हमें यहां भेजा है यदि किसी व्यक्ति विशेष को पुलिस पकड़ कर घर से ले जाय उसे गलत मुठभेड़ दिखला कर मार दें तो हमारी क्या स्थिति होगी, इसकी आप कल्पना कीजिए।

हमारे क्षेत्र की जनता अपनी रक्षा की मांग को लेकर आती है। सत्ता पक्ष के विधायक हों या विरोधी पक्ष के विधायक हों, संसद सदस्य हों, या मंत्री महोदय ही हों, अगर जनता अपनी समस्या को आपके सामने रखती है तो आप का क्या कर्त्तव्य हो जाता है। यह शासन ऐसा है जो बार-बार चेतावनी देने पर भी पुलिस के अधिकार को बढ़ाता ही जा रहा है। इस सम्बन्ध में कई कमीशनों ने रिपोर्ट भी दी है कि अगर पुलिस के अधिकार को बढ़ाते हैं तो उसका दुरुपयोग होगा।

मान्यवर, हमारे यहां हथियारों के लाइसेन्स देने की प्रणाली ऐसी है जो शायद किसी भी स्वतंत्र देश में न हो। पुलिस वाले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके लाइसेंस देने के रास्ते में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करते है। हमारे देश में अंग्रेजों के समय आर्म्स के लाइसेन्स देने की प्रणाली थी, वही आज भी है। उस समय अंग्रेज कहते थे कि ये राय बहादुर हैं, ये राय साहब हैं, ये जमींदार साहब हैं, ये ताल्लुकेदार साहब हैं और उनको राइफल एवं बन्दूकों का लाइसेन्स मिल जाता था, माननीय मुख्य मन्त्री जी उसी वर्ग से सम्बन्धित रहे हैं और आज भी उनके शो रूम में 10/15 बन्दूकें, राइफलें हो सकती हैं।

लाइसेन्स के लिए आज महीनों तक निरन्तर दौड़ाने के बाद भी हजार-डेढ़ हजार रुपये लिए बिना अप्लीकेशन को थाने से आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया कि अगर आप हर गांव में एक-एक बन्दूक भी दे दें तो इस तरह से कट्टा लेकर जो प्रायः छोटे-मोटे डाकू डाका डालते हैं, उनकी कमी हो जाएगी। क्योंकि हर गांव में छविराम ही डाका डालने के लिए नहीं आते हैं। अगर आप ऐसा कर दें तो नित्य डकैतियां पड़ना बन्द हो जायं।

जहां तक आपके डाकुओं की मुख्य समस्या का प्रश्न है, वहां तो आपकी पी० ए० सी० भी लड़ने में असमर्थ हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन प्रत्येक जिले में दो-तीन डकैती न पड़ती हों। इस कारण मेरा सुझाव है कि आर्म्स लाइसेन्स देने की पद्धति को सरल किया जाय, लाइसेन्स यदि उदारता से दिये जायें, तो छोटी-मोटी डकैतियां नहीं पड़ सकती हैं, छोटे अपराधी उसी गांव की बंदूकों से मारे जा सकते हैं। इसके विपरीत सुझाव पुलिस विभाग आप को दे देता है कि डकैतियां इसलिए अधिक पड़ती हैं क्योंकि आर्म्स के लाइसेन्स ज्यादा दिये जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ने जितने आर्म्स पकड़े हैं उन में लाइसेन्स वाले आर्म्स कितने हैं? कट्टे अधिक हैं जो अवैधरूप से तैयार किये गये हैं, उन्हीं का लोग प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं कि लाइसेन्स नहीं देने चाहिये क्योंकि आई० जी० पुलिस, इन्टेलिजेन्स पुलिस, पुलिस विभाग आपको परामर्श देता है। उनकी बात आप मानेंगे। आप जनता की बात नहीं

मानेंगे और न आप उसकी सुरक्षा कर पायेंगे । इसलिए शान्ति और व्यवस्था के संबंध में इन्होंने, वित्त मन्त्री जी ने, जो भाषण दिया है वह बिल्कुल निर्जीव है क्योंकि शासन शांति व्यवस्था कायम रखने में पूर्णतया असमर्थ रहा है, पुलिस के अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं, इस कारण क्षेत्र में अत्याचार, अन्याय बढ़ता जा रहा है ।

मान्यवर, पेज में माननीय वित्त मन्त्री जी ने राजस्व प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है कि सीलिंग तथा गांव सभा भूमि के आवंटियों को आवंटित भूमि पर एवं अनुसूचित जन-जाति के खातेदारों की भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को त्वरित गति से बेदखल करने तथा दुबारा कब्जा करने की दशा में उन्हें दंडित करने हेतु विधि के प्राविधान किये गये हैं । मैं अपने क्षेत्र जनपद कानपुर का एक उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं । वहां पर एक ग्राम ओनहा है उसके भूतपूर्व जमींदार उसी गांव में रहते हैं उन्हीं के द्वारा एक नाले को बंद करने के कारण कम से कम पांच सौ एकड़ भूमि हरिजनों की पानी से भर रखा है । सिंचाई विभाग का लिखित आदेश मेरे पास आया कि इस नाले को खोला जायेगा । परगनाधिकारी का आदेश वहां पर पहुंचा कि नाला खोला जायगा लेकिन भूतपूर्व जमींदार की हठवादिता के कारण आज तक प्रशासन उस नाले को नहीं खुलवा पाया । हरिजन रोते-चिल्लाते रहते हैं । जमीन पानी में डूब जाती है । यह भूमि हरिजनों को आवंटित हुई थी । कितने आवेदन पत्र जिलाधिकारी को गये, कितने अन्य विभागों को गये और कितने क्षेत्रीय मंत्री जी को दिये गये लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुयी । यह तथ्य एक उदाहरण के रूप में मैंने प्रस्तुत किया । इसलिए आपका यह नारा केवल आपका वोट पाने के लिए रहता है । वास्तविक रूप से निर्बल वर्ग की रक्षा आप करेंगे या निर्बल वर्ग को आप लाभ पहुंच पायेंगे, इसमें आशंका है । आप ही के शासन के दो वर्ष पूर्व जब कांग्रेस शासन नहीं रहा तो कोई इस प्रकार की झूठी हरिजनों के लिए घोषणा नहीं हुई लेकिन वास्तविक रूप से उनके लिए कार्य किया गया ।

आप जा कर पता लगाइये गावों में जितनी आर्थिक सम्पन्नता उस समय आयी इस समय नहीं हुई है । उस समय की सत्ता ने हरिजनों को काम उपलब्ध कराया । खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जितना लाभ जनता पार्टी के शासन ने निर्बल वर्ग को पहुंचाया, आप उतना नहीं पहुंचा पाये और न पहुंचा पायगे क्योंकि आपकी नीतियां गलत हैं । इस कारण यह जो राजस्व प्रशासन पर हमारे वित्त मन्त्री जी का भाषण है, यह भी, मान्यवर, निरर्थक है ।

पृष्ठ 11 पर औद्यानिकी के अन्तर्गत भाषण में यह कहा गया है कि आलू एवं फलों के लिए कोल्ड स्टोरेज बढ़ायेंगे । कई मंत्रीगण बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक रिपोर्ट आप मंगवा लीजिए कि आपके प्रदेश में कितने कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें कितना आलू सड़ गया क्योंकि आप पूरी बिजली नहीं दे पाये । हमारे कानपुर जिले में ही, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कोई कोल्ड स्टोरेज पूरी क्षमता से नहीं चल पाया और पचास प्रतिशत कोल्ड स्टोरेजों का आलू सड़ गया । जो कोल्ड स्टोरेज लगे हुये हैं उनको आप समय से चालू नहीं कर पाते हैं, उनको बिजली नहीं दे पाते हैं, केवल भाषण आप का छप जाता है कि आलू का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और किसानों को लाभ देने के लिए आप कोल्ड स्टोरेज लगाने जा रहे हैं । इस प्रकार का भाषण जनहित में नहीं है ।

पशुपालन के संबंध मे भी आपने कहा है । कानपुर में एक डेरी थी जो तीन साल से बंद है.

[1 बजकर 55 मिनट]

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव—]

किसी डेरी में बढ़ोतरी नहीं कर पाये । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के बारे में आपने अपने भाषण के पृष्ठ 13 पर उल्लेख किया है । उसमें मुझे कहते हुये बड़ा दुख होता है कि बहुत अरमानों से जनता पार्टी के शासन में गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई गई थी और यह मालूम होगा कि जब वे सड़कें निकाली गई थीं तो उनको निकालने में एक भी पैसा कम्पेन्सेशन के रूप में किसानों को नहीं दिया गया । किसी तरह से उनको समझा-बुझाकर कि यदि वे अपने गांवों को मुख्य सड़कों से जुड़वाना चाहते हैं तो उस जमीन का लालच छोड़ दें । इस तरह से वह योजना जनता पार्टी ने चलाई थी जिसमें कि यदि जमीन लेनी पड़ती तो करोड़ों रुपया शासन को केवल कम्पेन्सेशन के रूप में देना होता। उस दिशा में काफी काम हो चुका था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस जनप्रिय योजना को छोड़ दिया गया उस योजना का नाम बदल कर एक दूसरी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना उसके स्थान पर ले आये । हमने यह सोचा था कि चलो कोई बात नहीं है नाम बदल कर ही यदि काम हो जाता है जनता का फायदा हो जाता है परन्तु वास्तविकता यह है कि वहां पर जितनी भी मिट्टी की सड़कें बनी थीं वह भगवान के सहारे छोड़ दी गई और आपकी योजना जब आयी तो उसके अन्तर्गत माननीय मन्त्री जी ने जो कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री भी हैं, एक-एक लाख रुपया प्रत्येक विधायक को आवंटित किया कि वे अपनी इच्छानुसार क्षेत्र में कार्य करवायें । मान्यवर, आप विचार करें सकते हैं कि एक लाख रुपये में कितना काम हो सकता है ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह सूचना देना चाहूंगा कि जो खाद्यान्न योजना की बात कही गई है और कहा गया कि शासन ने उसे छोड़ दिया जिसको कि जनता पार्टी के शासन में शुरू किया गया था । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्कीम जनता पार्टी के शासन से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधान मंत्री थी, उनके द्वारा ही यह चलाई गई थी और उसके बारे में विस्तृत रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को भी पत्र भेजा जा चुका था ।

दूसरी बात यह है कि जो आपने 1-1 लाख रुपये की बात कही, यह नहीं था कि जो खाद्यान्न योजना में सड़कें बनी हैं उनके लिए एक लाख रुपया दिया गया है बल्कि यह था कि जिस जगह वे आवश्यक समझें वह पैसा वहां लगाया जाय । यह नहीं था कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत इतना रुपया सुरक्षित कर दिया गया है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, यदि माननीय प्रधान मंत्री ने इसके पूर्व कोई योजना चलाई थी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आज सन् 47 के बाद उन्होंने ही और उनके परिवार वालों ने ही शासन चलाया है और जितने भी आदेश हुये हैं वे उन्हीं के समय के होंगे । आप पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर हैं आप आंकड़ों को देख लें । जितनी भी सड़कें खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जनता पार्टी के शासन में बनायी गई थीं, उनके रख-रखाव की व्यवस्था भी आपकी सरकार नहीं कर पायी है । आप कम से कम उनमें मिट्टी आदि डालने का काम तो कराते । आपने वह काम जारी नहीं रखा । जो इतना बड़ा काम जनता पार्टी के शासन ने किया था उसको आप मिटा रहे हैं, इससे राष्ट्र का नुकसान होता है . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी मंशा यह तो नहीं है कि आपके हर काम में मिट्टी डाल दी गई ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, अगर रिजवी साहब हमारे हर काम में मिट्टी डाल दें तो वह भी हमारे लिए शवाब है, मैं तैयार हूं मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने लम्बा चौड़ा भाषण दिया है, कहा कि हम इतने किलोमीटर मार्ग बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो काम कुछ किया भी गया है, उसको ही आप मेंटेन नहीं कर पाये तो आगे क्या करेंगे ? माननीय मंत्री जी का निदेश गया कि प्रत्येक विकास खंड में एक-एक लाख रुपया काम कराने के लिए आवंटित किया जाता है। उसमें मेरे क्षेत्र में विकास खंड अधिकारी ने हम लोगों से जानकारी करनी चाही। तो इसमें मेरा सिर्फ यह कहना है कि एक लाख रुपये से कितना काम होता है। जहां पर जनता शासन में डेढ़ सौ कि0 मी0 सड़क बननी हो इतने पैसे से क्या काम हो पायेंगे ? इस लिए एक लाख रुपया आवंटन करना ही बिल्कुल निरर्थक है। जैसा माननीय विधायकों की सूचना सुन रहा हूं उनके यहां यह धन गया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या उन्होंने काम डिफाइन किया था ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जी हां, डिफाइन किया गया था इसमें था कि क्षेत्र के विधायक की सहमति ली जाय।

श्री उदल--

अभी सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने कहा कि एक-एक लाख रुपया माननीय विधायकों को काम कराने के लिए दिया गया। मुझे बड़ा ताजुब हुआ मान्यवर, आपको एक लाख रुपया मिला होगा, लेकिन हमें न किसी अधिकारी ने न किसी बी0 डी0 ओ0 ने पूछा और न ही कोई प्रपत्र मिला और न मुझे जानकारी है कि एक लाख रुपया मिला है। विधायक के डिसपोजल पर दिया गया। क्या तथ्य है मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पिछले साल जो बजट सेशन था उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जो न यहां पर घोषणा की थी, एक वक्तव्य हुआ था अगर पिछली प्रोसीडिंग देखें तो जो रुपया ब्लाक में दिया जाता है दूसरे कामों के लिए उसके अतिरिक्त यह रुपया सम्मानित विधायकों के डिसपोजल पर दिया जा रहा है, जहां पर वे अति आवश्यकता समझें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सदन में वक्तव्य हुआ था माननीय मुख्य मन्त्री जी का, यह प्रोसीडिंग में है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा एक लाख रु0 जो गया इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है यह जो एलोकेशन है, यह उससे अलग है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा इस सदन में कहा गया है ।

श्री हुकम सिंह--

यह बात सही है यहां कहा तो हमने भी अपने क्षेत्र में जिलाधिकारी को बताया कि ऐसा आवंटन होने वाला है लेकिन आज तक उस पैसे का आवंटन पूरे प्रदेश में नहीं हुआ । हां, एक 50 हजार रुपया, जो सेंट्रल एसिस्टेंस का है, वही गया है । माननीय मंत्री जी पुनः जानकारी कर लें इस रुपये की जो घोषणा हुई, हमारे यहां 14 ब्लाक हैं, 7 लाख रुपया पहुंचा है 14 लाख नहीं पहुंचा है ।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय पी० डब्लू०डी० मिनिस्टर मौजूद हैं एक-एक लाख रु० के आवंटन की जो बात थी उसमें यह बात थी कि माननीय विधायक के प्रपोजल पर प्रायोरिटी फिक्स होगी उसकी जिलों में मीटिंग हुई । लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मीटिंग हुई वह जिला स्तर पर हुई जिसमें विधायकों को बुलाया गया उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की, जिसमें सारे विधायकों को बुलाया गया कि कौन-कौन प्रायोरिटी फिक्स होंगी इस एक लाख रुपये में । तो निश्चित रूप से स्पीकर कानफरेंस के फैसले के मुताबिक बहुत से माननीय विधायक उस मीटिंग में नहीं गये जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी कर रहे थे । जब मीटिंग में नहीं गये तो उस स्पीकर कानफरेंस के फैसले के मुताबिक तो विधायकों को नहीं मालूम हो सकता है कि यह जो एक-एक लाख रु० खर्च किया जा रहा है यह माननीय विधायकों के प्रपोजल पर किया जा रहा है या फिर जो सी० डी० ओ० या दूसरे अधिकारी हैं वह खर्च कर रहे हैं । इस तरफ में माननीय मंत्री जी का खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, एक बात तो साफ हो गयी कि वह पैसा गया है । मान्यवर, दूसरी बात यह है कि यदि वह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ, तो इस बारे में शिकायत को उनको लिखकर भेजना चाहिए था, तो दुबारा मीटिंग कर ली जाती ।

श्री यदुनाथ सिंह--

यह कोई सम्मानजनक तरीका नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बार-बार कहा गया और अध्यक्ष पीठ से इस सत्र में भी और इसके पहले भी-यह आब्जरवेशन था कि जिन मीटिंगों को आफिसर्स प्रेसाईड करेंगे, उसमें हमारे विधायकों को नहीं जाना चाहिए । इस बारे में रियासत हुसैन का तर्क है कि बहुत सारे विधायक इस कारण से नहीं गये । कुछ गये भी । जो गये तो उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं और जो नहीं गये उन्होंने कोई अपराध नहीं किया ।

(विरोध पक्ष से मेज थपथपाई गई ।)

और अगर कहीं ऐसा व्यतिक्रम हुआ है तो उसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी---

वह आदेश जा चुका है, इस बात को दिखवा लूंगा । इस बात के निश्चित आदेश भेजे जा चुके हैं कि ऐसी कमेटी में नान-आफिशियल प्रेसाईड करें । यदि जिलाधिकारी ने कहीं कुछ किया है और माननीय सदस्य ने कहा होता तो उसी वक्त उसे दिखवा लिया जाता ।

श्री सन्त बक्स रावत---

श्रीमन्, यही मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इन्हीं मंत्री जी से सम्बन्धित है । सार्वजनिक निर्माण विभाग में समीक्षा समितियों का गठन सन् 1978 में हुआ था, जिसमें केवल कोई विधायक अध्यक्ष हुआ करते थे, अब सार्वजनिक निर्माण विभाग से यह आदेश चला गया है कि वह समितियां भंग कर दी गई हैं और उसका जो अध्यक्ष है, जिलाधिकारी होगा । ऐसी स्थिति में अब कैसे समीक्षा होगी और जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे माननीय सदस्य कैसे बैठ पायेंगे, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने जो सूचना हमें दी, उससे सम्बन्धित कागजात देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी व्यवस्था दूंगा । जब तक मैं स्वयं सुनिश्चित न हो जाऊं, मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

एक लाख रुपया जो आवंटित हुआ था, उस सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दे दी । उस सम्बन्ध में मंत्री जी ने यह भी कहा कि उसके अतिरिक्त भी ब्लाकों में रुपया गया । मेरा कहना है कि रुपया जरूर गया, लेकिन मैं मंत्री जी से इस बात को चैलेंज के रूप में कहना चाहता हूं कि जो रुपया अतिरिक्त गया है और जो अतिरिक्त है, उससे 3 किलोमीटर सड़क भी नहीं बन सकती है । इस कारण इस बात को कहकर कि एक लाख और अलावा कुछ रुपया ब्लाकों को गया है, यह बड़ी भ्रामक बात है ।

अब मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्ष 81-82 में 1600 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा । इस सदन को अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले वर्ष यहां घोषणा की गई थी कि पी0 डब्लू0 डी0 विभाग में इस वर्ष कोई नई सड़क नहीं बनेगी । क्योंकि वर्षा ऋतु से वर्तमान सड़कों को ही इतना नुकसान हो गया है कि उसके मरम्मत में ही, जितनी धनराशि आवंटित है, वह सारी खर्च हो जाएगी । अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि इस घोषणा के बावजूद यह 1600 किलो मीटर सड़क कैसे बन गई । इसलिए मेरा अनुमान है कि जो भी स्पीच दी गई है वह और उसके सम्बन्ध में आंकड़े निश्चित रूप से आपके सामने गलत आए होंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं यह जो बजट की प्रतियां मिली हैं-82-83 के व्यय की नई मदें, इसमें आप यह देख लें, व्यय की नई मदों को 82-83 के आय-व्ययक में शामिल किया गया है । मान्यवर, ये 2 पुस्तकें हैं । एक है खंड 3-योजनागत । इनमें पहली पुस्तक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम है नहीं है, मैं ढूंढता रहा लेकिन कहीं नहीं मिला । दूसरी जो पतली पुस्तक है, इसके पृष्ठ 43 व 44 पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम मिला । उनमें केवल यह लिखा है कि जिला इलाहाबाद में प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेला के

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव---]

सम्बन्ध में पीपे (पैंटून) के पुलों, लट्ठा (पाइस) पुलों एवं पहुंच (एप्रोच) मार्ग का निर्माण, रख रखाव । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग की नयी मदों का जिन्हें वर्ष 1982-83 में सम्मिलित किया गया है, कोई उल्लेख नहीं है । तो माननीय मंत्री जी के भाषण का आधार क्या है ? यह हो सकता है कि हमको बजट के अध्ययन करने का ज्ञान न हो । इस बजट में जो नयी मदें सम्मिलित की गयी हैं, सार्वजनिक निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है । आप चाहे जितने बिजली और सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें लेकिन अगर मार्ग ही उपलब्ध न होंगे तो आपकी सारी योजनायें ठप्प रह जायेंगी और जो काम आप 1 रुपये मे करना चाहते हैं उसे 2 या 3 रुपये में करना पड़ेगा ।

बहुत से काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के, जिनको लिंक रोड्स कहते हैं, एक किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की, ऐसे हैं कि उनके निर्माण के बिना आपकी बड़ी-बड़ी सड़कें निरर्थक रह जायेंगी । अगर आपको कहीं पर ट्यूबवेल लगाना है और उसको बनाने के लिए मशीन को ले जाना है या आपको विद्युतिकरण की कोई योजना को कार्यान्वित करना है तो बिना मार्ग के मशीनों को नहीं ले जा सकते हैं । इसलिए आपकी प्लानिंग ही त्रुटि पूर्ण है । जब आप बिजली और सिंचाई की योजनाओं के साथ-साथ सड़कों को जोड़ेंगे तभी आप प्रदेश का भला कर सकते हैं और सही तरीके से बजट प्रस्तुत कर सकते हैं वरना जितनी आपकी लागत अनुमानित है, उससे ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा और कार्य रुक जायेंगे । ब्यौरेवार विवरण में इसी विभाग के आंकड़ों को भी मैंने देखा । बजट में इस सम्बन्ध में इतनी गलत बातें प्रस्तुत की गयी हैं जिनसे ऐसा आभास होता है कि यह पुलिन्दा गलत आंकड़ों के आधार पर बना है । इस प्रदेश के अधिकारी और इंजीनियर इस प्रदेश को खाये जा रहे हैं और बदनाम राजनीतिज्ञ हैं । और यह सरकार उन्हीं अधिकारियों पर भरोसा करती है, माननीय सदस्यों और अपने सहयोगियों पर भी भरोसा नहीं करती है ।

इसी पुस्तिका में वर्ष 1982-83 के ब्यौरेवार अनुमान खंड (5) में उन्होंने लिखा है कि जिला कानपुर में एक नदी के पुल द्वारा शिवजी मार्ग का अनुमान 8 लाख 6 हजार रुपया था और वर्ष 1980-81 तक एक लाख रुपया खर्च हो गया है । लेकिन मेरा दावा है कि उस पर एक रुपया भी नहीं लगा । मान्यवर, जैसे एक वैद्य नब्ज देखकर बता देता है कि अमुक आदमी को इतनी डिग्री बुखार है तो उसी प्रकार से अपने जिले के एक आंकड़े को देखकर बता सकता हूं कि वास्तविकता क्या है । अगर सरकार इस पर कोई कमेटी बिठा दे तो पता चलेगा कि शासन की और इनकी कैसी क्षमता है जो प्रदेश का शासन चला रहे हैं ।

हमें बताया गया कि थोड़े दिन पहले विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को एक शासनादेश गया जिसमें कहा गया कि मंत्रियों के जो सीधे निर्देश जायें उनका अनुपालन न किया जाय बल्कि जो सचिवों के या विभागाध्यक्षों के जरिए से आवें, उनका पालन किया जाय । उसमें उन्होंने यह कहा कि अकसर लोग जाली दस्तखत बना दिया करते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है । तो मान्यवर, जाली तो नोट भी चला करते हैं, लेकिन नोटों को भी आप चलन बन्द करा दें । अगर इस तरह के निर्देश शासन देगा तो इनकी संज्ञा फिर तुगलक से दी जा सकती है क्योंकि जब मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं होगा, सचिवों के आदेशों का पालन होगा, तो फिर विधायकों की कौन सुनेगा, माननीय सदस्यों की तो अवमानना इस शासनतंत्र में हो रही है ।

मैं कहता हूं कि अगर विधायक न हों, उनका हस्तक्षेप न हो, तो यह अधिकारीगण प्रदेश को और गांव को लूट लें। विधायक उनके सीने पर बैठा रहता है। तो इस कारण इस तरह के आदेश प्रदेश की जनता के हित में नहीं है।

आज से कई वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश की भाषा हिन्दी होगी और उसके बाद इस सचिवालय में जो अंग्रेजी के टाइपराइटर्स थे उनको भी नीलाम करवा दिया गया था और नये नहीं खरीदे जा रहे थे। अभी 4 जनवरी, 1982 को एक शासनादेश श्री जगमोहन लाल बजाज, सचिव की ओर से जारी हुआ है जिसमें यह है–'मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त शासकीय संकल्प संख्या वे0 आ0 1590 दस–42 (एम) 1980 दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के प्रस्तर (33) में यह निर्णय प्रसारित किया गया है कि सचिवालय तथा सचिवालयेत्तर राजकीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे द्विभाषी टंककों को तथा द्विभाषी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों को, जिन्हें अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में काम करना पड़ता है क्रमशः 15 रुपये प्रति माह तथा 25 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य किया जाये।' अभी तक तो मान्यवर, यह शोरगुल सुनते थे दूसरी भाषा उर्दू होगी, अब यह तीसरी भाषा क्या अंग्रेजी भी बनने जा रही है। मान्यवर, इस तरह के सर्कुलर निकाल कर शासन अकारण तरह–तरह की समस्यायें पैदा करता है जिससे प्रदेश में अशान्ति होती है।

आज जो अशान्ति हमारे प्रदेश में है, जो दुर्दशा है, जो असुरक्षा है, उसका पूरा उत्तरदायित्व इस प्रशासन और इस सरकार पर है। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा इन समस्याओं का निराकरण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बजट को रद्द करके, दूसरा बजट इस सदन में आये तो हम लोग उसका समर्थन करने के लिए विचार कर सकते हैं। इस बजट की मैं घोर भर्त्सना करता हूं।

*श्री शिवनारायण सिंह नेगी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। वह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। वहां के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर यातायात के साधनों की वृद्धि की जाये। और वहां जो दूरदराजों में उनका उत्पादन आलू और फल जो उनका मुख्य आजीविका है उसको मार्केट में लाने का साधन जुटाया जाय। इस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूं। आपने पिथौरागढ़, धारचूला, नैनीताल के दूसरे दूरदराज क्षेत्रों में, जहां पर सेब का उत्पादन बहुत अधिक होता है और वह फल कश्मीर और हिमांचल से भी बढ़िया होता है, लेकिन मार्केट में उनके आने के साधन न होने के कारण वह फल वहीं पर बरबाद होता जाता है। वहां पर साधन जुटाया जाय ताकि वह फल दूसरे स्थानों तक भी पहुंच सके और उनकी आर्थिक हालत ठीक हो सके। साथ ही इस ओर भी आपको ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के नीचे जो भाग भावर है, वहां पर एक योजना बनायी गयी, जिसमें भारत सरकार ने भी बजट दिया और पिछले बजट में भी उसको कुछ बजट दिया गया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव नारायण सिंह नेगी--]

लेकिन यह मालूम नहीं हो सका कि उस बजट को रिलीज करने के आदेश आज तक दिये गये, जिससे आज तक वहां पर पड़ा हुआ है। अगर वह जमरानी बांध न बना तो हल्द्वानी के आस-पास के जितने भी काश्तकार हैं वह सिंचाई के लिए परेशान रहेंगे और उनका उत्पादन किसी तरह से नहीं बढ़ सकता है।

जमरानी बांध जो योजना के अन्दर है उसको यथाशीघ्र चालू किया जाय। अगर उसको चालू करना नहीं है, जो हजारों रुपया खर्च जो सरकारी कर्मचारियों, इंजीनियरों वगैरह में हो रहा है, उसको अन्यत्र भेज दिया जाय। मैं तो आप से यही प्रार्थना करूंगा कि अनावश्यक खर्च वहां पर न किया जाय। इन शब्दों के साथ में आप से यह प्रार्थना करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में रोड का ज्यादा से ज्यादा जाल हो और उनके उत्पादन को मारकेट में लाने का साधन हो। वहां पर पानी पीने का और बिजली और वहां के जो स्कूल हैं, उनके रख-रखाव पर ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ में पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 1982-83 के बजट पर सामान्य चर्चा के समय मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बजट जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसको मैं जनता के साथ एक धोखा समझता हूं, विश्वासघात समझता हूं और साथ ही यह भी समझता हूं कि यह प्रगति में बाधक है।

मान्यवर, इस मौजूदा बजट के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान और एक कंपेरीजन, मुकाबिला पर्वतीय क्षेत्र के बजट से करना चाहूंगा। 1980-81 में 86 करोड़ का यह बजट पर्वतीय क्षेत्र के लिए रखा गया और उसके बाद 1981-82 में 100 करोड़ का हुआ और इस वर्ष मंत्री जी ने बड़ा भारी एक एहसान जताया कि पर्वतीय क्षेत्र में 120 करोड़ का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मान्यवर, आज मैं दावे के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इसका जवाब अवश्य दें। इन पिछले दो वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र के पौड़ी जनपद में और मैं समझता हूं कि इसी तरह से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आज एक किलोमीटर सड़क आगे नहीं बढ़ी। कोई भी डिग्री कालेज, इन्टरमीडिएट कालेज, हाई स्कूल नहीं खुला और न ही कोई सीनियर विद्यालय खुला। पानी की कोई योजना हमारे यहां नहीं दी गई 2 वर्षों में। इसी तरह से आज जितने निर्माण के कार्य हैं कोई भी पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है।

सिंचाई की बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सिंचाई के लिए पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता है लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। बावजूद इस कठिनाई के लिए नहर या सिंचाई के अन्य किसी श्रोत को वहां नहीं जुटाया गया है। इस बजट को मैं यह समझता हूं कि 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक प्रशासन में जो कर्मचारी व अधिकारी हैं उनके इस्तेमाल के लिये, दूसरा मंत्रियों और उनके छुटभइयों के लिए और तीसरा गढ़वाल में जो संसदीय उप-चुनाव होना है उसके इस्तेमाल करने के लिए इसको रखा गया है। गढ़वाल का संसदीय उपचुनाव जिसको शासन कराने की हिम्मत नहीं कर रहा है उसके पीछे यही राज है कि आज गढ़वाल के लिए या पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अगर कुछ किया होता तो हिम्मत करते।

मैं देश की प्रधान मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत हो तो गढ़वाल का उपचुनाव कराकर देख लें। मान्यवर, इस बजट

में पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष तौर से जो बजट रखा गया है यह महज एक धोखा है, षड़यंत्र है मंत्रियों का । मैं इसका जीता जागता उदाहरण रखना चाहता हूं । पौड़ी जिले में एक सड़क मंजूर हुई तो वहां पर मंत्री महोदय जानबूझकर उसका गलत सर्वेक्षण कराकर रोके रहे हैं ताकि जनता उसको रोके । मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन किया और मेरे पास तार भी वहां की जनता के मौजूद हैं वहां पर एक गांव है बखोड़ाखाल, इसके लिए कई प्रतिवेदन मुख्य मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री और पर्वतीय विकास मंत्री के पास भेजा गया है लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया । केवल इसलिये कि सड़क बनने की नौबत न आये । वहां की जनता चाहती है कि सड़क घनी बस्ती से होकर जाय ताकि जनता को अधिक लाभ मिल सके । लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट के इंजीनियर उसको उबड़-खाबड़ जगह से ले जाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्री से कि जो भी सड़क निर्माण आप करवाना चाहते हों उसको जनता की इच्छाओं के अनुरूप करायें ।

मान्यवर, इस बजट में कहा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारी समितियों के माध्यम से किया जायेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी समितियां थी उनके लाइसेन्स समाप्त करके प्राईवेट लोगों को, सिफारिश व्यक्तिगत लोगों को लाइसेन्स मंत्री की सिफारिश से, दल और अधिकारियों की सिफारिश से दिये जा रहे हैं। मान्यवर, इसी प्रकार एक बहुत बड़ा घोटाला पौड़ी-गढ़वाल मुख्यालय में एक क्रय-विक्रय समिति में हुआ, जिसमें 1,68,000 रुपये का गबन पकड़ा गया । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अध्यक्ष कांग्रेसी हैं इसलिये उनके एक पदाधिकारी से इस घोटाले के सम्बन्ध में पूछा नहीं गया और सचिव भी कांग्रेस से सम्बन्धित हैं इसलिये उनसे भी नहीं पूछा गया और एक गरीब सेल्समैन को जेल में भेज दिया गया है । यह अध्यक्ष वही हैं जो संचालकों के फर्जी दस्तखत करके प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजे हैं जिसकी सूचना मुख्य मंत्री और सहकारिता मंत्री को और जिलाधिकारी को दी जा चुकी है लेकिन वह कांग्रेस से सम्बन्धित हैं इसलिये इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ यह कोई कदम उठाते ।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में जो बात इस बजट में कही गयी है कि विशेष व्यवस्था की जा रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र जो शांत क्षेत्र हैं वहां भी कोटद्वार में एक महीने में तीन कत्ल हो गये हैं और आज तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है बल्कि उसमें राजनीतिक, प्रशासन, दल के लोग ऐसे अपराधों में भी हस्तक्षेप करके उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां आंधी-तूफान में सारे विद्यालय ध्वस्त हो गये लेकिन आंधी-तूफान के नाम पर सरकार ने पैसा बांटने का काम किया किन्तु गढ़वाल के उप चुनाव को देखते हुये 100 रुपये प्रति व्यक्ति बांटा गया और भले ही उसको आंधी से नुकसान न हुआ हो । उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि जिनकी कोई सम्पत्ति नहीं थी उनको भी 100 रुपये बांटा गया है ताकि वह संसदीय उप चुनाव में वोट दे सकें । उसके बाद जितना भी दुरुपयोग उस उप चुनाव में हुआ उसको सभी जानते हैं । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि यह बजट कल्याणकारी और जनता के भलाई का होता तो शायद इनकी हिम्मत गढ़वाल चुनाव कराने को होती लेकिन उसमें भी यह फेल हो गये हैं । सारी नीतियां, प्रशासन व्यवस्था, शांति और कानून व्यवस्था फेल हो गयी है । इसी तरह यह बजट जनता के सामने एक धोखे के लिये पेश किया जा रहा है ।

मान्यवर, जहां तक घाटे की पूर्ति की बात है तो हर साल घाटा दिखाया जाता है । इस वर्ष भी 128 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है लेकिन उसकी

[श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---]

पूर्ति के लिये क्या सरकार करेगी इसको कोई इन्होंने जिक्र बजट में नहीं किया है। मान्यवर, इन्होंने मितव्ययिता की बात कही है तो उसकी हालत है कि जिले में हर अधिकारी की एक गाड़ी शासन की तरफ से मिल गयी है और वह अधिकारी के बच्चों को घुमाने के लिये है और विकास के कार्यों में उसका कोई महत्व नहीं है। मान्यवर, मुख्यालय पौड़ी में जितने अधिकारी हैं वह सप्ताह में 4-5 दिन देहरादून में घूमने जाते हैं और वापस लौटते हैं और उसके बाद उनको कर्म की कोई परवाह नहीं है। अधिकारियों और कर्मचारियों को केवल चिन्ता इस बात की है कि शासक दल के लोगों को वह किसी प्रकार खुश रखें और उसके अनुरूप काम करें और भोजों को जुटाने का काम करे।

शासन का निर्णय था कि शिक्षा सत्र के बीच में कोई भी स्थानान्तरण न किये जायं लेकिन आज विद्वेष की भावना से गढ़वाल में उप शिक्षा निदेशक आज हजारों लोगों का स्थानान्तरण कर चुके हैं। जिससे आज बजट का लम्बा चौड़ा हिस्सा उसमें खर्च हो रहा है। आज पर्वतीय क्षेत्र की स्कूलों की बहुत दुर्दशा है। वहां पर अगर अध्यापक हैं तो बिल्डिंग नहीं है और बिल्डिंग है तो अध्यापक नहीं हैं। और कहीं-कहीं पर तो दोनों चीजें नहीं हैं। इसके लिये मैं आज तक शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। जैसे अभी कहा गया था कि प्रशासन में बैठे हुये लोग आज जन प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं। मंत्री जी ने कहा कि समितियों की अध्यक्षता विधायकगण करें तो इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि इसके लिये कोई सूचना नहीं दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में सूचना दी थी लेकिन शासन दल में बैठे हुये लोग आज हमारा प्रतिनिधित्व लेने के लिये तैयार नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी से अनुरोध है कि एक प्रगति समीक्षा की समिति बनी थी जिसमें हम लोग पूछ लेते थे कि कितना काम हुआ और अधिकारी प्रगति से अवगत कराते थे लेकिन आज वह समिति उन्होंने समाप्त कर दी है। मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र को समाप्त करने का एक तरीका है। यह बजट एक धोखा है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। बजट के समर्थन में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी मंत्रि परिषद् के माननीय मंत्रियों के सहयोग से जो विकेन्द्रीकरण की योजना निर्धारित किया है वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे विधायक साथी लोग आये और यहां पहले भी आते रहे होंगे, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति सामने नहीं आयी होगी कि अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्माण कार्यों में उनकी कोई अपनी तरफ से विशेष राय हो और उस राय के मुताबिक वह कार्य निश्चित रूप से किया हो जाय। यह जो विकेन्द्रीकरण की योजना लागू की गयी है वह दो स्तर पर लागू की गयी है एक तो प्रदेश स्तर पर और एक जिले स्तर पर। जो बजट निर्धारित किया गया है उसका 70 प्रतिशत प्रदेश स्तर पर और 30 प्रतिशत जिले स्तर पर खर्च किया जायगा। जो 30 प्रतिशत जिले का बजट है उस सम्बन्ध में माननीय मंडलीय मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय सदस्यगण जिले के अधिकारियों के साथ बैठ करके इस बजट के उपयोग की व्यवस्था बनायेंगे। जो भी मुख्य कार्य हैं उसको वरीयता देकर उस काम को करायेंगे और अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करने में उनका एक हिस्सा होगा।

जहां तक प्रदेश के बजट का सवाल है जो बड़े बड़े काम हैं जो जिले स्तर पर नहीं किये जा सकते हैं उनको प्रदेश स्तर पर किया जायगा । जैसे पुल, सड़कें, बड़े उद्योग, बिजली के पावर हाउस इस तरह की जो योजनायें होंगी उनको प्रदेश स्तर पर किया जायगा । जो प्रदेश का बजट है और जो जिले का बजट है अगर दोनों को मिलाकर देखा जाय तो जिलेवार अधिक धन जायेगा । खासतौर से जिले की शहरी आबादी 8.9 लाख होती है लेकिन जिले की अधिकतर आबादी गांवों में बसता है तो गांव के विकास के लिये जो योजना बनाई जा रही है, उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, गांवों में रहने वालों को, तो ऐसी स्थिति में यह बजट बहुत ही अच्छा है ।

जहां तक शांति और व्यवस्था की बात की जा रही है तो यह तो बहुत स्पष्ट बात है कि इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं समाज के अंदर इसके लिए पूरे तौर पर सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, समाज में पहले विसंगतियां हैं, उनकी वजह से यह सारी समस्याएं आज खड़ी हो रही है, हां अब इनकी रोकथाम की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन साथ ही साथ जितना दायित्व इस सरकार का है, उतना ही प्रतिपक्ष के लोगों का भी है क्योंकि विसंगतियों से ग्रसित लोग इधर भी हैं और उधर भी हैं इसलिए दोनों को इस समस्या पर काबू पाने के लिए, अत्याचार और अनाचार दूर करने के लिए, सूझ-बूझ से काम लेना पड़ेगा । तब जाकर यह कुरीतियां समाज से दूर होंगी । और जहां तक सवाल है, कमजोर वर्ग के लोगों को दबाये जाने का, हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों का दबाये जाने का, उनकी जायदाद व जमीन आदि को हड़प जाने का । इन सारी बातों को देखते हुए ही सरकार ने इस बजट में यह व्यवस्था कर दी है । इस बजट में कोई भी अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन व जायदाद को कोई दूसरे वर्ग का आदमी नहीं खरीद सकता है और रही हरिजनों की जमीन व जायदाद की तो वह जिलाधिकारी के आदेशों से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच सकता है और हर हाल में यह व्यवस्था रखी गयी है कि चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, हरिजन हो, निर्बल हो या सर्वहारा वर्ग हो, सबके पास कम से कम 3-12 एकड़ भूमि रहनी चाहिए ताकि उससे वह अपना जीवन-निर्वाह कर सके और आर्थिक लाभ उठा सके ।

इसलिए सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें सभी वर्ग की रक्षा निहित है, इसलिए सरकार ने जो यह कदम उठाया है, वह बहुत ही सराहनीय है और कम्पोनेन्ट प्लान को जो बांटा जा रही है तो इसमें 134·48 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया और इसके अनुमोदन के लिए भारत सरकार से प्रयास किये जा रहे हैं हमें ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि वह धनराशि की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लेंगे क्योंकि यह धनराशि, अनुसूचित जाति, जन-जाति निर्बल वर्ग व मजदूरों आदि के उत्थान के लिए एक सुनिश्चित योजना के रूप में मांगी जा रही है, इसलिए निश्चित रूप में यह धन मिलेगा और इससे इन वर्गों का उत्थान भी अवश्य होगा । क्योंकि अभी तक तो मजदूर अपने रोजी और रोटी को जुटा पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था लेकिन अब उसको रोटी-रोजी जुटा पाने तक ही प्रश्न नहीं रहा बल्कि उनको स्वावलम्बी बनाया जायेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी । इससे देश व प्रदेश का भी आर्थिक विकास होगा । लेकिन इनके विकास में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि अभी तक तो इनका मन मेहनत और मजदूरी करने का ही आदी रहा है और यह बात अपने आप स्वयं सिद्ध है जो व्यक्ति जब औद्योगिक व व्यवसायी हो जाता और स्वतंत्र रूप में धन कमाने के योग्य बन गया और अपनी स्वतंत्र तरीके से जिन्दगी बिताने योग्य बन गया तो निश्चित

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---]

रूप में वह स्वावलम्बी हो गया । अगर यह व्यावसायिक मन और औद्योगिक मन प्रदेश के कमजोर और गरीब लोगों में बन गया और वह उद्योग और व्यवसाय करनें में लग गये तो निश्चित रूप से वह गुलामी से छुटकारा पा सकेंगे और स्वतः अपनी सुरक्षा करने के लिये मजबूत स्थिति में बन सकते हैं ।

इस पर विचार करना चाहिये कि सरकार की मंशा क्या है । अगर सरकार की मंश यह रहती है कि उनको केवल मजदूरी पर ही रखा जाय तो वह अच्छी मंशा नहीं कही जा सकती लेकिन अगर कोई सरकार यह सोचती है कि किसी को पराश्रित न रहने दिया जाय बल्कि उसको स्वावलम्बी बना दिया जाय तो वह प्रगतिशील और क्रान्तिकारी सरकार होगी और कमजोर और गरीब लोगों को उठाने वाली सरकार मानी जायेगी । यह जो कार्यक्रम मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है यह उचित और लाभप्रद है । अब मैं कहना चाहता हूं ।

एक सदस्य---

अब आप बैठ जायं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

क्यों बैठ जाऊं, जब अध्यक्ष जी का आदेश होगा, तब बैठ जाऊंगा ।

जहां तक सुरक्षा से सम्बन्धित सवाल है, तो यह शान्ति-व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की मानी जाती है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि यह जो भी डकैत या दस्यु होते हैं और जो दूसरे के घर में घुसकर उसकी सम्पत्ति को उठा लेना चाहते हैं, वे अपनी जिन्दगी हथ पर लेकर यह काम करते हैं, तो उनसे मुकाबला तो वही करेगा जो उस डकैत की तरह से अपनी जिन्दगी को हाथ पर लेकर मुकाबला करेगा और तभी उन लोगों का जो कमजोर हैं या जो सामान्य रूप से कमाते-खाते हैं, उनकी रक्षा हो सकती है । इसमें मुकाबला करने वाले को मरना भी पड़ेगा, तो वह क्यों मरेगा, अगर मरने की बात आ गयी..

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय शास्त्री जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने स्वयं अपने आपको प्रतिबन्धित कर लिया है अब समय नहीं दे पाऊंगा ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री---

इसके लिये सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो भी सरकारी सेवक इस प्रकार डकैतों से मुकाबला करने में मरेगा या हमारे विरोधी दल के लोग समस्या पैदा करेंगे या आन्दोलन पैदा करेंगे या हिंसात्मक उपद्रव करेंगे, उसको रोकने में मरेगा, उसके परिवार को एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक तात्कालिक

सहायता व बीस हजार रुपये से लेकर पचास हजार रुपये तक दीर्घकालीन सहायता उसके परिवार को दी जायेगी । उसकी अन्तिम तनख्वाह में महंगाई भत्ता मिलाकर उसके परिवार को उस समय तक मिलता रहेगा जब तक कि अगर वह जीवित होता तो सेवा करता रहता । इससे यह निश्चित है कि हर पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से डकैतों के मुकाबले के लिये खड़ा होगा और निश्चित रूप से उस पर रोक रखेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया, अब आप कुछ नहीं कहेंगे ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

आप वेतन आयोग की बात बड़ी तेजी से उठाते हैं और कर्मचारियों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं । बजट भाषण के देखने से यह ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियो के विषय मे भी इस सरकार ने कल्याणकारी कदम उठाया है । 1 जुलाई, 1979 से वेतन आयोग को लागू कर रही है । अगर अधिकतम वेतन कोई अधिकारी, इस समय 5 हजार रु0 पाता तो कर्मचारी न्यूनतम वेतन 500 रु0 से कम नहीं पायेगा । सरकार ने ऐसी निर्धारित कर दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो चुका है, आप बिराजिये ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इन शब्दों के साथ ही माननीय वित्त मन्त्री जी की तरफ से जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

(2 बज कर 50 मिनट)

*श्री धर्मपाल सिंह गहलौत—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट के सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, विपक्ष का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि जो बजट में त्रुटियां नजर आयें उनकी ओर संकेत करके आलोचना करके उन्हें बतायें। बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार आज माननीय सदस्य ने शासक दल की ओर से स्वीकार किया कि हमें भी इसकी आलोचना करने का अधिकार है । नहीं तो तीन चार दिनों से बराबर शासक दल की ओर से लोग कोसते थे कि हम बजट की आलोचना क्यों कर रहे हैं । बजट बनाने के लिये शासक दल है । हम तो यहां इसलिये आये हैं कि हमें जो त्रुटियां नजर आयें या जो त्रुटियां हमको नजर आती हैं उससे शासक दल को सचेत कर दें । अब मानना और न मानना यह आपका कर्तव्य है ।

मान्यवर, बजट के संबंध में कुछ कहने के पहले मैं गत वर्ष वाली बात को फिर दोहराता हूं कि यह जो हमने अंग्रेजों की नकल करके पहली अप्रैल से नये वित्तीय वर्ष को अपनाया है, यह कहां तक ठीक है । सारे संसार में पहली अप्रैल मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है । तो अपने देश और प्रदेश को देखते हुए कि कौन सा उपयुक्त समय हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धम्मन सिंह गहलौत--]

मान्यवर बजट कैसा बना है, इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बजट को लागू करने वाले लोग कैसे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में बजट दे दिया जायेगा जिनका समाज में विश्वास नहीं है, समाज को उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है, जनता को उन पर विश्वास नहीं है। दुर्भाग्य से आज शासक दल की छवि इस प्रदेश के अन्दर ऐसी दिखती है कि कोई भी काम वह जिम्मेदारी के साथ संभाल नहीं सकता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर सकता है। मंत्रिमन्डल का अलग सुर है, शासक दल का अलग, यह हाल है।

मान्यवर, शासक दल के सचेतक महोदय ने अभी यहां कहा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने डकैतों की चुनौती को पिछली बार स्वीकार किया था। उसके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह तो शासक दल की बात थी। यह वह जानें कि मुख्य मंत्री जी ने क्यों उनको चुनौती दी और उस चुनौती को स्वीकार किया और उसे स्वीकार करने के बाद अपना त्यागपत्र क्यों नहीं दिया तो मान्यवर, अब यह बात गुजर चुकी है...

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक सूचना इसके सम्बन्ध में इनको देना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप खड़ी होकर बोल ही रही हैं तो मैं कैसे आपको रोकूं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह सूचना देना चाहती हूं कि मान्यवर, शिवराज सिंह, जो छविराम के गिरोह का डाकू था, कल उसका इनकाउन्टर किया गया एटा की पुलिस ने जखड़ा स्टेशन पर उसे मारा। यह वही शिवराज सिंह था जिसने श्री राजपाल सिंह को अलीगंज, एटा में मारा था और जिसने 10 हरिजनों को भी मारा था। मान्यवर, पुराने एरियर्स हम लोग साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, डाकुओं का सफाया कर रहे हैं। मान्यवर, उसके ऊपर 2,000 रु० का इनाम था। उसके पास एक बन्दूक, एक राइफल 12 बोर की, एक कन्ट्री मेड बन्दूक और झउआ भर कारतूस मिले हैं, झउआ भर।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप सूचना दे रही हैं या वक्तव्य पढ़ रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यदि आपकी छत्रछाया रही ऐसी ही तो वह दिन दूर नहीं कि हम डाकुओं का इस प्रकार से सफाया करके दम लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

ईश्वर ने मदद की तो निश्चित रूप से हमारी गृह मंत्री सबका सफाया कर देंगी, इसमें कोई शक नहीं है।

श्री धम्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, मैं बजट के सम्बन्ध में अपना भाषण दे रहा था कि माननीया गृह मंत्री जी ने अपना भाषण शुरू कर दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस

समय का थोड़ा सा ध्यान रखें । तो मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो डाकुओं की चुनौती स्वीकार की, एक नैतिक कार्य, साहसपूर्ण कार्य दिखाया। मान्यवर, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी । वह रेल मंत्री थे और एक दुर्घटना हो गई थी तो उनका कहना था कि विभाग की बड़ी त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की नैतिक जिम्मेदारी पूरी मंत्री की होती है इसलिए उन्होंने त्याग–पत्र दे दिया था । प्रधान मंत्री ने त्याग–पत्र नहीं दिया था और विपक्ष ने मांगा भी नहीं था । डाकुओं की समस्या थी तो माननीय गृह मंत्री को त्याग–पत्र देना चाहिये था और अगर मुख्य मंत्री के त्याग–पत्र की घोषणा से पहले होश नहीं आया था तो कम से कम लोक-लाज को बचाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ही यह घोषणा करतीं । यह मंत्रियों की हालत है, यह छवि है । जनता और अधिकारी क्या सोचते हैं ? बड़े जोर–शोर से शासक दल के लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं सदन में और जब सदन के बाहर जाते हैं तो प्रेस को वक्तव्य देते हैं कि मुख्य मंत्री अक्षम हैं, अयोग्य हैं और प्रधान मंत्री उनको बरखास्त कर दें...

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

हम लोग चुनौतियों का सामना करने वाले हैं, हम लोग मुकाबला करने वाले हैं, जूता, चप्पल छोड़कर भागने वाले नहीं हैं ।

श्री धर्मन सिंह गहलौत––

एक सदस्य हैं सहारनपुर के सुरेन्द्र कपिल । मैंने उन्हें टोका भी था, सारे विधायकों को, चाहे जिस दल के हों, पर्चा भेजा था, उसकी एक पंक्ति थी––ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रदेश में विधान सभा और मंत्रिमंडल नाम की कोई चीज नहीं है । वही पर्चा मेरे पास मौजूद है । अगर किसी ने न देखा हो। मंत्रिमंडल नाम की कोई चीज नहीं है, इसका अर्थ है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है । बाहर यह कहते हैं और यहां आकर के समर्थन करते हैं तो यह दुरंगी नीति का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह सोचा जा सकता है और अधिकारियों पर...

श्री नकली सिंह––

[×××]

श्री उपाध्यक्ष––

नकली सिंह जी, आप बिना इजाजत बोल रहे ।

श्री धर्मन सिंह गहलौत––

मेरा जिला बिजनौर है, सहारनपुर में जानता भी नहीं कि यह झगड़ा है पिजन होल में मुझे यह मिला और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसका खण्डन नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि हां–हां, मैं बताऊंगा, हालांकि उन्होंने बताया नहीं । तो मैं कह रहा था कि किस तरह से ये आचरण कर रहे हैं लेकिन मैं उस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा ।

सरकार एक तरफ आय करती है तो दूसरी तरफ खर्च करती है । आय करने के लिए टैक्स लगाना पड़ता है चाहे कोई भी शासन हो वह आय के संसाधन जरूर जुटाती है । कोई पात्र हो, कोई बर्तन हो और उसमें पानी भरना हो, उसमें पहले से छेद हो तो आपका बहुत सा समय नष्ट हो जायेगा, सामग्री

नोट [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री धम्मन सिंह गहलौत—]

नष्ट हो जायेगी । जितने समय में आप भरना चाहते हैं वह भरेगा नहीं और यही हमारी अर्थ व्यवस्था में होता है । इसलिए यह उतनी मात्रा में नहीं हो सकेगा जितना कि संकल्प कोई भी सरकार करे । यहां भी इतने छिद्र लगे हुए हैं कि कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है ।

आपने 85 निगम बना रखे हैं मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस विषय पर नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने काफी डिटेल मे चर्चा की है । मेरठ मंडल विकास निगम, लखनऊ मंडल विकास निगम तो जब सब काम यह क्षेत्रीय विकास मंडल ही कर रहे हैं तो यह प्रदेश सरकार क्या कर रही है ? माननीय गृह मंत्री जी इस समय चली गई हैं कहीं मैं उनसे कहना चाहता था कि इसी तरह से डाकुओं को पकड़ने के लिए भी एक निगम बना दें क्योंकि आपके वश का तो कुछ है नहीं और इसी कारण आज तक आप न तो फुल्लनदेवी को पकड़ सके और न छविराम को पकड़ सके । एक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम बना हुआ है । उन्होंने सन् 1978 में घोषणा की कि हमें 2 करोड़ रु0 का लाभ हुआ है और यह खुशखबरी उन्होंने शासन को दी । अधिक बोनस अपने कर्मचारियों को बांट दिया और केन्द्र सरकार को आय भी दे दिया और जब आडिट इन्सपेक्शन हुआ तो पता चला कि शुद्ध एक करोड़ 95 लाख का घाटा उस वर्ष में हुआ था तो इस तरह से दो करोड़ के घाटे को कहते ह कि दो करोड़ का लाभ हुआ है । एक मामूली सा आदमी भी अपने नफ और घाटे का हिसाब रखता है ।

यह तो एक निगम का हाल है यदि अन्य निगमों को देखा जाय तो इससे भी बुरा हाल होगा । तो मैं तो यह कहूंगा कि या तो इन निगमों को आप समाप्त कीजिए या इन निगमों को सुधारिये । मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि यदि जनता शासन में किसी निगम ने कोई गड़बड़ी की है तो उसे बचाया जाय । आप इन निगमों में से जिसने अत्यन्त आवश्यक हैं उनको भले ही चलाइये, लेकिन उनमें जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ दीजिए । आप विपक्षी दल के लोगों को बुरा समझते हैं उनको छोड़ दीजिए लेकिन अपने पक्ष के लोगों में से जो भले हों उन्हें ही उसका प्रतिनिधि या चेयरमैन बना दीजिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि चाहे वह किसी भी विचारधारा का हो अगर किसी जगह बैठेगा तो उसे यह ख्याल रहेगा कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे कि जनता के सामने, अपने मतदाताओं के सामने शर्मिन्दा होना पड़े इसलिए वह कुछ न कुछ सुधार की ही बात सोचेगा और करेगा । मैंने अपना सुझाव बता दिया आपकी मर्जी उसको मानें या न मानें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी मेरी मर्जी का कोई सवाल नहीं है ।

श्री धम्मन सिंह गहलौत—

क्षमा करें । मैं शासक दल के लिए कह रहा था । आप तो हमारे माध्यम हैं । मान्यवर, मेरा कहना है कि सामाजिक या क्षेत्रीय असंतुलन पैदा न करें लेकिन आज हो क्या रहा है। दोनों तरफ से असंतुलन पैदा हो रहा है सामाजिक भी और क्षेत्रीय भी। आर्थिक दृष्टि से हालत और भी खराब होने लगी है । मिसाल के तौर पर जहां बिजनोर जिले की सीमा समाप्त होती है और हमारे क्षेत्र से नैनीताल जिले की

सीमा मिलती है, शासक दल के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात को कसौटी पर कसना हो तो उस केन्द्र बिन्दु पर चल कर खड़े हों । बिजनौर और नैनीताल जिले की सीमा मिलती है । बिजनौर जिले में पी0 डब्ल्यू0 डी0 की पक्की सड़क जितनी चौड़ी है, नैनीताल जिले में घुसते ही वह दुगुनी चौड़ी सड़क हो गयी है । यह असन्तुलन नहीं तो और क्या है ? मेरे जिले में न नहरें हैं, न कुयें हैं और न अच्छी सड़कें हैं ।

नैनीताल जिले के हर गांव में टंकी द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गयी है जिससे गांव वालों को पीने के पानी के लिये दूर नहीं जाना पड़ता । वहां स्कूल और अस्पतालों की व्यवस्था इस तरह से है कि हर गांव वाले को अपने यहां से 2 या 3 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े । हमारे क्षेत्र में जनता की सुविधा के लिये इस तरह की कोई व्यवस्था न करके एक असन्तुलन पैदा किया जा रहा है जिसका आगे चल कर भयंकर परिणाम होगा ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि मेरे नेता इस पर नहीं बोलेंगे, मैंने लिख कर दे दिया है और मैं उपनेता हूं इसलिये मुझे इस पर बोलने के लिये और अधिक समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । वैसे मैंने आपको समय ज्यादा दे दिया है ।

श्री धर्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, हमारे जिले से एक सड़क मुरादाबाद को जाती है । वही मुरादाबाद 70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता है जब कि हमारा जिला एक धेला भी नहीं कमाता है । मान्यवर, फिर भी मुरादाबाद को आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है और बिजनौर जिले को प्रगतिशील जिला कहा गया है । यह एक विचित्र बात है जो इस शासन की ओर से किया गया है । हम अपने जिले का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं लेकिन शासन की नीति से कोई वहां उद्योग लगाना ही नहीं चाहता । अब आप देखें कि प्रदेश का नक्शा क्या हो रहा है ? इसको आप सुधारने की कोशिश करें ।

शासक दल एक तरफ तो गरीबों को उनकी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात कहता है और दूसरी तरफ धन्ना सेठों को छूट दी जा रही है कि जिस तरह से वे चाहें अपने धन को बढ़ाते रहें । एक तरफ तो फुटपाथ पर सोने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ पंचतारे होटलों की, कोठियों की संख्या बढ़ती जा रही है । एक तरफ आप गरीब आदमियों को साइकिल व सुख सुविधा देने की बात सोचते हैं और दूसरी तरफ विदेशों से आयी हुई कारों को नीलामी में खरीदने में लगे हुए हैं । यह क्या स्थिति है ? क्या इस तरह से समाज चल सकता है और हम इस तरह से चल सकते हैं ? कितने दिनों तक इस तरह के असन्तुलन को रखते हुए इस शासन कार्य को चलाया जा सकता है ? गरीब आदमियों के दिल में इस बात के लिये हूक उठती है कि स्वतंत्र होने के 35 साल बाद भी वह आजकल की सुख सुविधाओं से वंचित हैं । जो भी शासक दल हो इसको चाहिये कि वह इसके लिये कोशिश करे लेकिन इस बजट में तो ऐसी कोई कोशिश दिखलायी पड़ती नहीं है ।

[श्री थम्मन सिंह गहलौत--]

सरकार को बस उनके साथ मौखिक सहानुभूति है । एक उदाहरण मैं दे दूं । धामपुर के पास मरड़ा गांव में एक अस्पताल खोलने की बात इस शर्त पर 20 लाख रुपये की लागत से बनाने की स्वीकृत हुई थी कि गांव वाले पक्की सड़क के किनारे 3 एकड़ जमीन दे दें । मोड़ा गांव वालों ने तीन एकड़ जमीन पक्की सड़क के किनारे दे दी, उसकी रजिस्ट्री भी हो गयी लेकिन फिर न मालूम क्या बात हुई कि उस स्थान को बदलने का षड़यन्त्र शुरू हो गया ? वह स्थान धामपुर शहर से बिल्कुल मिला हुआ है जो अब नगर का ही एक भाग है और उसके चारों तरफ आवास की भूमि है, लोग बसते जा रहे हैं । जो भी योजना बनती है नीचे जाते-जाते उसकी क्या दुर्दशा हो जाती है उसका यह एक नमूना है । इसका आगे चल कर क्या दुष्परिणाम हो सकता है इस पर कोई नहीं सोचता ।

इसका कारण यह है कि यह 57 जिलों का बहुत बड़ा प्रदेश है जहां एक फाइल एक आदमी के पास से दूसरे विभाग में पहुंचते-पहुंचते प्रार्थना-पत्र पाने वाला भूल ही जाता है कि उसमें क्या था और फिर उसे दूसरा प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है कि पहले यह बात कही गयी थी । तो मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अधिक समय दिया । मैंने कुछ मोटी-मोटी बातें कहीं हैं और मैं आशा करता हूं कि शासक दल के लोग इन बातों पर विचार करेंगे और बजट में सुधार करने की कोशिश करेंगे । धन्यवाद ।

*श्री नकली सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, 1982-83 के बजट पर आप मुझे बोलने का नेक मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद ।

उस बजट को जिस बजट में कोई नया कर न लगाया गया हो, उस बजट की जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया हो, उस बजट की, जिस में कुछ विकास के ठोस कदम उठाने की बात की गयी हो, ऐसे बजट की भी आलोचना मेरे विरोधी दल के साथी करेंगे मुझे यह सुन कर और देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है । मान्यवर, मुझे आश्चर्य उस दिन हुआ था, 19 जनवरी के दिन, जिस दिन 'बन्द' का आह्वान किया गया था । जन-जीवन सामान्य था । कहीं कोई बन्द नहीं था । मैंने अपनी आंखों से देखा । मैं लखनऊ में ही था । देखा था कि जन-जीवन बिल्कुल सामान्य है । बन्द का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है । लेकिन उसकी मेरे सामने बैठे साथियों ने कैसे जोरदार वकालत की थी कि पूरा देश बन्द था, प्रदेश बन्द था फैक्टरियां बन्द थी, दुकानें बन्द थी ।

मान्यवर, यह सब सुन कर मुझे एक पढ़े लिखे आदमी का एक अंग्रेजी वाक्य याद आता है । उन्होंने कहा था "ब्यूटी लाइज इन दि आइज आफ बिहोल्डर" । बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं लेकिन इसका मतलब यह समझ पा रहा हूं कि हर चीज की तारीफ, मान्यवर आंख ही करती है । इसी सिलसिले में मैं एक छोटी सी सच्ची कथा सुनाना चाहूंगा । मैंने अपने बुजुर्ग से सुना था । बताया गया था कि कोई राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह शिकार के शौकीन थे । शिकार खेलने जंगल में चले गये । वहां उनको राजेन्द्र नाम का एक गीदड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिखाई दिया । राजा उस पर निशाना लगाने लगे । गीदड़ ने कहा "हे राजा गोली मत चलाओ वरना प्रलय हो जायगी"। हमारे राजा भी एडवेन्चर के शौकीन थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह । उन्होंने गोली दाग दी । गोली गीदड़ पर लगी । गीदड़ मरणावस्था में था । राजा साहब ने सोचा प्रलय तो नहीं हुई । गीदड़ से पूछा, अरे भाई राजेन्द्र तू मरते वक्त भी झूठ बोल रहा है, प्रलय तो नहीं हुई है । "गीदड़ ने कहा "प्रलय तेरे लिये हो या न हो मेरे लिये तो हो गई "। मान्यवर, छोटी सी एक बात और बता दूं । एक अम्मार नामक बिल्ली बहुत तकतवर थी । वह एक दिन कबूतर पर झपट पड़ी । कबूतर ने सोचा कि एक ही तरीका है । उसने आंख बन्द कर ली और बिल्ली गायब हो गई । नतीजा क्या हुआ ? तो ऐसे ही मेरे सामने साथियों की आंख, मुंह, गीदड़ और कबूतर के जैसे हो गये उनका दृष्टिकोण वैसा ही लगता है ।

मान्यवर, मैं इस विधान सभा के लिए नया हूं लेकिन मैं समझता हूं मेरी जानकारी सही होगी । बजट भाषण पटल पर रखने से पहले मैं समझता हूं, गोपनीय होता है । बजट भाषण पटल पर रखा गया और मेरे सामने बैठे साथी या तो दैवी शक्ति रखते हैं या अनपढ़ हैं बिना बजट के पढ़े, बिना देखे, उन्होंने बजट को फाड़ कर फेंक दिया । क्या अर्थ लगाया जाय ? मेरा तो यह दृष्टिकोण बन गया है कि इनका काम सिर्फ विरोध करना रह गया ।

अब मैं बजट की बात करता हूं । मेरे सामने के साथी हैं । सदन में सबसे अच्छे वक्ता हैं मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं बजट पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बहुत कुछ यहां पर कहा जा चुका है । मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल हमारे एक सम्मानित सदस्य ने एक फोटो स्टेट कापी अध्यक्ष महोदय को दे दी जिसमें लिखा था कि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी बदमाश को घेर लिया था और उस बदमाश ने उससे यह कहा कि मैं फलां-फलां राजनीतिक व्यक्ति कांग्रेस के एम0एल0ए0 के यहां प्रोटेक्शन पा रहा हूं । इस तरह से मान्यवर, एक तरफ तो वे पुलिस के बयान की फोटो स्टेट कापी प्रस्तुत करते हैं उसकी सच्चाई के लिये, और दूसरी तरफ पुलिस के साथ जो इन्काउन्टर होते हैं उनको फेक माना जाता है । मान्यवर, दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि मेरे साथी एक मुंह से दो बातें करते हैं । यह अच्छा नहीं लगता ।

मान्यवर, हमारे सीमित संसाधन हैं फिर भी कोई कर नहीं लगाये गये । क्या ही अच्छा होता यदि यह हाउस बैठ कर यह तय करता कि सीमित संसाधनों के होते हुये भी सरकार जो कुछ कर रही है वह काफी है या नहीं । सरकार आपकी हो या हमारी हो जितने साधन सरकार जुटा पा रही है वह गरीबों तक नहीं पहुंच रहे हैं । बीच में बैठे जो दलाल हैं वे आधा हिस्सा खा जाते हैं । कौन नहीं जानता कि ठेकेदार पी0 डब्लू0 डी0 में 22 प्रतिशत खाते हैं, 18 प्रतिशत सिंचाई विभाग में और 25 प्रतिशत जिला परिषदों में खाते हैं । इससे कम मुनाफे में ठेकेदार काम करने के लिये तैयार नहीं होते । क्या ही अच्छा होता कि हम लोग बैठकर इसके बारे में सोचते जो काम हो वह लालफीताशाही की जेब में न जाकर जनता के पास जाय । क्योंकि यह पैसा उनके लिये है, चोरों के लिये नहीं है । इसलिये मेरा विश्वास है और मेरा

[श्री नकली सिंह--]

आपसे आग्रह है कि आइन्दा जब कभी भी ऐसी समस्या उत्पन्न होगी तो हम सब लोग बैठकर विचार करेंगे कि जनहित के कार्यों में रोड़ा अटकाने वालों के विरुद्ध एक मत से आवाज उठायेंगे ।

आज सवाल किसी सरकार का नहीं है, बल्कि वह क्या कर रही है, इसका है । सरकार तो हर चैलेंज को कबूल करना चाहती है । अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि गढ़वाल में चुनाव क्यों नहीं कराये ? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर बहुगुणा जी में हिम्मत है तो हमारे यहां मुजफ्फरनगर में प्रधानों का इलेक्शन लड़कर दिखा दें, संसद का इलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है । यह मेरी उनके लिए खुली चुनौती है कि यदि बहुगुणा में हिम्मत है तो गढ़वाल की सीट छोड़कर मेरे यहां आ जायं, मैं चुनौती देता हूं । इस बात को स्वीकार करने की न तो उनमें हिम्मत है और न आप में ही है । सच्ची बात सुनिये और उसे बर्दाश्त करिये । इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, आपने सुना और मैं भी माननीय नकली सिंह जी का भाषण सुन रहा था । ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनका भाषण उनके नाम से जुड़ा हुआ है । श्रीमन्, यह बजट पत्रिका पढ़ने के बाद और माननीय विपक्ष के सदस्यों और सत्ता पक्ष के सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह बजट किसी मजबूरी, दबाव में या सरकारी अधिकारियों के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है । मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक विधायक श्री बाजपेयी ने कल एक प्रश्न उठाया था और यह चाहा था कि माननीय विधायकों की क्षेत्रीय समितियां बना दी जायं । जिससे मान्यवर, कम से कम पता चले कि हमारी सरकार जो नीति बनाकर भेजती है जिसके लिए बजट बनाया जाता है उसका कार्यान्वयन करने में यह अधिकारी किस तरह से अड़चनें पैदा करते हैं कैसे-कैसे धांधलेबाजी करके उसका अधिकतर हिस्सा अपनी जेबों में और अपने आकाओं की जेबों में पहुंचा देते हैं । दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष के माननीय बाजपेयी जी ने बड़े जोर दार शब्दों में एक बात कही जिसका सत्ता पक्ष के भाइयों ने विरोध किया लेकिन विपक्ष के लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी । मान्यवर, इस बजट को पढ़ने के बाद साफ जाहिर होता है कि इसमें अधिकारियों के भवन बनाने का तो संकेत है लेकिन एक भी प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल बनाने का प्राविधान नहीं किया गया है ।

मान्यवर, बड़े जोरों से कोआपरेटिव के बारे में दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने कहा । यह सरकार सारे काम कोआपरेटिव के माध्यम से कराना चाहती है । इन कोआपरेटिव पर संभ्रांत व्यक्तियों का चाहे वह संभ्रांत व्यापारी हों या संभ्रांत किसान हों उनका विश्वास हो सकता है लेकिन गरीब किसान का, गरीब मजदूर का जिसका फायदा सरकार चाहती है नहीं होने वाला है उनका विश्वास इससे उठ गया है । ऐसे ऐसे केसेज हैं जिनको मरे हुए 10-10 साल हो गये उनके नाम पैसा दिखाया गया है 6-6 हजार उनके नाम पर दिखाया गया है । एक बार कोआपरेटिव से आपके ढिंढोरा की वजह से सौ दो सौ रुपया ले लिया तो उसके लिए उसे आज जमीन बेचनी पड़ रही है । आप जिनकी सेवा करना चाहते हैं उनकी यह हालत और बुरी हो रही है ।

सिचाई की बात माननीय मंत्री जी ने कही आप किसानों की सेवा करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अपने जिले की बात बताता हूं । मुरादाबाद जिले में 70 नलकूप बिना चालकों के पड़े हुए हैं । चाहे पिछले बजट का घाटा हो या इस बजट का घाटा हो उसको आप कहां से पूर करेंगे, केन्द्र से कर्जा लेंगे या गरीबों पर बोझ डालेंगे या कहीं से पूरा करेंगे, लेकिन जिसका भला आप इस बजट से करना चाहते हैं उस तक यह 50 फीसदी भी नहीं पहुंच पायेगा जब तक कि आप अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगायेंगे । किसी एमेंडमेन्ट के जरिये या किसी समिति के जरिये । इनके अधिकारियों की वफादारी की हालत आज क्या ह बताना चाहता हूं ।

हमारे यहां रामपुर में एक कोआपरेटिव में मिल है उसके जनरल मैनेजर कोई मि0 यादव हैं जो बांदा के रहने वाले हैं । उनकी शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी से की गयी जिसका उनको पता चल गया । मंत्री जी ने तो कोई जबाब नहीं दिया उनका जबाब मिला कि "मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की कांस्टीटुवेंसी का रहने वाला हूं डेढ़ महीने तक मैं उनके इलैक्शन के लिए वहां रहा और एक लाख रुपया मुख्य मंत्री जी को दिया है आप और आपका सारा हाउस जितना चाहे कोशिश कर ले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पायेंगे" । मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से रामपुर मिल के लिए चार सौ बोरी सीमेंट फैक्ट्री के लिए मंगाया गया । मान्यवर, वह सारा सीमेंट बांदा उतार लिया गया । इसकी शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी से की गयी लेकिन जबाब मिला कि यह इत्फाक था । अगर शिकायत न की गयी होती तो उस सीमेंट का क्या होता यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं ।

मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं वह माने या न मानें । हमारा जो दायित्व है, हम उसको निभाएंगे । यह अपील करें या न करें, लेकिन हमें जिस उद्देश्य से जनता ने चुनकर भेजा है, उसके हित के लिए मैं यहां अपने सुझाव देना चाहता हूं । यह टैक्स चाहे जिस पर लगाए गये हों, उसका बोझ तो गरीब जनता पर ही पड़ेगा । एक प्रथा यहां पर पड़ गयी है, एक टैक्सी के रूप में मेटाडोर पास की गई, जिसमें बैठने के लिए 7 सवारी हमारी सरकार ने पास की । लेकिन उसमें तब से आज तक भी 20/20 सवारियां लेकर वह लोग चलते हैं । उनकी शिकायतें हैं और हम लोगों से भी उन्होंने शिकायतें और अपनी मांग की है कि 60 रुपया पर मन्थ हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हम इसके अलावा 600 रुपया सरकार को और खुशी से देने को तैयार हैं, यदि वह इसमें सवारी सात से 12 के लिए पास कर दे । उन्होंने यह भी बताया कि बिठालते तो हम अब भी 12 और उससे ज्यादा हैं, लेकिन इन अनियमितता के लिए हमें सिपाही को, रोडवेज सिपाही को, ट्राफिक सिपाही को आर0 टी0 ओ0 वालों को और थाने के अधिकारियों को अलग से जो देना पड़ता है वह इस 600 से कहीं ज्यादा है यह हमें 600 से 1200 तक देना पड़ता है । तो इसलिए हमें यह भ्रष्टाचार करना पड़ता है । उनका कहना है कि यदि 7 सवारी से 12 सवारी कर दी जाएं, तो वह शासन को 600 रुपया और देने को तैयार हैं । लेकिन यह सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए ऐसा कदम कभी नहीं उठायेगी ।

इस बजट में गरीब हरिजन, छोटे किसान व मजदूर के लिए बहुत कुछ कहा गया है और सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से इसकी तरफदारी में बहुत अलाप अलापा गया है । मान्यवर, इसमें आप देखें कि किस तरह से छोटे किसान और मजदूर को सुविधा पहुंचाने की बात की गई है । वह इस तरह से की गई

[श्री अकबर हुसैन---]

है कि वह सुविधा वास्तव में उनको कभी प्राप्त ही न हो सके । इसमें कहा गया है कि जिसके पास 20 बीघा से कम जमीन है, उसको अपने खेतों में प्रयोग के लिए हैरो का प्राविधान कर दिया गया है, इसको खरीदने के लिए उसको आधी छूट दी जाएगी । इसी प्रकार कुठला में भी आधी छूट दी गई है । अब प्रश्न यह है कि इतनी छोटी जोतवाला अपने खेतों में हैरो ट्रैक्टर का कैसे प्रयोग कर सकता है और वह शेष धन भी उसके लिए कैसे जुटा सकता है और वह कुठला का क्या इस्तेमाल कर पाएगा ? इसका नतीजा यही होगा कि बड़े-बड़े किसान और सामन्त ही उनको खरीद पायेंगे और यह लोग अपने नौकरों आदि के नाम पर उसे खरीद लेंगे और उसका प्रयोग करेंगे । वह डेढ़/दो एकड़ वाला किसान उस हैरो को लेकर क्या करेगा, नाम उसका होगा, चलावेगा वही सम्पन्न किसान ।

यदि यह सरकार वास्तव में हरिजन, छोटे किसान और मजदूर को लाभ पहुंचाना चाहती है तो उसे सोचना होगा और ऐसे तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाना होगा कि जिसे कोई दूसरा प्राप्त न कर सके । चाहे छोटा किसान हो या बड़ा, सिंचाई सब करते हैं, इसलिए आप उसकी सिंचाई माफ कर दें, तो यह आपका सही कदम होगा । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, न करेंगे, क्योंकि आपकी नीयत उसको लाभ पहुंचाने की कभी नहीं रही है, न है और न रहेगी । सिंचाई दर बढ़ा दी गई और उसका तर्क यह दिया गया कि डीजल की कीमत बढ़ गई है और उसके आपरेटर्स की कीमत बढ़ गई है । तो मान्यवर, जो उसका उपभोक्ता है, जो उसका उपयोग करके अपना उत्पादन करेगा तो क्या उसके द्वारा उत्पादित चीज की कीमत अधिक नहीं होगी ? तो क्या उन उत्पादित चीजों की कीमत बढ़ाने का भी इसमें कोई प्राविजन है ? उन्होंने ऐसा नहीं किया है ।

अभी गृह मंत्री जी ने एक सूचना पढ़ कर यहां सुनाई, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक नामी बदमाश को इस प्रदेश में कम कर दिया, लेकिन सुना है कि एक लाख का ईनाम छविराम डाकू पर था और इस शिवराज सिंह पर केवल 2 हजार का ही इनाम था । तो इनकी कामयाबी, जिस शोर-शराबे और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसकी घोषणा की गई, उस योग्य नहीं थी । चलो उस हिसाब से 1 बटा 50 कामयाबी तो इनको मिली और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । इसके लिए शुरुआत तो हुयी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि चूहा तो हाथ में आया । मान्यवर, हमारे थाने में एक शबो राम नाम का ड्राइवर है, वह शराब बहुत पीता है, इसलिए उसको सभी शबोराम-शबोराम कहते हैं । एक दिन इत्तिफाक से वह शराब पीकर किसी भट्टी से निकल इधर-उधर टहल रहा था कि पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया । जब उससे उसका नाम पूछा तो शराब के नशे में उसकी जबान से निकला छबी राम । तो इस नाम को सुनकर वे पुलिस वाले भागे । जब उनके सब इन्सपेक्टर से पूछा कि मामला क्या है तो वे यह नहीं बता पाए कि क्या कारण है उनके भागने का । तो जब इनकी पुलिस के सब इन्सपेक्टर छबी राम का नाम तक लेने से इतने डरते हैं तो इनके शासन की निर्भीकता की यह मिसाल है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय बाजपेयी जी की, जो उन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं, यह बात मान लें कि हर जिले में समीक्षा समिति को गठित किया जाय जो वहां के उद्योग और हर विभाग के बारे में हर महीने उनके कार्यों की समीक्षा करे ।

इन शब्दों के द्वारा मैं माननीय ब्रह्म दत्त जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री मान बहादुर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, इस बजट पर जो चर्चा चल रही है उसका आज चौथा दिन है। विरोध पक्ष की ओर से इस पर जितने भी भाषण हुए उनको सुनकर मुझे कुछ निराशा ही हुयी । उनके द्वारा उन मुद्दों को बार-बार उठाया गया जो पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी उठाये थे । माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं और सदस्यों के भाषणों में आर्थिक मुद्दों की ही प्रधानता रही । बजट पर जो भाषण हुए उनमें बहुत बड़ी भूमिका माननीय नेता विरोधी दल की होती है और जो उनका भाषण जो है वह पूरे बहस को दिशा देता है लेकिन 15 दिन से वही इन्काउन्टर की, फलां डाकू के मारे जाने की खबरों का जिक्र करने और अनेकों पत्रों को पढ़ने का प्रयास किया गया है । इन लोगों की एप्रोच कभी भी आर्थिक विकास में नहीं रही।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने लिखित भाषण के पृष्ठ 4 पर लिखा है कि जनसंख्या में पिछले दशक में 25·52 प्रतिशत की चिन्तनीय वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 24·75 प्रतिशत ही रही । मैं जानना चाहता हूं कि इस अहम मुद्दे पर क्या कोई विचार विरोध पक्ष की ओर से व्यक्त किया गया ? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अहम मसले हैं या तो वे उससे अपरिचित हैं या अपने सोचने में ईमानदारी नहीं कर रहे हैं । इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा कि जनसंख्या यदि इसी प्रकार से बढ़ती रही तो कोई भी आर्थिक विकास झूठा होगा । वह मृग मरीचिका के समान होगी । डाक्टर अशोक मित्रा जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में पापुलेशन से सम्बन्धित एक प्रोफेसर हैं और उन्होंने एक भाषण दिया जिसका विषय था 'प्रास्पेक्ट्स आफ पापुलेशन ग्रोथ' उसमें उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि हो सकता है अगले दशक में आबादी की वृद्धि दर घटने के बजाय और बढ़े और उन्होंने यह भी बताया कि यह बहुत ही विनाशकारी होगी और माननीय सदस्यों को, विशेषकर विरोध पक्ष के सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए । मैं आपके जरिए माननीय विरोध पक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस गम्भीर मसले पर विचार करें और जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि इसे जन-आन्दोलन के रूप में लें, इसे जन आन्दोलन के रूप में लेकर चलायें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वर्ष उत्पादकता वर्ष कहा गया है, जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने कहा है । यह सही है कि उत्पादन अगर बढ़ेगा तो खुशहाली आयेगी । लेकिन उत्पादन में सबसे बड़ा गतिरोध बिजली के कारण हो रहा है । हमारे यहां बिजली उत्पादन की क्षमता 4,600 मेघावाट प्रतिदिन की है जबकि अधिकतम बिजली एक दिन में 1,600 मेघावाट से ज्यादा पैदा नहीं हुई है और औसत प्रति दिन का 1,100-1,200 के बीच रहा है । यदि इसके उत्पादन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ेगा और औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ेगा । ओबरा में जो मशीन लगी है वे 50 प्रतिशत से अधिक बिजली अपनी क्षमता से नहीं पैदा कर रही हैं । नानपारा में एक योजना नयी विचाराधीन है, मेरा सुझाव यह है कि वहां जो मशीन मंगाकर आप लगायें वह जापानी कुलैबोरेशन से लगाएं ।

[श्री मान बहादुर---]

अगर 500 मेगावाट का संयंत्र लगायें तो उससे उतनी बिजली पैदा हो, यह आप सुनिश्चित कर लें। जब बिजली अधिक पैदा होगी तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा और यह संकल्प आपका पूरा होगा।

जहां तक कृषि उत्पादन बढ़ने की बात है, उसमें हमें आशातीत सफलता मिली है। पिछले 10-15 वर्षों में उसमें काफी अधिक उत्पादन बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या छोटी जोतों की है। छोटी जोतों से प्रति एकड़ उपज बहुत कम होती है। जितनी उपज बड़ी जोतों से मिल रही है उतनी छोटी से नहीं। इसलिए सरकार को छोटी जोतों से उपज बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि गांवों में सड़कें अधिक से अधिक बनवायी जायें व गांवों का विद्युतीकरण किया जाय। हरियाणा और पंजाब की तरक्की का यही एक मात्र कारण है। वहां पर 100 प्रतिशत गांवों में बिजली मिलेगी और सड़कें मिलेंगी। हमारे यहां इन दोनों की ही बहुत कमी है।

जहां तक गन्ने के मूल्य का प्रश्न है, काश्तकार आज गन्ने के मूल्य से चिन्तित नहीं है। जितना मूल्य उसे पिछले वर्ष मिला, जनता पार्टी कभी उतना मूल्य नहीं दिला पायी। आन्दोलन करने वालों के समय में, जब उनका राज्य था, किसानों को 3 रुपए क्विन्टल के भाव से गन्ना बेचना पड़ा।

(व्यवधान)

और गन्ना मान्यवर, खेतों में जलाया गया। 25 जून की बात है कि मैं मुजफ्फरपुर गया था, उस जमाने में गन्ना खड़ा था, पानी बरस रहा था और वहां पर नारा भी था कि "बोलो चरण सिंह की जय गन्ना बिक गया गौने छै।" यह नारा पूरे उत्तर प्रदेश में था।

श्री कुबेर भंडारी--

मिलों की संख्या आपने बढ़ा दिया।

श्री मान बहादुर--

पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो गन्ने का काश्तकार है और मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इसमें दाम एक रुपया का कम है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार मुझे नहीं समझ में मिलता। 1967 के बाद शायद यह ऐसा हुआ है और रिकवरी आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी मिलें हैं, जैसे आप बलरामपुर, बस्ती ले लें। पंजाब रामकोला ले लें जिनकी रिकवरी किसी भी मिल से अच्छी है, कम नहीं है। इसमें एक रुपए का फर्क रखना उचित नहीं है। इस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे। अब मान्यवर, उद्योग के सिलसिले में भी बात है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि एक भारी उद्योग हर जिले में स्थापित किया जाय। मैं इस सिलसिले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसे मेरा जिला गोंडा है, वहां पर एक भी उद्योग स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नहीं लगाया गया, न केन्द्र सरकार ने और न उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भारी उद्योग गोंडा में लगाने के लिए

कदम उठाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा---

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जो ने जो बजट पेश किया है, वह बजट जन विरोधी, किसान विरोधी, हरिजन विरोधी है । इस बजट का मैं घोर विरोध करता हूं । मान्यवर, कांग्रेस (आई) के नेता, अधिकारियों को मिलाकर यह पैसा सब खाये हैं ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

विरोधी दल का विरोधी बजट है ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, इसकी हमने खुद जांच करके मुकदमा मंगलपुर, रसूलाबाद में दर्ज कराया ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

इसीलिए दल बदलू हो गये ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

यह कांग्रेस (आई0) की नहीं है । कांग्रेस (आई0) एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है । इसमें [× × ×] सब पनाह पाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग न कर ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट---[× × ×]--यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने सुना नहीं । मैंने उन्हें स्वयं कह दिया कि वह असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, इसकी सब्की जांच मैंने स्वयं की । जांच के बाद मैंने यह पाया कि डेरापुर तहसील का 35 लाख रुपया गृह अनुदान के लिये श्री के0 पी0 पांडेय, तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदार ने मिल कर 14 लाख रुपया खाये हैं । 14 लाख रुपये का आधा रुपया [× × ×] के लोग खा गये । मैंने जांच की और जांच के बाद जिस किसान को 50 रुपया दिया गया, उससे 100 रुपये पर दस्तखत करा लिया गया था और जिसको 100 रुपया दिया गया था, उससे 200 रुपये पर हस्ताक्षर करा लिया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी का नाम आपने लिखाया था कि खाली रिपोर्ट ही लिखा दिया था ?

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मैं बताऊंगा, मान्यवर ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

श्री के0 पी0 पांडेय....

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैं बोल रहा हूं तो आप व्यवस्था न मांगे ।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, इन्होंने बजट पढ़ा नहीं है इनको परेशान न करें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

श्री के0 पी0 पांडेय, तहसीलदार, श्री राम सजीवन, नायब तहसीलदार, श्री इंतयाज हुसैन, नायब तहसीलदार ने 14 लाख रुपया मिलकर खा लिया है गृह अनुदान का ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने अपने भाषण के उत्तरार्द्ध में क्या कहा है ?

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मैंने जांच किया तो सभी किसानों ने कहा कि हस्ताक्षर पहले करा दिये गये और बाद में जिसको 50 रुपया दिया गया था उसको 100 कर लिया गया जिसको 100 मिला था 2 सौ कर लिया गया । मान्यवर, थाना मंगलपुर और रसूला में इनके खिलाफ धारा 420, 467, 209 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है मुकदमें की जांच विजीलेंस को दी गई है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कांग्रेस आई0 शब्द का प्रयोग किया है उनका दर्ज कराया है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक कोई बात स्पेसिफिक न मालूम हो, न कहें । कार्यवाही से वह अंश निकाल दिया जाय जहां उन्होंने कांग्रेस (आई0) का नाम लिया है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

इसी तरह भूमि विकास बैंक झींझक का मैनेजर, अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो किसानों को इंजन दिये गये, डीलर से मिलकर लूट रहा है । इसको भी मैंने जांच किया तो पता चला कि किसानों को बोरिंग का रुपया देकर उसी वक्त इंजन की फाइल पर दस्तखत करवा लिये और 7-8 हजार रुपया निकाल लिया और खा गये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री शशिकान्त, ने मान्यवर, ऐसा किया है कि इन्तखाब किसी को है और फोटो किसी और की लगी है । मान्यवर, 4 सौ मामले ऐसे हैं जिसमें डीलर ने किसानों को धोखा देकर इंजन की फाइल पर दस्तखत करवा लिया और रुपया निकाल कर खा लिया । इसकी भी रिपोर्ट धारा 420, 467 और 409 के तहत दर्ज कराई गई । मान्यवर, प्रत्येक डीलर पर 40-50 मुकदमें और मैनेजर पर साढ़े तीन सौ मुकदमें हैं । मान्यवर, श्री शशिकान्त त्रिपाठी, बी0 ब्लाक, दारूलशफा के केयरटेकर के सगे भाई हैं । उन्होंने कांग्रेस (आई0) के 100 विधायकों और 5 मन्त्रियों से लिखाकर मुख्य मन्त्री को दिया है कि भगवान दीन कुशवाहा लोक दल के विधायक हैं इसलिये यह सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसा करा रहे हैं । श्री शशि कान्त त्रिपाठी बहुत ही चरित्रवान और अच्छा व्यक्ति हैं । लेकिन जब मुख्य मन्त्री को मालूम हुआ कि यह भ्रष्ट और बेईमान आदमी है तो उन्होंने उसको निलम्बित किया । मान्यवर, इंजन डीलर का चालान हो गया है, मैनेजर वानटेड है । हमारे यहां की पुलिस ने यहां छापा भी मारा ।

तीसरा मामला जिसकी जांच हमने किया है वह भूमि संरक्षण विभाग का है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से कहना चाहता हूं कि इसमें भूमि संरक्षण विभाग में 80 लाख रुपये का डिप्टी डाइरेक्टर, बी0 एस0 ए0 रसूलाबाद और बी0 एस0 ए0 झींझक, कानपुर देहात ने मिलकर गबन किया है जिसका आधा भाग कमिश्नर, सुनीता कांडपाल को गया है । मान्यवर रसूलाबाद में 3 नं0 का ईंटा लिया और उसको एक नं0 का वाऊचर दिखाया गया है, इसी तरह 1/3 सीमेंट का मसाला लगाना चाहिये जो कि 2/20 का लगाया गया है, सारी सीमेंट का पैसा खा गये और सारी नालियां टूटी हैं । इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो इसकी जांच करे ।

मान्यवर, बी0 एस0 ए0 झींझक, कानपुर देहात, ने 80 किलो मीटर कच्ची नाली बनाने की रिपोर्ट फतेहपुर में दे दिया जबकि वह 25 किलो मीटर ही बनायी गयी थी, यह मैंने जब जांच किया तो पाया । इसके कागज हमने सील कर दिये थे कि मजदूरों का चिट्ठा जो 16 अक्तूबर, 1981 के पहले चढ़ाना चाहिये था वह बाद में चढ़ाया गया । लेकिन जांच के बाद हमने उन कागजों को सील कर दिया और डिप्टी डाइरेक्टर, बी0 एस0 ए0 रसूलाबाद और झींझक के खिलाफ रिपोर्ट मंगलपुर थाने में दर्ज कराया जिसमें एक झूठी दरख्वास्त दी

[श्री भगवानदीन कुशवाहा—]

गई कि विधायक जी ने जबरदस्ती आफिस से कागज ले लिये हैं। जिस समय हमने छापा मारा था तो हमने मंगलपुर थाने में दरखवास्त दिया था कि भूमि संरक्षण विभाग में हम जांच करना चाहते हैं जिससे वहां चौकी के इंचार्ज ने दो सिपापियों को असलहे सहित हमारे साथ भेजा। छापे के समय डिप्टी डाइरेक्टर आफिस में मौजूद थे, उनसे हमने कहा कि इस तरह की शिकायत है कि लूट हुई है तो उन्होंने कहा कि कागज देख लें और दिखाये भी। गड़बड़ी पाने पर उन्होंने कहा कि कागज आप सील कर दें और कमिश्नर के यहां जमा कर दें। लेकिन कमिश्नर के आफिस में मालूम हुआ कि वह उस दिन कानपुर से बाहर थे। सील कागजों पर बी० एस० ए० और हमारे दस्तखत हुये थे। कमिश्नर छुट्टी पर होने के कारण सील्ड कागजातों के सम्बन्ध में डिप्टी डाइरेक्टर ने कहा कि थाने में जमा कर दें। उसी समय थाने पर कहा गया कि विधायक ने जबरदस्ती कागज ले लिये हैं और इसलिये दफा 353 की हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा दी गयी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कमेटी बनाकर इसकी जांच करा ली जाय।

मान्यवर, बी० एस० ए० रसूलाबाद ने ईंट भट्ठों वालों को पहले भुगतान किया है और मजदूरों को बाद में भुगतान किया है। चटिया और ईंट भट्ठों से अधिक कमीशन लेकर पहले भुगतान कर दिया गया है। मान्यवर, कानपुर के अधिशासी अभियन्ता दो जिलों को देखते हैं। उन्होंने हमारे झींझक में नव निर्माण मरम्मत का ठेका दिया और बिना काम कराये 31 मार्च, 1981 को रिपोर्ट दे दिया कि काम पूरा हो गया है लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें श्री एस० के० बजाज, अधिशासी अभियन्ता, अभियन्त्रण सेवा कानपुर श्री एस० के० सिंह, सहायक अभियन्ता, श्री हनफी, विकास अधिकारी और श्री चन्दू बाबू ठेकेदार, कानपुर देहात के खिलाफ थाना मंगलपुर में रिपोर्ट दर्ज हमने करायी है। वह भागे-भागे घूम रहे हैं। आज तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जांच जिस विभाग में जाती है वहां एक लाइन लिखी जाती है कि पुलिस जांच करे, पुलिस वाले लिखते हैं कि विजीलेंस जांच करे और विजीलेंस वाले लिखते हैं कि कोआपरेटिव से जांच करें। तो यह शासन की नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हमारी जांच कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय। मान्यवर,....

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

के०पी० पान्डेय तहसीलदार ने 31 मार्च, 1981 को रिपोर्ट दे दी कि 35 लाख रुपये का पूर्ण वितरण हो चुका है। लेकिन वितरण बाद में हुआ है और वह लोग सारा पैसा खा गये हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी सही जांच करवाने का निर्देश दें।

[3 बज कर 57 मिनट]

श्री राम कुंवर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने के लिये मौका दिया। मान्यवर, यह जो बजट वित्त मंत्री

जो ने पेश किया है यह समाजवादी बजट है और इसमें हर वर्ग के लोगों की ओर ध्यान दिया गया है हरिजनों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, हर वर्ग के लोगों के लिये ऐसी व्यवस्था की गयी है, इसमें समाजवाद का पूरा रूप दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद इतना लम्बा बजट आज तक कभी नहीं बना था । विशेषता की बात इसमें यह है कि किसी भी विभाग में कर नहीं लगाया गया है ।

इसलिये हमारे विरोधी पक्ष के साथियों को कहने का यह मौका नहीं मिला कि लोगों की कर से कमर टूट रही है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और जिन लोगों ने यह बजट बनाया है उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं उस पक्ष में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी को कम नहीं समझता हूं । जो भी बजट पर उनके सुझाव आये हैं, अधिकतर उन्होंने आलोचना की है कोई सुझाव नहीं दिए हैं । मैं समझता हूं कि यह उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वह यह कहते कि इस बजट में किस मद में अधिक धन दिया गया है और किस मद में कम धन दिया और किस मद में अधिक धन की जरूरत है अगर वह इस तिरह की कोई बात कहते तो पता लगता कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वह न किया है । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया मैं कहूंगा कि उस तरफ बैठने वाले लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ विरोध करना ही नहीं है, उनको प्रदेश के कल्याण की बात कहनी चाहिये । आप ऐसे ठोस सुझाव दीजिये जो आम लोगो के हित में हो । मैं जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुये कुछ समस्याओं के संबन्ध में सुझाव भी देना चाहता हूं ।

मैं निवेदन करूंगा कि गावों में 80 प्रतिशत लोग बसते हैं, यह सरकार किसानों के लिये बिजली, पानी, खाद की व्यवस्था बड़ी तेजी से कर रही है । उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरित क्रान्ति लाकर खाद्य समस्या के समाधान में योगदान पहुंचाया है उनके लिये सारी सुविधायें पहुंचाने के बावजूद भी उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है । खाद के दाम जिस समय 52 रु0 बोरी थी, उस समय गेहूं के दाम 2.25 रु0 किलो थे और चावल के दाम 2.50 रु0 थे, लेकिन इस समय खाद का दाम 200 रु0 बोरी है, लेकिन गेहूं व अन्य खाद्यान्न के दामों में कोई फर्क नहीं आया है, इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि किसान की स्थिति की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और उसके द्वारा उत्पादित चीज का उचित मूल्य दिलाया जाए, तब इस प्रदेश का किसान खुशहाल होगा । किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य तो नहीं बढ़े और जिन चीजों की आवश्यकता किसानों को होती है कपड़ों की, दवाओं की, खाद, बीज, मिट्टी का तेल व चीनी आदि के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सारा बोझ किसान पर पड़ रहा है अप्रत्याशित महंगाई का, क्योंकि इस देश और प्रदेश की 80 फीसदी जनता गांवों की ही रहने वाली है ।

जहां एक ओर यह बात है वहीं दूसरी ओर मैं सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि हमारे यहां सहियांव में जो गन्ना मिल है उस पर 62 लाख रु0 किसानों का बाकी था जनता पार्टी के जमाने से, लेकिन इस शासन के आने के तुरन्त बाद 62 लाख रु0 बंटवा दिया गया है और दूसरी बात मैं वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि चाहे हमारे इधर के साथी हों या उधर के बैठने वाले हों, यह सबकी जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी हमें और आपको जनता ने सौंपी है, इसलिए हमारा और आपका दोनों का दायित्व बनता है कि जनता को रोजमर्रा की काम आने वाली चीजों का जैसे मिट्टी का तेल, चीनी और सीमेन्ट आदि उन्हें सही ढंग से प्राप्त हो सकें । इसके लिए हमें और आपको दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि यह प्रणाली चाहे कोआपरेटिव को सौंपी जाए या प्राइवेट वालों को, लेकिन दोनों को बीच में रखना, घपलेबाजी को बढ़ावा देना है,

[श्री रामकुंवर सिंह--]

इसलिए किसी एक प्रणाली को अपनाया जाए बेहतर तो यही होगा कि कोआपरेटिव द्वारा इन चीजों को बंटवाया जाय ताकि लोगों को हर सामान आसानी से मिल भी सके और कोई घपलेबाजी कहीं पर न हो ।

साथ ही शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति आज ठीक नहीं चल रही है । आज जो सैकड़ों स्कूल गली-गली में शिक्षा सदन, बाल सदन और शिक्षा निकेतन के नाम से खुल रहे हैं, जो अभिभावकों से 30-30 रु0 और 40-40 रु0 प्रतिमाह फीस ले रहे हैं, जो बहुत ही गलत है । अब यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन स्कूलों पर अंकुश लगाए और इस खुले आम से हो रही लूट से जनता की रक्षा करे । दूसरे इंटर कालेजेज और हाई स्कूल्स में जो प्रबंध समितियां बनाई गई हैं, इस ओर मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जब इन समितियों में कोई कार्य सिवाय इसके कि केवल पे-बिल पर साईन करने व लोगों की गाली सुनने के, इसलिए इन समितियों को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इनका अब कोई यूज नहीं रहा । दूसरे यह कि इन स्कूल के इम्प्लाइज को 360 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि यह छुट्टी इनको कब से कब तक मिल सकती है और एक साथ कितनी, कितनी साल भर में यह छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं या पांच साल सर्विस कर लेने के बाद । प्रायः यह देखा जाता है कि जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया, उसके बाद से ही 360 दिन लगातार छुट्टी ले लेंगे या पूरे साल में लेंगे या पूरी सर्विस में लेंगे, कहीं इसका स्पष्ट संकेत नहीं मिला है इसको स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए ।

(इस समय 4 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हमारे कई विधायक साथी हैं, जो विधान सभा के सदस्य हैं और स्कूलों के मास्टर भी हैं । उनके लिये मैं कहना चाहता हूं कि वह तो चले आये विधान सभा में लेकिन उनकी जगहें खाली पड़ी हुई हैं । खाली जगह पर सरकार की तरफ से यह नहीं हुआ है कि दूसरे अध्यापक तब तक के लिये नियुक्त किये जायं । जहां तक दोनों जगह की तनख्वाह की बात कही जाती है, मैं नहीं कह सकता कि वह क्या-क्या लें । मैं उस तरफ जाना चाहता हूं जहां स्कूलों के विद्यार्थी और उनकी छात्र संख्या को देखते हुये अध्यापक देते हैं वो अध्यापक जो एसेम्बली में सदस्य के रूप में चले आए, उनकी जगह पर नियुक्ति नहीं की जाती है । मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इसकी व्यवस्था करे जब तक कि वह एसेम्बली के सदस्य में रहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री सन्त बक्श रावत -

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह प्रदेश की जनता के लिए मात्र एक लुभावना स्वप्न है । यह बजट किसान और हरिजन विरोधी है । 5 महीने पूर्व तक छोटा किसान प्रदेश के लगान से मुक्त पा गया था, लेकिन प्रदेश की सरकार ने लगान वसूल कर लिया और डेढ़ एकड़ ही लगान माफ किया है, 25 प्रतिशत विकास के नाम पर वसूल किया है । किसानों को खाद जो जनता शासन में 55-60 रु0 की मिलती थी, उसका दाम अब 123 रु0 हो गया है ।

कम्पोनेन्ट स्कीम के नाम पर यह शासन हरिजन को राहत देने की बात कर रहा है। योजन तो अच्छी है लेकिन इसका क्रियान्वयन सुचारुरूप से नहीं हो रहा है। 33 प्रतिशत को जो अनुदान राशि हरिजनों को मिल रही है, वह बी० डी० ओ० आदि खा जाते हैं और कर्जे की मूलधन को राशि में से भी हिस्सा बांट कर लेते हैं, केवल 50 प्रतिशत ही उसके हाथ लगता है। ऐसी स्थिति में यह हरिजनों का विरोधी बजट है।

आजादी के 33 वर्षों के बाद भी मेरा निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। कई वर्षों से मैंने यह मांग की है कि इसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाय लेकिन अभी तक नहीं किया गया। यहां पर 50 प्रतिशत हरिजन आबादी है। लाखों नौजवान बेकरी के शिकार हैं। उनके सामने रोजी रोटी कमाने का कोई साधन नहीं है। अतः भारी उद्योग लगाए जायं जल भराव की भी समस्या है। ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण जल भराव अत्यधिक रहता है और काफी जमीन बरबाद हो जाती है और किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ती है। शारदा सहायक परियोजना के निर्माण के बाद पूर्वी शारदा कैनाल से हमारे किसान सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। शारदा सहायक परियोजना के 14-15 कि० मी० पश्चिम की ओर जो नहरें हैं उनको ठीक करके पानी दिया जाय।

ड्रेनों की सफाई नहीं होती, कितने ही अधिकारीगण पैसा निगलते रहते हैं। इस सम्बन्ध में इसी सत्र में 27 जनवरी को एक अतारांकित प्रश्न भी मैंने पूछा था कि क्या कोई पत्र दिनांक 11-9-81 को किला मोहम्मदी ड्रेन लखनऊ की सफाई में अनियमितताओं के सन्दर्भ में प्राप्त हुआ है? जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा 17-9-81 को मुख्य अभियन्ता दक्षिण कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ० प्र० को स्वयं जांच करने का आदेश दिया गया है? कितने आश्चर्य की बात है कि चार महीने बीतने के बाद अभी तक जांच आख्या शासन को नहीं प्राप्त हुई है। तो मान्यवर, सिंचाई विभाग इस प्रकार से शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहा है।

शान्ति व्यवस्था की बात की जाती है। मान्यवर, आप लखनऊ की ही शान्ति और व्यवस्था की ओर देखिये कि आज ही अखबारों में छपा है कि लखनऊ में तीन हत्यायें हुई। हमारे गोसाईगंज थाने में बहुत हत्यायें होती हैं, पुलिस लोगों से मिली हुई है, कुछ कार्यवाही नहीं करती है और लोगों से पैसा अलग ऐंठती रहती है ओर कोई कार्यवाही नहीं करती है।

स्कूलों की ही बात को ले लीजिये। बच्चों के स्कूल के लिये भवन नहीं हैं। बच्चे मैदान में पढ़ते हैं, उनके बैठने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के अनेक छात्र ऐसे हैं जो कि इण्टरमीडिएट पास करके घर पर बैठे हुए हैं। कारण, कि उनके मां, बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वे उनको लखनऊ में भेज कर आगे पढ़ा सकें और उनके रहने और खाने का खर्चा उठा सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि रानपाल त्रिवेदी विद्यालय, गोसाईगंज को और काशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहनलालगंज को डिग्री कालेज बनाने की व्यवस्था की जाय।

इस बजट में सड़कों के निर्माण का जिक्र किया गया है। सड़कों के निर्माण के नाम पर कोई सड़क नहीं बनायी जाती है, सामान इकट्ठा कर लिया जाता है और सारा काम ठप्प पड़ा रहता है। शासन की ओर से इसके लिये कोई धनराशि

[श्री सन्त बक्स रावत--]

आबंटित नहीं की गयी है । पिछली बार सरकार ने प्रत्येक विकास खण्ड में सड़क के लिये धनराशि देने का वायदा किया था । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के थोथे वायदे और इस प्रकार की थोथी योजनाओं के बनाने से कोई लाभ नहीं है । इस बजट को देख कर लगता है कि जैसे गोसाईगंज और मोहनलालगंज की सड़कों का निर्माण किया जायेगा । परन्तु ऐसा कुछ है नहीं । मान्यवर, 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिये कुछ धनराशि स्वीकृत की थी, लाइन खिच गयी है, पेन्ट हो गया है । चूंकि यह जनता के शासन काल में यह सड़क बन नहीं पायी तो अब उसका श्रेय ये स्वयं लेना चाह रहे हैं ।

आरक्षण के नाम पर आपने किसी विभाग में हरिजनों के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया है । भूमि विकास बैंक में लगभग 200 शाखा प्रबन्धक स्तर के अधिकारी हैं । लेकिन वहां पर केवल तीन शाखा प्रबन्धक हरिजन रखे गये हैं । तो मुख्य मंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की थोथी घोषणा से कैसे विश्वास करें कि प्रदेश में उनके द्वारा आरक्षण का कोटा पूरा किया जायेगा । मान्यवर, इस प्रकार से इतनी बातें कह कर मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

*सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमन्, मैं तो बोलना नहीं चाहता था परन्तु इसलिये आज मुझे बोलने की जरूरत पड़ी कि आज अखबार में मोटे-मोटे अक्षरों में छपा है कि कांग्रेस के लोग डकैतों को प्रश्रय देते हैं ।

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य एक साथ कहने लगे कि यह सही है)

श्री काशी नाथ मिश्र--

इसकी सफाई के लिये मैंने समझा कि हमारा नैतिक कर्त्तव्य है और यह हमारी कानूनी जिम्मेदारी है कि वस्तुस्थिति को सदन के सामने रखूं । श्री मोहन सिंह ने यह चार्ज लगा कर, मोहन सिंह लोक दल के हैं, मैं तो सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था और कानूनी हालत जैसी हो गयी है तो इसके लिये....

[× × ×]

लोक दल के कुछ सदस्य, दस्युओं के उन्मूलन में भ्रष्टाचार का प्रयोग कर रहे हैं

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई भी माननीय मंत्री या माननीय विधायक, सदस्य के रूप में जब वह चर्चा में भाग ले किसी राजनीतिक दल को ऐसा कह सकता है कि डकैती डलवा रहे हैं, भ्रष्टाचार करा रहे हैं....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निका दिया गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा एक-एक वाक्य और सेन्टेंस सुन लें तब अध्यक्ष जी से बात करें। मैंने कहा लोक दल, पूरे हिन्दुस्तान में, कन्या कुमारी से काश्मीर तक और कच्छ से कामाख्य तक भ्रष्टाचार को....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह तो स्वयं इनके लोग करते हैं। मेरे पास सूचना है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और आप भाषण देने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

[×××]

श्री अध्यक्ष--

मुईद साहब, आप शान्त रहें। कृपया आप सब लोग शान्त हो जायें। इस माननीय सदन में उन्मुक्त अभिव्यक्ति की छूट दी गई है। उसका एक विशेष कारण है और वह एक मात्र कारण यह है कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर इस सदन में आते हैं वह निर्भीक होकर जनता के हित में अपनी बात कह सकें। केवल जनता के हित को देखकर ही इस सदन में उन्मुक्त अभिव्यक्ति की छूट है।

वह प्रतिबंधित हैं यहां के नियमों से और वह नियम यह कहते हैं कि यहां जो कुछ भी कहा जाय वह जनहित के लिए अगर उन्मुक्त अभिव्यक्ति की आवश्यकता है तो वह हो। यहां जितने दल हैं इस सदन में उनको मान्यता देने वाली संस्था से प्राप्त होती है। वह सभी दल यहां के, इस देश के, इस प्रदेश के मान्य दल हैं और सबकी अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा है। किसी पूरे के पूरे दल को इस तरह से कुछ कहना ठीक नहीं है और मैं प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्य से कि जो व्यक्तिगत रूप में किसी के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं, वह कह सकते हैं लेकिन पूरे दल को कुछ कहना उचित नहीं है।

श्री हुकम सिंह--

इन्होंने तीन-तीन बार लोकदल का नाम लिया है और नाम लेकर आरोप लगाया है इसलिए मेरा आग्रह है कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकम सिंह, जहां पूरे दल के सम्बन्ध में बात कही गई है, वह मैं कार्यवाही देख लूंगा और उसे कार्यवाही से अलग कर दूंगा। माननीय काशीनाथ जी, इसका ध्यान रखकर कि मैंने यह निर्णय दिया है कि आप किसी दल का नाम न लेकर यदि किसी के ऊपर कुछ व्यक्तिगत रूप से कहना है तो कहें।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा । 1947 से 1977 तक बराबर विरोध पक्ष के लोग भ्रष्टाचार का हमला कांग्रेस शासन पर करते रहे और 75 से लेकर 76-77 के बीच जब इन्दिरा गांधी ने इमरजेन्सी लागू किया तो सभी तस्करों, व्यापारियों, मुनाफाखोरों, डाकू, चोर और जितने क्रिमिनल थे सब बन्द किये गये ।

(श्री कुबेर भंडारी तथा अन्य सदस्यों के साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए । आप बैठ जाइये ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

जनता शासन के गद्दीनशीन होते ही हाजी मस्तान ऐसे सभी तस्कर व्यापारी छोड़ दिए गए और जगह-जगह पर इन लोगों का स्वागत हुआ ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मैं यह सूचना दे देना चाहता हूं कि जिस रात को इन्दिरा गांधी हारी थीं उसी रात को 4 बजे कैबिनेट ने इमरजेन्सी खत्म करके यह निर्णय लिया कि सब लोग छोड़े गये ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

अब यह तो रिकार्ड की बात है । हमारे गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं इनके पास रिकार्ड्स हैं, 1977 से लेकर 1980 तक जब तक यह लोग शासन में थे, सतर्कता आयोग की सारी फाइलें बन्द कर दी गईं। किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । जितने भी तस्कर थे, मुनाफाखोर थे वे सब 'दे वेयर आल एट लिबर्टी' यह जार्ज फर्नांडीज इनके नेता हैं । इसी हफ्ते की धर्मयुग पत्रिका में छपा है पढ़ लीजिएगा । उन्होंने पत्रकारों से साक्षात्कार में कहा है कि हमको क्या नैतिक अधिकार है कि आज हम कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये । जब हम सत्ता में थे और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे और इसीलिए मैंने कन्याकुमारी से काश्मीर तक और कच्छ से कमाख्या तक कहा । तस्कर व्यापारियों को दंड देने का कार्य उस जमाने में जब कि चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, नहीं किया, तो फिर हमको क्या नैतिक हक है कि हम कांग्रेस के लोगों को कहें कि ये भ्रष्टाचारी हैं ? क्योंकि जब हमारे हाथ में शासन सूत्र आया और भ्रष्टाचारियों को दंड देने की बात हुई तो दंड नहीं दे पाये । यह हमने नहीं बल्कि लोक दल के नेता जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है ।

अब मैं अराजकता की बात क्यों कहता हूं ? मैं नम्रता के साथ निवेदन कर दूं कि अभी तीन दिन पहले मैं देवली, मैनपुरी और साढूपुर आदि इलाके में घूमा । वहां का जन साधारण कह रहा था कि एक तरफ तो सरकार डाकुओं पर नियन्त्रण करना चाहती है, डाकू समस्या का समाधान करना चाहती है और दूसरी ओर लोक दल के नेता मुलायम सिंह साफ-साफ कहते हैं कि छबिराम डाकू नहीं है, वह तो समाजवादी नेता है ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मुलायम सिंह सदन के सदस्य नहीं हैं और जो सदस्य इस सदन में उपस्थित न हो उस पर आरोप लगाने की परम्परा नहीं है। जो आरोप माननीय मंत्री जी लगा रहे हैं उसका कोई प्रमाण तो उनके पास है नहीं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या इस तरह की बात यहां कही जा सकती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य शान्त रहें। बहुत बार यह समस्या सदन में आयी व्यवस्था के प्रश्न के रूप में, कि जो व्यक्ति यहां उत्तर देने के लिए सक्षम न हो उसके विषय में कोई आरोप न लगाया जाय। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री मुलायम सिंह यहां नहीं हैं तो उनके सम्बन्ध में आरोप लगाने की कोई बात नहीं होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्री मुलायम सिंह तो मेरे सोशलिस्ट साथी रहे हैं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वे मेरे लायक दोस्त हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया, वह तो मैनपुरी का जन साधारण जो बयान कर रहा था उसका मैंने जिक्र किया मैनपुरी एटा, फर्रुखाबाद और इटावा जहां भी मैं गया वहां के लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह तो अपनी सभाओं में कहते हैं कि छबिराम डाकू नहीं है और वह उसको साथ लेकर घूमते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं। जब तक माननीय मंत्री जी बैठते नहीं, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। आप बैठ जायं। भाषण के बीच में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आज सारे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उस पर हमें और विरोधी पक्ष दोनों को बड़े धैर्य के साथ और बड़ी गम्भीरता के साथ चिन्तन करना चाहिये। एक तरफ हम तो कहें कि छबिराम और पोथी डाकू हैं, पुलिस कहे कि वे डाकू हैं और हजारों लाखों लोग भी कहें कि वे डाकू हैं और लोक दल का एक नेता कहे कि वह समाजवादी है, नेता जो कहलाता है तो कैसे इस स्थिति पर काबू पाया जायेगा।

(तालियां)

तालियां बजाने की बात यह नहीं है। इस पर बड़ी सादगी से धीरज के साथ हमें विचार करना है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाय। अंगुलिमाल डाकू हुआ है, मान सिंह भी डाकू हुआ है। क्या किसी ऐसे डाकू का आप नाम बतायेंगे, मशहूर डाकू का, इतिहास में, जिसने नादान बच्चों पर, निहत्थे लोगों पर हाथ उठाया हो। डाकुओं की भी आचार संहिता होती है। मालदार के यहां माल लूटता है, गरीब की जान नहीं लेता है। डाकू का भी कोड आफ कन्डक्ट है।

(व्यवधान)

[श्री काशी नाथ मिश्र—]

घबड़ा क्यों रहे हैं ? सुनिये । बच्चों को गोली का शिकार बनाया जा रहा है । हरिजनों को मार रहे हैं । जिसके घर में किवाड़ नहीं है, भोजन नहीं है, मां रोटी बना रही है, भोजन बना रही है, बच्चों को गोली का शिकार बनाया जा रहा है । क्या कारण है ? क्यों सारी डकैतियां हरिजनों के यहां पड़ती हैं ? यह निश्चित रूप से, श्रीमन्, राजनीतिक लोगों का षड़यन्त्र है शासन को बदनाम करने के लिए । जब यह शासन में थे तो बेलछी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब नहीं बैठते हैं तो मैं आपको कैसे बुलाऊं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हरिजनों को क्यों मारते हैं ? श्रीमन्, जब ये शासन में थे तो बेलछी और विश्रामपुर में सामन्तों से सांठ-गांठ करके हरिजनों को जिन्दा जला दिया । आज विपक्ष में हैं तो साढूपुर और देवली में इनकी यात्रा हो रही है । बेलछी, विश्रामपुर से इनकी यात्रा साढूपुर और देवली तक हो गई है । विपक्ष में रहते हैं तो हरिजनों के यहां डकैती, शासन में रहते हैं तो सामन्तों से मिल कर हरिजनों को जिन्दा जलाना । क्या कारण है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं । क्या इस तरह से शासन को बदनाम करने और इस तरह से शासन को हथियाना चाहते हैं ? एक तरह से आप देखेंगे जितने भी काण्ड हो रहे हैं इनके पीछे राजनीतिक षड़यन्त्र है । यह ला एण्ड आर्डर का मामला नहीं है । आज हरिजनों के वोट पर विपक्ष घिनौना काम कर रहा है । वे देखते हैं कि हरिजन कांग्रेस के पीछे जा रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है । हरिजन कैसे कांग्रेस से अलग हों इसके लिए यह राजनीतिक षड़यन्त्र विपक्ष ने चलाया है ।

अब मैं साम्प्रदायिकता पर आता हूं साम्प्रदायिकता के कैसे उत्प्रेरक हैं । जहां पर जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, यादव बाहुल्य क्षेत्र हैं वहीं लोकदल है और कहीं नहीं है । यादव बाहुल्य, जाट बाहुल्य इलाके में हरिजनों को वोट देने से वंचित किया जाता है । इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम....

(व्यवधान)

भ्रष्टाचार और अराजकता और साम्प्रदायिकता के उत्प्रेरक लोकदल और उसके नेता हैं । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । मैं यही कहना चाहता हूं, श्रीमन्,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

काफी समय हो गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं बैठ रहा हूं । मैं आप से यही कहना चाहता हूं

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मैं आपको चैलेन्ज दे रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्रा--

इन चीजों पर..

(व्यवधान)

धन्यवाद ।

(श्री केदार नाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कुबेर भंडारी--

मेरे दल..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय भंडारी जी, आप बैठिये ।

श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उसके लिए आप का आभारी हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने केदार नाथ जी को बुलाया है । आप लोग कृपया बैठ जायं ।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठें । आप तो बुजुर्ग हैं । आप भी नहीं मान रहे हैं । कृपया बैठें ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक कांग्रेस (जे) के विधायक को बजट पर जो चर्चा चल रही है उस पर बोलने का मौका दिया है । इस पर हर तरह से विचार किया गया लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि कर लगाने वाले बजट भी उतने खतरनाक नहीं हैं जितने कि बिना टैक्स लगाकर यह बजट पेश किया गया है । यह प्रदेश की जनता के लिए और भी दुखदायी है ।

(व्यवधान)

[श्री हरदेव के खड़े होकर कुछ कहने पर]

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय हरदेव जी, आप कृपया बैठ जायं। आप बीच में खड़े हो जाते हैं और बहुत कहने के बाद बैठते हैं और फिर मुस्कराते हैं। जैसे कि आप सदन में आकर कोई हल्का-फुल्का काम कर रहे हैं। यह सदन के गौरव के प्रतिकूल है। आप बैठ जायं।

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, नये कर न लगाकर प्रदेश की सरकार ने जनता के साथ एक बहुत ही मीठा जहर देने का कार्य किया है। नये कर तो नहीं लगाये गये लेकिन अपरोक्ष रूप से प्रदेश की गरीब जनता के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा अन्त्योदय योजना, इन दो योजनाओं की तरफ मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर जितने भी निर्बल वर्ग, सीमान्त एवं लघु कृषक थे उनके लिए अनुदान का प्राविधान था। उनकी तरक्की के लिए खेती के विकास के लिए सरकार की तरफ से अनुदान देने का प्राविधान था लेकिन अब एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत कुछ लोगों को ही चयनित किया गया है कि एक ग्राम विकास अधिकारी के क्षेत्र में 35 लोगों को ही चयनित किया गया।

यदि किसी गांव में 100 परिवार हैं और कोई बीमारी वहां आ जाय तो उसकी रोकथाम के लिए आप यह निर्धारित कर दें कि केवल 35 लोगों को ही रोगग्रस्त होने पर उनकी ही दवा आदि की जायेगी बाकी लोगों को छोड़ दिया जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि गांव में 100 परिवारों में केवल 35 लोग ही रोगी होंगे। रोग तो किसी को भी लग सकता है मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जो अनुदान बांटा जा रहा है और उनमें केवल 35 परिवारों को चुना गया है जब कि प्रतिशत नहीं है कि उन्हें सरकारी अनुदान में दिलचस्पी हो जो चाहेंगे वे ही लाभान्वित होंगे और बाकी उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे जब कि पहले एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत कोई भी लघु या सीमान्त कृषक अनुदान का भागीदार होता था और प्रत्येक गांव के पांच परिवारों को आधा ऋण देकर और आधा अनुदान देकर सहायता प्रदान की जाती थी। और उससे आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, गरीबी दूर करने की चेष्टा करता था वह भी आपने छीन लिया है मेरा कहना यह है कि जो अनुदान पिछली सरकार द्वारा दिये जा रहे थे वे सब आपने एक ऐसे माया जाल में फंसा कर टेकनिकल आधार पर बंद कर दिया है जो भी अनुदान 1979-80 में दिये गये उसके मुकाबले में गरीबी दूर करने के लिए इस साल नहीं दिये जाने वाले हैं, वह पैसा उसके मुंह से नीचे नहीं जाने वाला है। आपने कर नहीं लगाये हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि कर लगाने से ज्यादा खतरनाक बात यह हुई है कि जो गरीबों और हरिजनों को सहायता प्रदान की जाती थी विभिन्न कामों के लिए वह आज लंज-पुंज कर दी गयी है सीमित कर दी गयी है।

मेरा स्पष्ट मत है कि कोई भी शासन का मंत्री या उसका प्रतिनिधि दावे के साथ नहीं कह सकता है कि 1979-80 में बढ़ने वाले अनुदानों के मुकाबले गरीबों के पास इस वर्ष अधिक धनराशि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। जो पहले गरीबी दूर करने के सारे प्रयास चले थे उनमें आज बाधा उत्पन्न की जा रही है और उसकी आधी भी धनराशि गरीबों के पास नहीं पहुंचाई जायेगी। यह अप्रत्यक्ष

रूप से गरीबों के साथ अन्याय ही है । यदि टैक्स लगाते तो उसका भार गरीब और अमीर सब पर पड़ता है । टैक्स लगाने के और भी तरीके हो सकते थे कि जो गरीबों पर न लग कर अमीरों पर ही लगता और उस धनराशि को गरीबों पर खर्च किया जा सकता था । एक तरफ जो गरीबों को मिलने वाली सहायता थी वह खतम कर दी गयी और दूसरी तरफ सबल वर्ग के लोगों पर जो टैक्स लगता वह भी नहीं लगा । इसलिए मेरा कहना है कि टैक्स न लगाने का ढोंग रच कर गरीबों के साथ भारी विश्वासघात इस शासन ने किया है ।

मान्यवर, इस बजट में शासन ने गरीबों का शोषण किया है, हरिजनों का शोषण किया है, उसका एक नमूना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कई समादेश प्रदेश के अन्दर चल रहा है उसमें एक समादेश गंडक परियोजना गोरखपुर भी है । आपको आश्चर्य होगा गंडक समादेश में दो उच्च अधिकारी श्री चन्द्रभूषण त्रिवेदी और नागेश्वर नाथ उपाध्याय हैं । ये दोनों वेतन परियोजना से लेते हैं और भत्ता प्राधिकारी से लेते हैं इसका राज क्या है कि वे दो सौ रुपया रोज यात्रा भत्ता लेते हैं अगर परियोजना से टी० ए० लेते हैं तो उतनी धनराशि नहीं पाते । इतना ही नहीं एक एडाप्टिव टाइप स्कीम यहां से स्वीकृत होकर निकाली है जिसमें 12 लाख रुपया यहां से भेजा गया वहां पर नालियों में टाइल्स लगाने के लिए ताकि इरीगेशन की स्कीमों को ठीक से रखी जा सके । वह पैसा जो विकास व ट्रायल के लिए भेजा था जो जनता के लिए खर्च होना था वह प्रशासक ने गोदरेज की आलमारी कूलर, फर्नीचर और 4 ट्रैक्टर आदि खरीदने में खर्च कर दिया । जब वह ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसको वहां के प्राधिकरण को दिया गया उसने उसे वापस कर दिया कि यह हमारे उपयोग की वस्तु नहीं है तो फिर वे एग्रो में पड़े हैं । इस तरह से बड़ी मारी लूट की जा रही है तो जनता का कल्याण कैसे हो सकता है ? 12 लाख रु० कूलर और अन्य अय्याशी के सामान पर खर्च हो रहा है ।

(व्यवधान)

आपके अधिकारी भी चूहे की तरह कुतर रहे हैं और सरकार भी कुतर कर गरीबों का खाना हराम कर रही है । साढूपुर कांड के विषय को लेकर सत्तापक्ष के भाइयों ने अपने गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री की बड़ी तारीफ की और कर रहे हैं, लेकिन उस इमरजंसी के जमाने में जब एक से एक बड़े नेता बन्द किये गये थे, वहां पर किसी को सर्किट हाउस में बिठाल कर एक ग्लास पानी तक पिलाने का काम नहीं किया गया, लेकिन सन्तोषा जैसे कुख्यात अपराधी को सर्किट हाउस मे बिठाकर मुर्गा खिलाने वाली सरकार को कैसे आप अच्छी कह सकते हैं । अपराधियों के साथ विरोध पक्ष को जोड़ने का और उससे राजनीतिक लाभ उठाने का उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या बेलछी में हाथी के हौदे पर सवार होकर जब इन्दिरा गांधी जी गई थी, तो क्या उसमें राजनीतिक उद्देश्य नहीं था और क्या नारायणपुर कांड से कांग्रेस सरकार ने भारी राजनीतिक लाभ नहीं उठाया ? राजा साहब की बड़ी प्रशंसा की जा रही है कि वे बड़े बहादुर हैं हाथी की पूछ उखाड़ सकते हैं, शेर का दांत तोड़ सकते हैं । लेकिन आज वह अपराधियों की गोद में जा बैठे हैं ।

(गृह राज्य मन्त्री को बुलाये जाने पर)

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, एक मिनट हमें दे दें ....

श्री अध्यक्ष—

आपको किस प्रक्रिया में समय दे दूं । मैंने बोलने के लिए बुला लिया है । आप सूक्ष्म में लिखकर दे दीजिएगा कि क्या कहना चाहते हैं, अब बैठिये ।

श्री दलगंजन सिंह—

यह मंत्री जी क्या कहेंगे यह तो....

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी (गृह राज्य मन्त्री)—

आप को डर लगता है कि मैं आपके बारे में कुछ कह दूंगा लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज नहीं, आपके बारे में 4–5 दिन बाद कहूंगा। प्रस्तुत बजट पर हमारे विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के सम्मानित भाइयों ने बड़े भावपूर्ण विचार प्रकट किये हैं । इस संबंध में मैं कुछ बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूं । मैंने विरोधी दल की उन बातों को भी सुना जो वह विरोध में होने के कारण केवल कहा करते हैं । यदि वह ऐसी चीजें कहेंगे, लायेंगे तो वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पायेंगे । चाहे किस राजनैतिक दल का सदस्य हो, यदि उसने अपराधियों की मदद में, डकैतों के संरक्षण में काम किया है तो उसको पकड़ना शासन का कर्त्तव्य है । मैं सदन को अवगत कराने के लिए यहां खड़ा हूं और आपको बताना चाहता हूं, विरोधी दल के किसी दल से सम्बन्धित लोग हों, चाहे उनके बारे में कहा गया है, लेकिन जब वह इटावा में पकड़े गये तो कहा गया कि गलत पकड़े गये । लेकिन जब सारे तथ्य, सारे प्रमाण सामने आ गये और उनको कैद कर लिया गया तथा पत्रकारों ने टेप करके उनकी वाणी को कैद कर लिया है, तो अब उनके पास क्या जवाब है ? हमने तो गिरफ्तार करके कैद खाने में कैद किया था और पत्रकारों ने उनकी वाणी को अपने पास कैद कर लिया है । आप चाहें तो अपने कक्ष में उन्हें बुलाकर उनका टेप सुन लें, तो चाहे लोकदल से या किसी दल से यदि कोई टिकट पाने में सफल हो गया हो, ऐसे लोगों से आप सहानुभूति न रखें । श्रीमन्, यहां यह कहा गया था कि पुलिस के लिए ज्यादा बजट दे दिया गया है । अगर पुलिस को ज्यादा पैसा दिया गया तो इससे और शांति व्यवस्था जिस प्रकार की प्रदेश में है, उससे विरोधी पक्ष को संतोष नहीं है । मैं इनके संतोष के मापदन्ड के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था का संतोषजनक होना केवल एक ही फ्रन्ट पर, एक ही स्तर पर उसका माप दन्ड नहीं होना चाहिए । इस प्रदेश में जो सांप्रदायिकता कुछ दिनों पहले भड़क उठी थी, 77, 78, 79 और 80 में भी हुयी और जिसको लपटें 1980 तक जलती चली आयी, उनको बुझाने में यह शासन समर्थ हो पाया ।

वर्तमान शासन ने 1981 में इसको पूर्ण रुप से शमन करने में, बुझाने में समर्थ हुआ, उसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उसने अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्त्तव्य का पालन कर दिया । बार-बार हमसे अलग मिलकर एक सम्मानित सदस्य ने जो पीछे बैठे हैं कुछ कहा । जब गृह विभाग के बजट पर चर्चा होगी, उस समय मैं उस पर विस्तार पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा । इस समय तो केवल 2 बिन्दुओं पर ही निवेदन करना चाहता हूं । उसमें दोनों प्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहे ह । उसको यहां पर प्रस्तुत करना भी अपना कर्त्तव्य समझूंगा ।

यहां पर हमारे कुछ वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं । माननीय हुकम सिंह जी हैं, उनके बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया संशोधन कर लें । वे हमेशा अपनी आत्मा की आवाज को दबा कर दूसरों का ही हुकुम मानते हैं । वे कृपया अपनी आवाज को न दबायें और जो भी चीजें हैं, उनको स्पष्ट बता दें । मैं उनका नाम नहीं लूंगा जो यहां पर नहीं हैं लेकिन वे यहां पर फरवरी, 1980 तक मंत्री के रूप में उपस्थित थे । वे एक दल के राज्य अध्यक्ष हैं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, श्री बलराम सिंह यादव जो हमारे मंत्री हैं, वे राजीव गांधी से मिले थे ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां हैं ?

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

राजीव गांधी जी ने निर्देश किया कि मुलायम सिंह यादव को एक सप्ताह के अन्दर बन्द कर दिया जाय....

(व्यवधान)

उन्होंने बलराम सिंह जी को अवगत कराया कि...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ह ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उनको बन्द नहीं किया जायेगा । यह राजीव गांधी का आदेश नहीं है ।

(श्री भगवानदीन कुशवाहा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा था वह यह है कि हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, आज मैं इस राजनैतिक अनैतिकता की ओर इशारा करना चाहता हूं । जो सत्ता में रह कर कुछ बोलें और विरोध पक्ष में रह कर कुछ बोलें । मैं उन लोगों की तरफ भी इशारा करना चाहता हूं

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

कि जो वरिष्ठ एक राजनैतिक दल के नेता हैं और बड़े पदों पर आसीन भी रह चुके हैं । 1978 में जो बयान किया गया है इस बयान हलफी में,

(व्यवधान)

में उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, मैं उसको पढ़ नहीं सकता क्योंकि आपने इजाजत नहीं दी है ।

(व्यवधान)

इसमें इस बात को लिखा गया है कि जनता लोकदल की सरकार के समय एक माननीय वरिष्ठ मंत्री के परिवार के कुछ लोग डकैतों से सम्बन्ध रखते हुए ऐसी बात किया करते हैं और

(व्यवधान)

उसके परिवार का रहना दूभर हो गया है, यह उसने बहलफ बयान दिया है । श्री भदौरिया जी ने एक चिट्ठी गवर्नर महोदय को लिखी ह जिसे में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं । उसकी प्रतिलिपि भी उन्होंने उ वक्त के नेता विरोधी दल श्री ब्रह्म दत्त जी को भेजी थी । उसकी मूल प्रति में आपके समक्ष भेज रहा हूं ।

(व्यवधान)

अकलमन्द के लिए इशारा काफी होता है ।।

राज्य गृह मंत्री द्वारा सदन में पढ़े गये हलफनामें के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, आपकी यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति यहां सदन में उपस्थित न हो उसके बारे में कोई बात इस सदन म नहीं कहना चाहिए । अभी माननीय राज्य मंत्री जी ने एक एफीडेविट की बात कही, वह तो कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है, आप तो स्वयं एडवोकेट रहे हैं, रोज हजारों एफीडेविट फाइल होते रहते हैं । उसका उदाहरण देकर कोई आरोप लगाना, और ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि अपना कन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकता, क्या आप इसकी इजाजत देगें ?

*श्री हुकम सिंह.—

मान्यवर, यह फौजदारी की अदालत तो है नहीं । विधान सभा के अन्दर कोई एफीडेविड पेश करना किस नियम के अन्तर्गत आता है । जिस एफीडेविट का आपने अभी हवाला दिया उसकी क्या रेलीवेन्सी है ? इस तरह से तो यह कोई भी कागज ले आयें और आपको भेज दें ।

श्री ऊदल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया मुझे भी सुन लें । 2 पत्रों का माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने हवाला दिया । आपने उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दी । तो क्या वे, बिना पढ़े हुये, सदन की प्रापर्टी बन सकते है ? इसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने सामान्य बजट की चर्चा में अपना भाषण दिया और उस भाषण के दौरान उन्होंने कुछ तथ्य कहे और उसी के साथ साथ उन्होंने एक पत्र और हलफनामे का उल्लेख किया । अपने भाषण के दौरान कोई भी उल्लेख किया जाय और उससे संबंधित कोई भी डाकूमेंट, कोई भी दस्तावेज, कोई भी पत्र का हवाला दिया जाय और ऐसे सदन में बार-बार भाषण होते रहे हैं, तो नियमों के अनुसार सदन में जो भी उल्लेख जो भी उद्धरण हो, वह यहां देते हैं और ऐसा स्वीकार भी हुआ है । इस समय उन्होंने जो पत्र का हवाला दिया है, उसमें से कुछ पढ़ा नहीं है, पत्र दाखिल किया है, उसका जिक्र किया है किसने जिसको पत्र लिखा है उसका हवाला दिया है, वह इस सदन की कार्यवाही का अंग है । जितना हवाला दिया है उसमें उसका नाम ही आता है । (तो किसी को भी कोई ऐसा पत्र, जो दूसरा दाखिल किया है) जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी वैधता या अवैधता के बारे में निर्णय यहां सदन में नहीं किया जा सकता है कि यह हलफनामा किसने दिया है । यह यहां दाखिल हो सकता है, क्योंकि इसका यहां पर हवाला दिया है दाखिल करने से हम उनको नहीं रोक सकते हैं । इसके संबंध में जितना उन्होंने हवाला दिया है, वह तो इस सदन की कार्यवाही का अंग है । इसके अलावा पूरा पत्र इस सदन की कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय, मुझको इसमें दुःख नहीं है कि वह पूरा का पूरा पत्र इस सदन की कार्यवाही का अंग नहीं बनता, बल्कि वह सदन की कार्यवाही का अंग बनेगा, तो जब कभी कोई उसको पढ़ेगा, तो शर्म से उसका सर झुक जायगा । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का बजट बढ़ा रहे हैं । इसके संबंध में एक विनम्र निवेदन है कि आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस की संख्या दूसरे प्रान्तों की पुलिस की संख्या के अनुपात में बहुत कम है । आपको यहां प्रति 10 हजार की संख्या पर पुलिस की संख्या 7 आती है । पंजाब में 20, गुजरात म 18, पश्चिम बंगाल में 12, मध्य प्रदेश में 12 आती है । तो ऐसी स्थिति को भी देखते, आपका इतना राजनैतिक विचारों से जागृत प्रदेश, उसमें जहां जान लिया जाना वर्जित है, राजनैतिक दल के अध्यक्ष के रूप में विराजमान थे जिनका चोली दामन का रिश्ता अपराधियों से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी हरिजन को बलि बनना हो, चाहे किसी निरीह की हत्या करना हो, अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए, तो इसमें आप कोई निश्चित तौर पर पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विरोधी पक्ष को उन लोगों की जानकारी ज्यादा है । इसलिए ऐसा ख्याल करके जो पुलिस का बजट रखा गया है, इसका समर्थन करना चाहिए ।

श्रीमन्, एक बात और है, कहावत का समय तो बिलकुल है नहीं, लेकिन एक बुढ़िया को कहानी याद आती है, जिसने अपना पनडब्बा दिखाने के लिए अपने घर में आग लगा दिया । लोग इकट्ठा हो गये, किसी ने उसका बक्सा निकाला, किसी ने रजाई निकाली, एक ने कहा पन्डब्बा निकालो । तब लोगों ने कहा कि क्या बूढ़ा पान भी खाती हो, तो बुढ़िया रोने लगी और उसने कहा कि यही पूछा होता तो अपना घर ही क्यों जलाती ? उसी तरह से इनकी हाल है । कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

इनको कह दिये था कि इन्होंने हरिजनों से रिश्ता जोड़ा है तथा हरिजनों से इनका रिश्ता जरूर है। 1981 में एक मैनपुरी जिले में घटना हुई थी, वहां के हरिजनों के बारे में आज इनको याद आ गयी। 11 हरिजनों की हत्या बैरानपुर में करवा दिया और उस वक्त जो गद्दी नसीन थे, आवाज तक नहीं उठाई और न कोई बात कही गई। मान्यवर, एक बार और इनके दिल में हरिजनों का दर्द आया इटावा में। इटावा बड़ी प्रसिद्ध जगह है नाम नहीं ले सकता हूं, कागज प्रस्तुत करता हूं शायद यह समझते हों कि उनसे सब डरते हैं लेकिन मान्यवर, आपने कहा कि राष्ट्रीय दल हों तो उनको इज्जत करनी चहिय। चूंकि राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष हैं नाम लेना वर्जित है। तो बड़े लेकिन नाम विलोम लिखा जाता है। इनके कार्य इतने घृणित और घृणास्पद हैं कि यादव पुर में 14 हरिजनों की हत्या करवा दिया।

सदन में लगाए जाने वाले आरोपों व प्रत्यारोपों के प्रकरण में अध्यक्ष द्वारा नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, माननीय गृह राज्य मंत्री अपनी बोलने की चतुराई से जो भाषा के ऊपर नियंत्रण है, विलोम शब्द का इस्तेमाल करके, एक बात को एक जगह निश्चित करने का प्रयास किया। मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है उसको नकारने का प्रयास किया है। मान्यवर, आपने व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति यहां न हों उस पर कोई आरोप न लगाया जाय। मंत्री जो जिम्मेदारी के पद पर बैठकर यह तरीका निकालकर कि उनका नाम उल्टा है। क्या कोई मंत्री अध्यक्ष पीठ से दी गई व्यवस्था को नकारने की बात कर सकता है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, यदि आप सन्तुष्ट हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी...

एक सदस्य—

चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री दलगंजन सिंह—

किसी दिन आप पर भी पड़ जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

इस व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने के पहले, ऐसा शायद पहले इस पीठ से हुआ या नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं आप माननीय सदस्यों से, आप मुझे इसमें कुछ पथ प्रदर्शन करें कि जिस तरह से मुक्त भाषण यहां होते हैं उसमें अध्यक्ष पीठ से जहां स्पष्ट आरोप लगाया जाता है या असंसदीय शब्दों का प्रयोग होता है, उसको रोकने में अध्यक्ष शायद समर्थ हो सकता है, लेकिन जहां प्रकारान्तर से और इस तरह से जितने भाषण होते हैं, उसमें ऐसी बातें कही जाती हैं। यदि उनके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठेगा तो उसके उत्तर देने में आपके चुने हुए अध्यक्ष कठिनाई में पड़ सकते हैं।

मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी जगह पर कोई आरोप लगाया जाता है, उससे मानहानि होती है । जब उस बात को कहने पर चाहे नाम लेकर कही जाय चाहे किसी विलोम या और प्रकारान्तर से कहा जाय, यदि साधारणतया सब के मन में यह बात बैठ जाय कि फलां के बारे में कही जा रही है तब तो मानहानि है । मैं नहीं समझता कि जो माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी ने अपने भाषण में तोड़-मरोड़ के बातें कही है उससे सब के मन में बैठेगा कि कौन है अगर सब नहीं जानते हैं तो मान हानि नहीं होती ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, त्रिपाठी जी ने जो बात कही है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिये । उन्होंने जो शब्द तू इस्तेमाल किये हैं वह भी सभ्य आदमी के लिये कोई नहीं कर सकता है । सारा सदन जानता है जिसके लिए वह कह रहे थे ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, हम आपकी व्यवस्था से संतुष्ट हैं लेकिन सदन की गरिमा को देखते हुये ऐसी बात नहीं कहना चाहिये ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, आपने एक बड़ा मौलिक और जनतांत्रिक मूल्यों वाला प्रश्न यहां उपस्थित किया है । सदन के बाद आपके कक्ष में सरकारी और विरोध पक्ष के माननीय नेतागण बैठ कर कोई रास्ता इस सम्बन्ध में निकालें । मैं समझता हूं कि हम बुरे जमाने में फंस गये हैं और उसका लक्षण और पहिचान है कि कई बार बुरे को बुरा कहना ज्यादा बुरा समझा जाता है बनिस्बत बुरा काम करने के । विधान सभा की प्रक्रिया और नियमावली के अन्तर्गत भी है कि क्या हम उसा नियम का रजील और शरीफ प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं ? विधान सभा में अनेकानक नाम आते हैं जिस पर सोचने की आवश्यकता है कि गरीब है तो उसका नाम आ सकता है और दल से सम्बन्धित है तो नहीं आये । जितने अधिकारी हैं उनके नाम आये हैं, निर्बल वर्ग के नाम आये हैं, अत्याचार जिन्होंने किये हैं उनका और जिन पर अत्याचार हुये हैं उनके नाम आते हैं, बिना नाम उपाधिक संज्ञा के विवेक और तर्क आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ पर साथ में डूब जाते हैं कैसे चल सकते हैं, यह भी विचारणीय है ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर विरोध पक्ष शासन पर निराधार आरोप न लगाये तो हमारी ओर से इसका उचित उत्तर हो सकता है । लेकिन जब वातावरण दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के होते हैं तो यह अप्रियता होती है । इसलिये निवेदन है कि मान्यवर, अपने कक्ष में विरोधी दल के नेता और मुख्य मंत्री को एवं जिसको आप उचित समझें उनको बुला लें क्योंकि यह बात आपके लिये प्रतिदिन सिरदर्द बनी रहेगी । इसलिये इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं व्यवस्था के साथ आपका निर्देश भी चाहूंगा, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा है कि आपके कक्ष में बैठ कर इसपर

[श्री रियासत हुसैन—]

विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं भी देख रहा हूं कि इस सत्र में पत्रों की बौछार दोनों तरफ से हो रही है पत्र कौन लिखता है, विधायक और मिनिस्टर लिखते हैं। कभी कोई मिनिस्टर इधर से उधर या उधर से इधर आ जाते हैं और पत्र लिखे होते हैं, तो इसमें रोक नहीं है लेकिन इसमें निर्देश दें सदन को और हम तो कि क्या माननीय विधायक मन्त्रियों को या इसी तरीके से अधिकारियों को पत्र लिखना बन्द कर दें और यदि लिखें तो किन-किन बातों पर। इधर या उधर से जो शासन को पत्र लिखे जायं उनकी यहां बौछार करने से क्या हम प्रजातन्त्र और इस सदन की सेवा कर सकेंगे ? इस पर आप निर्देश मान्यवर, दें, तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—

मेरे लिये और मैं समझता हूं कि जो इस सदन में सबसे अधिक यहां व्यवस्था के पीछे अव्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं उनके लिये यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात होगी। जिस तरह से माननीय प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने कहा है और जैसा माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा, मेरे लिये इससे अधिक प्रसन्नता की बात नहीं होगी कि माननीय नेतागण बैठ जायं और जितने भी विधान सभा में ऐसे प्रकार के प्रकरण होते हैं, बातें होती हैं उनके सम्बन्ध में कोई न कोई मान्यता ऐसी स्थापित कर लें। मैं भी जानता हूं (श्री रियासत हुसैन से) आप भी जानते हैं और (माननीय खाद्य मन्त्री से) आप भी जानते हैं, आप यहां बैठ चुके हैं और आप भी यहां बैठ चुके हैं। सदन में सरकार का कार्य व्यवस्थित रूप से चले यह शासन पक्ष चाहता है और विरोध पक्ष भी इसको चाहता है।

इसी के साथ शासन पक्ष का जहां उसका कार्य सुचारु रूप से सदन में चले उसको भी इस बात को महसूस करना चाहिये कि जो विरोध पक्ष बैठा है उसको भी अपने कथन की, पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर यहां मिलना चाहिये। अगर उसको अपनी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता तो उसके प्रति न्याय नहीं है। शासन का कार्य सुचारु रूप से चले और विरोध पक्ष को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति का अवसर मिले, यह दोनों कार्य माननीय सदन के गौरव और माननीय सदस्यों के गौरव के अनुरूप होने चाहिये। पहले जो बातें हुयी हैं उस ओर ध्यान न देकर एक नयी परंपरा बनायें इसमें मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। मैं सभी नेताओं से परामर्श करूंगा और आपको समय देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको इसके लिये आमन्त्रित करूंगा।

इसके पहले, आपको सूचना नहीं गयी है, 8 तारीख को मैंने नेताओं की बैठक बुलायी है उसमें कई प्रकरणों पर, सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में, बोलने के सम्बन्ध में और अन्य कार्यों के सम्बन्ध में मैंने बैठक बुलायी है। मैं उसमें यह विषय जोड़ लूंगा और मैं चाहूंगा कि उस पर अच्छी तरह से, बैठ करके, विवेचना करें, और बातें करें और एक रास्ता ऐसा निकले जिससे अपनी बात, अपना-अपना पक्ष आप अत्यन्त बलपूर्वक कहें। लेकिन वह बात एक ऐसे नियम और शिष्टता के अन्दर बंधी हो जिससे सदन का गौरव भी बढ़े और आप जो यहां करते हैं और जिसके लिये करते हैं उसका भी गौरव बढ़े। मैं इन शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इसकी बैठक 8 तारीख को बुलाऊंगा और यह भी विषय उसमें निर्धारित होगा।

1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, 5 मिनट का समय दे दीजिये । स्पष्ट कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसको समाप्त कर लीजिये, थोड़ा सा समय लेकर ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने कुछ लोगों को इस प्रकरण पर विचार करने के लिये प्रेरित किया । अभी हरिजनों के सम्बन्ध में शासन की दृढ़ता और शासन का जो संकल्प है, श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन चाहे केन्द्र में हो और चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासन उत्तर प्रदेश में हो, कांग्रेस की नीतियों का यह निश्चय है, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हमें कमजोर वर्ग खासकर हरिजन और अकलियत के लोगों की संरक्षा करनी है । इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अपराधों की जो संख्या है जन संख्या के हिसाब से वह प्रति लाख 171.44 आती है, लेकिन हरिजनों के ऊपर अत्याचार सम्बन्धी किये गये अपराधों की संख्या 20-66 आती है, इस बात को देखते हुये पुराने आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध हैं, जितने अपराध 77, 78 और 79 में हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा कम अपराध 1981 में हुए हैं केवल देवली और साढ़ूपुर की घटना को छोड़कर । इसमें भी हमारा पूरा शासनतन्त्र लग गया और जितना कुछ हो सकता था किया गया और अब भी जारी है ।

श्रीमन्, एक बात और इस सिलसिले में कहना चाहता हूं उन लोगों के प्रति जो शासन पर दियासलाई दिखाने का काम करते हैं, चोर से कहते हैं चोरी करो और शाह से कहते हैं कि होशियार रहो । इसी प्रकार की नीति हमारे कुछ साथी अपनाकर विद्यार्थियों से कुछ कहते हैं, मजदूरों से कुछ कहते हैं, श्रमिकों से हड़ताल को कहते हैं और कर्मचारियों से तनख्वाह बढ़ाने की बात को कहते हैं और इधर कहते हैं कि चीनी सस्ती करो और उधर कहते हैं की गन्ने का दाम बढ़ाओ । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी इस वर्ष में चाहे विद्यार्थियों का आन्दोलन हो, या मजदूरों का आन्दोलन हो या कोई और ऐसी स्थिति इस वर्ष 81 में नहीं उत्पन्न हो पायी है यह शासन की चुस्ती और कारगर तरीके से अपने कार्य को कर लेने का एक सबूत है ।

आपने श्रीमन्, स्वयं देखा होगा आज से 2-3 साल पहले कि जब आप स्वयं भी जेल की सींखचों के अन्दर थे, उस वक्त क्या स्थिति थी प्रदेश और आज क्या है साथ ही उस जमाने में आपने देखा होगा लखनऊ में ही आप तो लखनऊ में ही बराबर रहते हैं कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी अटैची को लेकर सुरक्षा से नहीं चल सकता था, आज वह सारी स्थिति नहीं रही । कहने को तो कुछ भी कहा जाए, इसी पर मान्यवर, एक बात मैं और कहकर संक्षेप में बात को खत्म कर दूंगा । एक डिबेट थी, जिसमें एक बहुत बड़ा कलाकार था उसने एक मूर्ति बनाई बहुत ही खूबसूरत, लेकिन साथ ही उसके मन में यह भाव आये कि अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी नुक्स निकाल देगा तो उसे इतना-इतना यानी 1,000 रु0 इनाम के रूप में दूंगा । मान्यवर, किसी भी कर्मी के मन में यह बात आना स्वाभाविक ही है और उसने अपने इस सपने को साकार करने के लिए उस मूर्ति को एक चौराहे पर रख दिया और वह तीन दिन वहां

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

पर रही, उधर से गुजरने वालों की उस पर निगाह पड़ी और देखा कि यह इनाम है तो किसी ने कहा कि इसकी नाक लम्बी है और किसी ने कहा कि इसकी नाक कुछ छोटी है, किसी ने कहा आंख ठीक नहीं है, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ । इस तरह करीब उस बेहतरीन मूर्ति पर 100 नुक्स निकल आए, तब वह कलाकार बहुत निराश हुआ और इसी निराशा की हालत में अपने घर गया और जब उसकी बीबी ने पूछा कि तुम्हारी निराशा का क्या कारण है, तब उसने सारी घटना दोहराई तो उसने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, यह तो दुनिया है, अब अगर तुम यह लिखकर वहीं पर टांग दो कि इसमें जो-जो नुक्स हैं, उनको हटाते हुए अगर कोई दूसरी मूर्ति बना दे तो उसको मैं अपनी पूरी जायदाद और जेवरात बेचकर इनाम में दे दूंगा, उसने ऐसा ही किया, लेकिन कोई भी उसका बदल नहीं बना सका ।

तो मान्यवर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो बजट इस वर्ष का माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में उनकी कुशल नीतियों के तहत जो समाजवादी और गरीब परवर बजट बना है, इसका कोई दूसरा विकल्प यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता है, अगर कोई प्रस्तुत कर दे और कोई साकार रूप इसका इसी प्रकार बनाकर दिखा दे तो और बात है और सिर्फ किसी बात का कहना और उस पर नुक्स का निकालना दूसरी बात है ।

मान्यवर, इसी के आखीर में एक निवेदन और करना चाहता हूं आपकी भावनाओं को देखते हुए कि समय आज काफी हो गया है । यहां पर इनकाउन्टर की बड़ी चर्चा हुयी । मान्यवर, इनकाउन्टर की चर्चा हुई । मैं बाहर बयान दे चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर बयान दे चुके हैं और गृह मंत्री बाहर बयान दे चुकी हैं । अगर कहीं ऐसा गलत इनकाउन्टर होता है तो हमने अभी अलीगढ़ में 302 का मुकदमा चलाकर हथकड़ी लगवा दी है । अगर एक-दो गलती हो भी जाती हैं तो पुलिस के लोगों के उत्सर्ग को आप क्यों भूल जाते हैं ? अभी एक जौनपुर का बहादुर निवासी पुलिस इंसपेक्टर डकैतों से मुकाबले में शहीद हो गया । क्या उसके खून को भी आप झुठलायेंगे कि गलत इनकाउन्टर हुआ ? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जितने भी इनकाउन्टर में लोग मारे गए हैं, वे हिस्ट्रीशीटर हैं । अगर अपराध करने वाला कोई आदमी किसी की जवान बहन को उठाकर ले गया हैं और जो बचाने गया है, उसके सामने उसने गोली चला दी है तो पुलिस को इजाजत नहीं है कि वह जवाब में गोली चलाए, उसको इजाजत हैं कि उसे पकड़ो और चाहे जैसे भी हो जिन्दा या मुर्दा उसे लाओ ।

मैं अपने माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य मोहन सिंह जी हैं, आज संयोग से नहीं हैं लेकिन उनका नाम लिया जा सकता है । कोई भी बात हो वे उसको बड़े अच्छे ढग से कहने लगते हैं । उनको लोग कहते हैं कि अगर कोई वकील करना हो तो उनके पास जाओ, किसी मर्डरर को छुड़ाना हो या और कोई काम हो । अगर किसी अपराधी को बढ़िया वकील करना होता है तो माननीय मोहन सिंह जी के कमरे में जाकर वकील कर लेता है । मैं प्रसन्न हूं कि माननीय हुकम सिंह जी आज वहां बैठ गए । एक बात उन्होंने किसी में देखी और झूठ का पुलिन्दा बनाकर भाषण कर दिया और यह कह दिया कि वहां पर मुख्यमंत्री चले गए दो-दो हेलीकाप्टर और जहाज लेकर । उन्होंने कह दिया, हम नहीं कह सकते लेकिन अब कहना पड़ रहा है कि "सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिहमां 72 छेद ।" उनकी लड़की की शादी हुई थी, वह कुछ भी नही हैं, नेता नही हैं सचेतक हैं और

सचेतक भी नहीं हैं केवल कुर्सी पर बैठते हैं। उनकी लड़की की शादी का जलवा बयान कर दिया जाय तो कहेंगे ऐसी बात हो गयी। जिस प्रकार का बयान वह कर देते हैं मैं उस निचाई तक नहीं जाना चाहता ...

(व्यवधान)

(विपक्ष की ओर से "बताइए" "बताइए" की आवाजें)।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

ऐसी स्थिति में मैं एक बात कहना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त हो जाइए, बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इनके कटे पर नमक लग गया है तो मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मान्यवर, कटा आपका अपने से है, मैंने काटा नहीं है, नमक भी मैंने नहीं लगाया है।

एक ओर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेन्ट और उनका चरित्र और दूसरी ओर आपकी कथनी और करनी में लम्बा सा गैप। मैं सिर्फ इतना ही कह दूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरे के घरों पर कंकड़ पत्थर नहीं फेंकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय गृह राज्य मंत्री जी का भाषण अब समाप्त हो गया है इसलिए अब मैं गृह मंत्री जी से आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत से इनकाउन्टर्स की बात कही है और क्योंकि सदन अभी बहुत दिनों तक चलेगा और सारी चीजों को यहां पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे तो क्या आप ऐसा करने की कृपा करेंगे कि 18 नवम्बर से लेकर 24 दिसम्बर तक जो 228 इनकाउन्टर्स हुए हैं, डकैत मारे गए हैं यह हमारी सूचना है हो सकता है कि हमारी सूचना गलत हो, परन्तु मेरी सूचना यही है कि उनमें से 19 आदमी हिस्ट्रीशीटर थे और बाकी 209 आदमियों की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? यह आप सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ताकि आगे की कार्यवाही में हमें आसानी हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

चूंकि ये हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उनको 18 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक के इनकाउन्टर्स वालों की आपराधिक हिस्ट्री आपके माध्यम से यहां प्रस्तुत कर दूंगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में पांच सूचनायें प्राप्त हुई थीं, उसमें से माननीय यदुनाथ सिंह की सूचना जो कि चुनार, मिर्जापुर में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर के विरोध में नागरिकों द्वारा धरना तथा प्रदर्शन किए जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुई है। शेष चार सूचनायें अस्वीकार हुई हैं।

उन्नाव रैलीज केमिकल, मगरवारा के हड़ताली कर्मचारियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अग्रेतर वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मेसर्स रैलीज इंडिया लि0, मगरवारा, उन्नाव में 22 फरवरी, 1979 तथा 12 सितम्बर, 1980 के समझौतों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने दिनांक 28-1-82 को सूचना चाही थी। 22 फरवरी, 1979 को इस प्रतिष्ठान के सेवायोजकों तथा उन्नाव केमिकल इम्प्लाइज यूनियन के मध्य वेतन वृद्धि, कैंटीन में दी जाने वाली सुविधाओं इत्यादि पर एक समझौता सम्पन्न हुआ था। उक्त समझौता पंजीकृत करा लिया गया था तथा 1 जनवरी, 1979 से 4 वर्ष के लिए बन्धनकारी था। इस समझौते की शर्त 13 में यह कहा गया है कि श्रमिक कोई अवैधानिक अथवा किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही नहीं करेंगे।

12 सितम्बर, 1980 को एक बैठक मेरे समक्ष हुई थी, जिसमें श्रमिक पक्ष ने मुख्यतः इस बात पर जोर दिया था कि प्रतिष्ठान के निकाले गए श्रमिक सर्वश्री के0 पी0 सिंह तथा अच्छे लाल कुशवाहा को काम पर वापस लिया जाय। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों का कथन था कि इन श्रमिकों की सेवा समाप्ति का मामला श्रम न्यायालय (5) कानपुर के विचाराधीन है। अतएव सेवायोजकों के लिए समझौता करना उचित नहीं है। विचार-विमर्श के पश्चात् यह समझौता हुआ था कि दोनों पक्ष न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि सुनवाई लगातार किया जाय जिससे शीघ्र निर्णय हो सके। श्रमिक पक्ष द्वारा औद्योगिक शांति बनाए रखने का पुनः आश्वासन दिया गया था।

इस प्रकार समझौता दिनांक 22 फरवरी, 1979 तथा 12 सितम्बर, 1980 एक दूसरे से भिन्न हैं।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जो वक्तव्य माननीय राज्य मंत्री जी ने पढ़ा है वह अधूरा ही नहीं बल्कि भ्रामक है। इसमें दो बातें माननीय राज्य मंत्री जी ने कही हैं 22 फरवरी, 1979 और 12 सितम्बर, 1980 के बारे में। एक समझौता हुआ जिसका हवाला दिया है 22 फरवरी, 1979 और साथ ही समझौते की धारा 13 का उल्लेख कर दिया, मैं आपके माध्यम से उनसे यह पूछना चाहता हूं कि श्रमिकों और सेवायोजकों ने इससे पूर्व 1980 में समझौता होने के बाद बराबर पत्र लिखकर आपको क्या सूचित नहीं किया कि 1980 का समझौता वहां के कार्यकर्त्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए यह मान्य नहीं है, मैनेजमेन्ट को इस्तीफा देने के लिए कह दें और आप अभी तक उसकी धारा पर ही हैं, इसके बारे में भी आप यहां पर बतायें।

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द दीक्षित)--

श्रीमन्, जो समझौता 1979 में हुआ था वह 4 वर्षों के लिए बन्धनकारी था। हमारे प्रदेश के कानून में कहीं है कि समझौते को डिटरमिन करने का कोई प्राविजन नहीं है। स्वेच्छा से किया हुआ समझौता जब रजिस्टर हो जाता है तो उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में, तब तक लागू होता है जब तक वह समाप्त न हो जाये। दूसरा श्रीमन्, उसकी शाखा से मुझे कहना है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश के स्तर पर एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ, उस समझौते के बावजूद जिसमें प्रदेश के नेताओं की 3 बातों पर सहमति थी मुख्यतः। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी कारखाने में औद्योगिक अशांति नहीं होगी, शान्ति बनाये

रखेंगे । इन्टिरिम भी उन्होंने प्रान्ट किया और प्रदेश की सारी इकाइयों के मसलों, झगड़ों को तय करने का स्वेच्छा से समझौता गत वर्ष किया। उसमें माननीय रवी सिन्हा हैं, जो सी० पी० एम० के लीडर हैं उसके अन्दर मिश्रा जी, भारतीय मजदूर संघ के नेता, उसमें प्रभु नारायण सिंह जी हैं जो चुने हुए लोग हैं और हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि हैं, उसके साथ हमारे मदन पाण्डे ह । इनको मजदूरों ने चुना और सारे डिस्प्यूट्स को हल करने का अधिकार दिया जिसमें से रैलीज इण्डिया भी सम्मिलित है और 50 रुपया भी जो उनको दिये हैं, वह भी प्राप्त कर लिया । यह मैं अतिरिक्त सूचना दे रहा हूं ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब 22 फरवरी, 1979 को एक समझौता हो गया था तो फिर 12 सितम्बर, 1980 को जो समझौता हुआ उसमें कितनी शर्तें शामिल हैं और उसमें कौन-कौन सी शर्तें ऐसी थीं जो पहले से भिन्न थीं और वे कौन सी शर्तें थीं जिनकी भिन्नता के कारण वह बराबर आपको अवगत कराते रहे और आप बराबर इंकार करते रहे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

हमारे सामने जो भी बात हुई, वह रख रहा हूं लेकिन आपके संरक्षण से एक बात सादर, सविनय, सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 वर्षों में विकसित होकर इन्डस्ट्रीज जूरिस्प्रूडेंस ने एक स्थायी रूप ले लिया । रैलीज इण्डिया की जो यूनियन है, उन सब लोगों ने मिल कर जो समझौता करके 79 में 50 रुपया नहीं मिलता, 81 में त्रिदलीय सम्मेलन हुआ उसके कारण 50 रुपये की वृद्धि हर केमिकल फैक्ट्री में हुई ओवर एण्ड एबव, जो 79 में हुई । मेरा निवेदन यह है कि, एक तुलना कर रहा हूं, अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है और उसमें अगर पार्टी के रिप्रजेन्टेटिव अपनी राय दे देते हैं तो वह पार्टी की राय मानी जाती है । इसी तरह से इनकी यूनियन जिसमें ये शामिल थे और वह आज भी इक्जिस्ट करती है, इवेन देन टुडेज इक्जिस्टिंग, इसकी मीटिंग कल हुई । मिस्टर सिन्हा, मिस्टर यादव, मिस्टर मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ के, मिस्टर प्रभु नारायण सिंह, हिन्द मजदूर संघ के, इनमें एक भी कांग्रेस मैन नहीं है, मदन पाण्डे हैं । आज वह बैठे हैं मालिकों के साथ उनको मजदूरों ने अधिकार दिया है तो मेरा केवल निवेदन यह था कि एक तरफ तो रैलीज इन्डिया के मजदूर साथ दे रहे हैं और उन्होंने जो कमेटी बनाया है उस कमेटी के रहते हुए किसी प्रकार का असंतोष व्यक्त करना ठीक नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

जो मुख्य मांग थी मजदूरों की, वह यह थी कि यह खाद का कारखाना है और आप उसे केमिकल का कारखाना मान कर चल रहे हैं । वे केमिकल के कारखाने के मजदूरों के समकक्ष वेतन की मांग कर रहे थे और उसी की वजह से हड़ताल हुई और नरसंहार हुआ और 10 आदमी मारे गय । मेरा आपसे आग्रह यह है कि क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि रैलीज इन्डिया के मजदूरों को अन्य के समकक्ष वेतनमान नहीं दिया जा रहा है और यदि सहमत हैं तो वह वेतनमान न दिये जाने का क्या कारण है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो 12 सितम्बर, 1980 को समझौता हुआ क्या उसमें यह शर्त नहीं थी और क्या दूसरे मुद्दे नहीं थे ? क्या यह था कि केवल एक पार्टी शान्ति व्यवस्था बनाये रखेगी ? क्या उसमें मजदूरों का और सेवायोजकों का समान उत्तरदायित्व नहीं था ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, मैंने कहा कि समझौता मेरे सामने जो हुआ वह प्रस्तुत है । कहिये तो मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं । हो गया । बता दिया आपने । सब जानते हैं ।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया । यह लोकल मामले जो हैं उनको लेबर डिपार्टमेन्ट देख रहा था, देख रहा है । प्रदेश भर के केमिकल मजदूरों ने उन संगठनों को बनवाया । अगर माननीय सदस्य का सम्बन्ध मजदूरों से है तो किसी न किसी संगठन से अवश्य होगा । मेरे पास सी० पी० एम०, सी० पी० आई० सब संगठनों का कागज है । आखिरकार रैलीज की जो यूनियन है वह लोग आज भी बैठे हुए हैं । मजदूर लोग अगर समझौता करते हैं तो आप उनको संरक्षण प्रदान करें । मजदूर और मालिक अपनी इच्छा से यह कर रहे हैं । न उसमें कोई हमारा प्रयास है और न आपका है । मजदूरों और मालिकों के गौरवशाली, गांधीवादी उस आचरण का परिणाम है इस कमेटी का सूत्रपात और जो समझौता हुआ था वह मेरी अध्यक्षता में हुआ था ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जो वक्तव्य दिया है माननीय मंत्री जी ने उसमें यह साफ लिखा है कि उक्त समझौता उनकी मौजूदगी में हुआ परन्तु यह भी उन्होंने कहा है कि उसमें मुख्य मुद्दा था श्री के० पी० सिंह तथा अच्छे लाल कुशवाहा को वापस लिया जाय । उस समय मैनेजमेंट ने यह कहा था कि यह मामला लेबर कोर्ट के विचाराधीन है तो उस वक्त आप कहां थे ? उस समय आपने क्यों नहीं कुछ किया ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमन्, अगर मैं उस समझौते को पढ़ दूं तो शायद रियासत भाई के प्रश्न का समाधान हो जाय । इस समझौता होने के बाद श्रमिक पक्ष आश्वासन देता है कि वे पूर्ण रूप से औद्योगिक शान्ति स्थापित करेंगे तथा श्रमिक बिना व्यवधान के आश्वासन देते रहेंगे । सेवायोजक प्रतिनिधि भी यह आश्वासन देते हैं कि उनकी ओर से कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे श्रमिक उत्पीड़ित किये जायं । दोनों पक्ष यह आश्वासन देते हैं कि वे भविष्य में उत्पन्न हुए किसी वाद को आपस में मिल कर वार्ता द्वारा तय करेंगे और यदि आपस में सहमति नहीं हुई तो तय करने के लिए वैधानिक तरीका अपनायेंगे । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे उद्योगों के लिए निर्धारित अनुशासन संहिता का पूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे । दोनों पक्ष ट्रिब्यूनल को अप्लीकेशन देकर इसका जल्द से जल्द निर्णय करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 4 फरवरी, 1982 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

सत्यवती 'क'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 368 पर।]

मदवार व्यय—माह अक्तूबर, 1981

मद सं0	मद शीर्षक	धनराशि
1	2	3
		रु0 पै0
1	सामान्य प्रशासन	18,924.06
2	कर विभाग	9,828.20
3	पथकर	24,367.77
4	मार्ग प्रकाश	6,534.58
5	जल सम्पूर्ति	29,987.64
15	ड्रेनेज अधिष्ठान	6,101.54
16–ए	सफाई कर्मचारियों का वेतन	82,860.93
16–सी	स्वास्थ्य सामग्री	1,454.70
17	स्वास्थ्य विभाग अधिष्ठान	7,119.73
20	टीका विभाग	1,404.06
21	सेमेटरी सामान	389.54
22	बाजार व पशु बाड़ा	723.94
25	बागवानी	6,579.40
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	8,361.07
29	भवन निर्माण	840.02
30	सड़क निर्माण	825.00
41	छपाई	53.00
41–ए	कानूनी व्यय	158.45
41–एफ	विविध व्यय	857.25
51	प्रतिभूतियों की वापसी	256.00
	योग ..	2,07,626.88

नत्थी 'क'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 371 पर ।]

विधान सभा प्रथम सत्र 1982 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का संलग्नक।

क्रम-संख्या	भू-उपयोग परिवर्तन
1	लखनऊ महात्मा गांधी मार्ग पर शैक्षिक (एजूकेशनल) से वाणिज्यिक (कामर्शियल)।
2	लखनऊ कानपुर रोड पर 'ग्रीनबेल्ट' से औद्योगिक हेतु ।
3	लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर (एच0 ए0 एल0) ।
4	9 सरोजनी नायडू मार्ग पर हैबलक हाउस (7,160 व0 मी0) आवासीय से प्रशासकीय कार्यालयों हेतु ।
5	लखनऊ सीतापुर रोड पर आवासीय से वाणिज्य, वाणिज्य से आवासीय तथा आवासीय से वाणिज्य ।
6	अशोक मार्ग पर आवासीय से सरकारी कार्यालय हेतु ।
7	विधान सभा मार्ग पर रायल होटल के सामने आवासीय से वाणिज्य।
8	तालकटोरा मार्ग पर आवासीय से बस एवं ट्रक टर्मिनल, औद्योगिक से आवासीय, आवासीय से औद्योगिक, सड़क से आवासीय, सड़क से औद्योगिक ।
9	गौतम बुद्ध मार्ग (लाटूश रोड) आवासीय से व्यापारिक ।
10	वाटर वर्क्स मार्ग पर आवासीय से व्यावसायिक ।

नत्थियां

नत्थी 'ग'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का उत्तर पीछे पृष्ट 394 पर।]

माह अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1981 में विकास खंड सेवरही में दी गई सीमेन्ट परमिट धारकों की सूची :—

<u>ब्ला० ए० सेवरही—</u>

सर्वश्री—

1—श्री पी० सी० गुप्ता

2—रामजी प्रसाद

3—जानकी प्रसाद

4—सुखदेव

5—सीताराम

6—याकूब

7—हीरालाल

8—अशोक कुमार

9—श्रीमती गायत्री देवी

10—श्रीमती सुखवती देवी

11—जमुना प्रसाद

12—पन्ना लाल

13—मन्ती शर्मा

14—रघुनाथ मिश्र

15—सूर्य नारायण

16—गणेश मिश्र

17—मु० विमला देवी

18—मु० केश

19—राम दास

20—देवता नन्द

21—पारस नाथ गुप्ता

22—गनेश प्रसाद

23—सुलेमान

24—शंकर प्रसाद

25—श्रीमती प्रभावती देवी

26—लखीचन्द्र

27—लक्ष्मण

28—प्रसिद्ध नारायण तिवारी

29—किशोर चौबे

30—सूर्य नाथ मिश्र

31—मु0 गुलजारिया

32—मु0 तेतरी

33—मुहम्मद उसमान

34—प्रेम कुमार

35—जगदीश प्रसाद

36—ठाकुर प्रसाद

37—जगन्नाथ प्रसाद

38—राम चन्द्र

39—राजेन्द्र प्रसाद

40—गाजी हुसैन

41—केदार नाथ

42—ठोमा राम

43—इन्दर मिश्र

44—श्रीमती बसन्तो देवी

45—ढेवरचन्द जैन

46—माखन लाल

47—नागेश्वर प्रसाद

48—गोविन्द प्रसाद

49—शिव पूजन

50—सुरेश चन्द्र

51—माया शंकर प्रसाद

52—गणेश प्रसाद कसेरा

53—बासदेव प्रसाद

54—बच्चा प्रसाद

55—महादेव प्रसाद एडवोकेट

56—पन्ना लाल

57—राम प्रसाद

58—शमसुद्दीन

59—सिंघासन प्रसाद

60—रामभगीना

61—बच्चा मिश्र

62—मुस्तफा

63—राधे श्याम

64—ललमन प्रसाद

65—राम वृक्ष

66—ब्रज बिहारी प्रसाद

67—सरल

68—श्रीमती मीनारानी श्रीवास्तव

69—रामजी प्रसाद

70—मोहम्मद हसन

71—शिवजी प्रसाद

72—गनेश प्रसाद

73—रमा शंकर राय

ग्रामीण क्षेत्र

सर्वश्री—

1—बृजराज मिश्र

2—रामचन्द्र पाठक

3—जवाहर लाल वर्मा

4—राम सकल पांडे

5—राधा कृष्ण मिश्र

6—खंड विकास अधिकारी सिवरही

7—राम कृपाल मिश्र

8—मुन्शी पाण्डे

9—चन्द्रमणि द्विवेदी

10—सक्तेश्वर नाथ सिंह

11—हमीद

12—अजीजुल रहमान

13—चन्द्रशेखर राय

14—हंसराज प्रसाद

15—भोला चौबे

16—बाबूराम प्रसाद

17—हरिकृष्ण सिंह

18—बैज नाथ प्रसाद

19—परमानन्द शर्मा

20—प्रधानाध्यापक, सरस्वती ज्ञान मन्दिर, बलवी छपरा

21—शंकर प्रसाद

22—बढ़ीहवा बाबा

23—रंगीशाह

24—राम कृपाल दास

25—इस्लाम

26—कृपा शंकर आर्य

27—पी0 रत्ना स्वामी

28—जिला गन्ना अधिकारी, सेवरही

29—अली असगर इंजीनियर

30—अनिल कुमार

31—अशोक कुमार

32—मुन्नी लाल शर्मा

33—मोहम्मद इदरीस

34—राम दयाल

35—हरि प्रसाद

36—राम दयाल प्रसाद

37—रघु लाल

38—सरजीत प्रसाद

39—शम्भू प्रसाद

40—श्रीमती विन्दवासिनी देवी

41—बी० एन० मिश्र

42—सुभाष चन्द्र सिन्हा

43—चन्द्र पाल सिंह

44—राम प्रसाद गुप्ता

45—हरि शंकर गुप्त

46—आनन्द श्रीडी कं०, सेवरही

माह अक्तूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1981 में विकास खंड, दुवही में जारी की गई सीमेन्ट परमिट धारकों की सूची :

1—ज्वाला प्रसाद द्विवेदी

2—त्रिवेनी शर्मा

3—राम बल्लभ मठिया

4—कन्ता राय

5—शशि मुहम्मद कोरया

6—सत्य नारायण शाही

7—कलाश सिंह

8—श्यामा नन्द सिंह

9—रमजान मियां

10—शिवशंकर

11—सगर

12—शिव नारायण सिंह

13—कामेश्वरी सिंह

14—मिश्री यादव

15—श्रीकृष्ण

16—अनिरुद्ध सिंह

17—महेन्द्र सिंह

18—कैलाश

19—शिव सरन

20—सारदा

21—सूचित ठाकुर

22—हरि लाल

23—रमा शंकर सिंह

24—पारस नाथ

25—बन्धु

26—राम सागर

27—गोपाल

28—भगवत]

29—सुवाम सिंह

30—जगदम्बा सिंह

31—राम नरेश सिंह

32—बोधी राय

33—चन्द्र मणि विजयपुर

34—गणेश सिंह

35—राम प्रकाश सिंह

36—ललन सिंह

37—निजामुद्दीन

38—कौशल ठाकुर

39—जगत नारायण

40—महंत प्रसाद

41—शम्भू नाथ

42—विरेन्द्र

43—विश्वनाथ

44—चन्द्रशेखर

45—चन्द्रिका राम

46—सत्य नारायण

47—मन्नी शाह

48—हरि किशुन

49—श्याम देव गौरी

50—रोगी

51—मु0 सलीम रकबी

52—बंगल

53—बैजनाथ तिवारी

54—योगेन्द्र तिवारी

55—राम देव तिवारी

56—निजामुद्दीन

57—सिराजु अहमद

58—राजदेव

59—राम लोचन

60—महेन्द्र मिश्र

61—बलभद्र

62—हिसाब मियाँ

63—मोहन द्वारिका दास

64—मक़बूल

65—गुलाबी पाण्डे

66—मन्नान

67—विश्वनाथ प्रसाद

68—बैजनाथ

69—नसरुद्दीन

70—बन्का प्रसाद

71—बच्चा राय

72—पूजा

73—महादेव

74—हीरा प्रसाद

75—जान मोहम्मद

76—सुधामा सिंह

77—किशना प्रसाद

78—नगीना

79—राम अवतार

80—श्रवण प्रसाद

81—राम दयाल

82—त्रिवेणी दास

83—रामजीत कमकर

84—राम नारायण

85—लुटावन

86—केदार मिश्र

87—शारदा लाल

88—हबलदार मियाँ

89—सुन्दर मछरिया

90—नूर मोहम्मद

91—राम चन्दर

92—राम सागर

93—राम चन्द्र

94—हनुमान मंदिर

95—भरत नाथ

96—राधा किशुन

97—बैरिस्टर

98—रामदेव

99—जगेश्वर

100—शमशुद्दीन

101—शंकर

102—दीनानाथ

103—रोगी

104—इन्द्रासन

105—मदन सिंह

106—राम नारायण

107—सुधामा प्रसाद

108—चन्द्र भूषण दूबे

109—सम्पत सिंह

110—हरिनन्दन सिंह

111—शिव मोहन

112—हरिगोविन्द

113—बसन्त

114—राजधारी

115—भरत

116—विश्वनाथ

117—शिवपूजन

118—श्यामीनन्द

119—फागू हरिजन

120—दया शंकर

121—कौशल किशोर तिवारी

122—विद्यानन्द सिंह

123—खान मुहम्मद

124—श्याम तिवारी

125—प्रमोद तिवारी

126—श्रीमती विन्ध्यवासनी देवी

127—बी० एन० मिश्र

128—श्रीराम सिंह

129—प्रमोद कुमार

130—खंड विकास अधिकारी, चुवही

माह अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1981 में विकास खंड, तमकुहीराज में जारी की गई सीमेन्ट परमिट धारकों की सूची :

सर्वश्री

1—श्री मुमताज सोहनविया बुजुर्ग

2—सुदामानाथ

3—राजेश्वरनाथ

4—श्रीकृष्ण

5—चेलकुंवर

6—मंगल यादव

7—सीताराम

8—गोपीचन्द्र

9—मुनश्वर

10—राजेन्द्र यादव

11—सुदामा सिंह

12—मुनेश्वर चौबे

13—हरीश

14—राम इकबाल

15—नैपाल

16—प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सैमराहरवो पट्टी

17—राजेन्द्र

18—रामायण सिंह

19—महन्त

20—रामाज्ञा मोहन

21—हैदर अली

22—रमाकान्त लाल

23—राम नरेश

24—रघुनाथ

25—सत्येवपति

26—वशिष्ठ

27—पारसनाथ

28—नवी हसन

29—अली हसन

30—शिवशंकर राय

31—शिवराज

32—राम विलास

33—राम स्वरूप

34—सुभाष

35—काशीनाथ

36—वंशराज

37—दीप

38—पलट

39—रामायण शाही

40—राम अधार

41--नगीना

42--झीलन

43--हीरा

44--रतन

45--अम्बिका

46--सूर्य मुखा

47--रहमान

48--मोहनपतिचन्द्र वाटा

49--किशुनधारी

50--सखल

51--परेशान

52--गदरी

53--देवता

54--अकबर

55--मोलहू

56--सनहूं

57--लालजी

58--रामजीत

59--राम औतार

60--नगीना

61--देवव्रत सिंह

62--वीरेन्द्र शाही

63--चन्द्र भूषण

64--दीनानाथ

65--बन्ना लाल

66--रामानन्द

67--तीरथराज

68--सुबास

69--मोहम्मद ईमा

70--मोहम्मद हदीस

उत्तर प्रदेश विधान सभा

71--हरि नारायण

72--मुरली मनोहर

73--अवधेश नारायण

74--राम अधार

75--वीरेन्द्र चौबे

76--रामाकान्त

77--तूफानी

78--शहीद

79--चन्द्रजीत

80--राम किशन

81--रामा प्रसाद

82--छेदी

83--गौरी

84--राघनाथ

85--शिव कुमार

86--महन्त

87--चन्दर

88--रामलाल

89--रमाकान्त

90--कैलाश

91--नरेश

92--चौकट

93--बांका

94--द्वारिका

95--सत्तार अली

96--राम प्यारे

97--रामनक्षतर

98--महेन्द्र

99--चन्द्र देव पान्डेय

100--श्रीकान्त

101—शंकर

102—भागवत

103—सूर्यवंशी

104—लक्ष्मन

105—गुल्ली

106—दूधनाथ

107—मुख लाल

108—सम्पत कुमार

109—हरहगोदास

110—सहदेव

111—बामदेव

112—सर्वजीत

113—जमुनादास

114—सीताराम

115—जगरनाथ

116—प्रोफेशर राय

117—हंशनाथ पन्डेय

118—रामायण

119—विन्देश्वरी

120—अजोज

121—आलीन

122—भ्रपुराशन

123—मन्दकिशोर

124—कृपाशंकर

125—गोरख लाल

126—विरञ्चन

127—चन्द्रिका

128—योगेन्द्र शाही

129—रमाकान्त

130—अम्बिका राय

131--सिंहासन राय

132--संभल राय

133--रामाज्ञा

134--श्री राम

135--बालखिला

136--हाजिर अली

137--कपिलदेव

138--सुरेन्द्र कुमार

139--विद्याधर

140--रमेश

141--सुरेन्द्र मिश्र

142--मुहर प्रसाद

143--भगवती

144--नगीना

145--महाजन

146--राम नरेश

147--कैलाश लाल

148--योगेन्द्र मिश्र

149--मो0 हसन

150--मैनेजर

151--अनवरुलहक

152--समसुलहदा

153--राम बृक्ष

154--शेख मो0 याकूब

155--अजीज अन्सारी

156--शिवराज

157--वकील अहमद

158--रवीन्द्र सिंह

159--राम दास

160--रमाकान्त

161--फतेह मेमोरियल इन्टर कालेज, भटवलिया

162--जूनियर हाई स्कूल, गाजीपुर

163--सुदामा नाथ

164--सम्भल राय

165--मखतब

166--जनार्दन राय

167--डा0 विजय कुमार

168--राम अधार पाठक

169--जगदीश मिश्र

170--डा0 उमाशंकर सिंह

171--थानाध्यक्ष तकपट्टी

172--मो0 खलील अन्सारी

173--वंश विहारी सिंह

174--कौशला प्रसाद

175--केदार सिंह

176--सिंहासन राय

177--महन्त मिश्र

178--सुरेन्द्र नाथ मिश्र

179--मद्धरीन लाल श्रीवास्तव

180--रामाज्ञा प्रसाद गुप्त

181--हरी नारायण मिश्र

182--चन्द्रिका प्रसाद मिश्र

183--देवराज सिंह

184--अरविन्द कुमार

185--प्रधानाचार्य नेहरू इन्टर कालेज, पढ़ोहरवा

186--डा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी

187--देवेन्द्र पान्डेय

188--लियाकत अली

189--गोपाल सिंह

190--अनिरुद्ध तिवारी

191--हरदेव नारायण शाही

192--प्रधान, गांव सभा तमकहोराज

193--प्रधानाचार्य, नवजीवन इन्टर कालेज पटहेर

194--प्रधानाचार्य, तुर्कपट्टीपहुअवा

195--उमाशंकर प्रसाद ड्राईवर जिला सहकारी बैंक तमकहोराज

196--गोविन्द प्रसाद राय पेपर इन्डस्ट्रीज तमकहोराज

197--मैना प्रसाद

198--श्याम लाल

199--विश्वनाथ राय

200--जनार्दन मिश्र

201--मु0 हनीफ अन्सारी

202--विश्वनाथ पाठक

203--शमसुलहौदा रिजवी

204--रामदेव प्रसाद

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 396 पर)

क्रम सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	योजना में सम्मिलित शहर/ ग्रामों की संख्या
1	2	3	4
	शहरी पेयजल योजना--		
1	बांदा पुनर्गठन पे0 यो0 चरण-1 भाग-1	80.54	1--शहर
2	बांदा पुनर्गठन पे0 यो0 चरण-1 भाग-1	31.32	तदेव
	ग्रामीण पेयजल योजना		
1	बिलग्राम ग्राम समूह पे0 यो0	71.17	18 ग्राम
2	मुरकन ग्रा0 स0 पे0 योजना	72.524	24 ग्राम
3	भभुआ ग्रा0 स0 पे0 योजना	47.53	14 ग्राम
4	खंडेह ग्रा0 स0 पे0 योजना	99.066	30 ग्राम
5	बरेठी कलां ग्रा0 स0 पे0 योजना	95.11	17 ग्राम
6	सांडासानो ग्रा0 स0 पे0 योजना	50.585	16 ग्राम
7	तिन्दवारी ग्रा0 स0 पे0 योजना	56.983	20 ग्राम
8	खपटिहा ग्रा0 स0 पे0 योजना	79.834	24 ग्राम
9	पतवन ग्रा0 स0 पे0 योजना	51.62	13ग्राम
10	ओगासी ग्रा0 स0 पे0 योजना	31.91	8 ग्राम
11	करोंदो कला ग्रा0 स0 पे0 योजना	23.495	11 ग्राम
12	मटांध टाउन एरिया के0 पे0 योजना	28.436	1 टाउन एरिया
13	बिसंडा टा0 ए0 के0 पे0 योजना	24.557	1 टाउन एरिया
14	निबाडुच ग्रा0 स0 पे0 योजना जोन-1	65.024	13 ग्राम
15	काना खेरा ग्रा0 स0 पे0 योजना	60.158	29 ग्राम
16	जसपुरा ग्रा0 स0 पे0 योजना	60.137	12 ग्राम

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 401 पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र 1982 के तृतीय गुरुवार के लिये निर्धारित श्री रुद्र प्रताप सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का संलग्नक ।

सामान का नाम	व्यय
	रु0
1— ट्रांसमीशन गियर बाक्स के मरम्मत हेतु सामानों की आपूर्ति एवं मरम्मत का व्यय	2,653.00
2—मड पम्प हेतु सामानों का आपूर्ति एवं मरम्मत का व्यय	2,737.00
3—केलो तथा लेवलिंग जैक के सामानों की आपूर्ति एवं मरम्मत का व्यय	11,435.00
4—रोटरो केबुल के सामानों को आपूर्ति एवं मरम्मत का व्यय	7,545.00
5—क्राउन ब्लाक लिफ्टिंग एवं सैन्डड्रिल ड्रम के सामानों की आपूर्ति एवं मरम्मत का व्यय	1,210.00
6—जे0-6 फोर्डइंजन के सामानों की आपूर्ति एवं मरम्मत का व्यय	25,311.00
7—रिग मशीन की वायरिंग तथा डेटिंग इत्यादि पर व्यय	2,186.00
कुल व्यय ..	53,077.00

पो0 एस0 नं0 प0 0—10 वि0 सभा—27-2-82—835 (पो0 डी0)